एच एस सी सी
HSCC
एक मिनीरत्न कंपनी

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
(एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)
(भारत सरकार का उद्यम)

42वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2024-2025

सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, चंद्रपुर

एक मिनीरत्न कंपनी
(भारत सरकार का उद्यम)

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की एक सहायक कंपनी

ई–6(ए), सैक्टर–1, नौएडा – 201301 (उ. प्र)

फोन – 91–120–2542436–40

ईमेल – hsccltd@hsccltd.co.in

सीआईएन नम्बर : U74140DL1983GOI015459

वेबसाईट : www.hsccltd.co.in

राष्ट्रीय कैंसर केंद्र, मॉरीशस

विजन, मिशन, कॉर्पोरेट मूल्य और कॉर्पोरेट गुणवत्ता नीति

विजन

"भारत और विदेशों में स्वास्थ्य सेवा के संवर्धन हेतु, अन्य अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं में अपनी मुख्य क्षमता का लाभ उठाने और अपने पेशेवर कर्मचारियों को एक उत्साहजनक एवं सक्षम कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए एक अग्रणी परामर्श कंपनी बनने की दिशा में, मूल्य वर्धित, अभिनव और एकीकृत सेवाएं प्रदान करना।"

मिशन

"भारत और विदेशों में स्वास्थ्य देखभाल और अन्य उद्देश्यों हेतु भवनों और अधोसंरचना के विकास के लिए व्यापक, अवधारणा, परियोजना नियोजन, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन, प्रापण, और संबंधित परामर्श सेवाएं प्रदान करना।"

कॉर्पोरेट मूल्य

- ग्राहक हेतु मूल्यवर्धन पर ध्यान देना
- संगठन के भीतर रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना
- एक शिक्षण संगठन बनाना
- टीम भावना हमारी सभी गतिविधियों के लिए प्रवर्तक है

कॉर्पोरेट गुणवत्ता नीति

स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण परामर्श सेवाएं प्रदान करके नेतृत्व और ग्राहकों का विश्वास बनाए रखना।

संबन्धित जानकारी

पंजीकृत कार्यालय

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
205 (द्वितीय तल), ईस्ट एंड प्लाजा, प्लॉट नंबर 4,
एलएससी, सेंटर–II, वसुंधरा एन्क्लेव,
नई दिल्ली–110096
सीआईएन संख्या : U74140DL1983GOI015459
वेबसाइट : www.hsccltd.co.in

कॉर्पोरेट कार्यालय

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
ई–6 (ए), सैक्टर–1, नौएडा – 201301 (उ.प्र.)
संपर्क : 91–120–2542436–40
फैक्स : 91–120–2542447
सीआईएन संख्या : U74140DL1983GOI015459
वेबसाइट : www.hsccltd.co.in

वैधानिक लेखा–परीक्षक

मैसर्स एस. आर. डीनोडिया एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
के–39, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली–110001

आंतरिक लेखा–परीक्षक

मैसर्स मनोज मोहन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
एफ–18ए, सैक्टर–27,
नौएडा – 201301 (उ.प्र.)

सचिवीय लेखा–परीक्षक

मैसर्स जे. के. गुप्ता एंड एसोसिएट्स
257, वर्धमान सिटी सेंटर–2,
शक्ति नगर रेलवे अंडर ब्रिज के पास,
दिल्ली– 110052

बैंकर्स

1. पंजाब नेशनल बैंक
2. केनरा बैंक
3. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
4. भारतीय स्टेट बैंक
5. इंडियन ओवरसीज बैंक
6. इंडियन बैंक
7. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
8. एक्सिस बैंक
9. एचडीएफसी बैंक
10. आईडीएफसी बैंक
11. बैंक ऑफ मॉरीशस

विषय सूची

1.	निदेशकों का संक्षिप्त परिचय	6
2.	कार्य–निष्पादन पर एक नजर	10
3.	सर्विस स्पैक्ट्रम	12
4.	अध्यक्ष महोदय का उद्बोधन	13
5.	प्रबंध निदेशक का पत्र	17
6.	सूचना	21
7.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं अनुलग्नक	27
	– प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	45
	– कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट	49
	– अन्य अनुलग्नक	57
8.	भारत के नियंत्रक और महा–लेखा–परीक्षक की टिप्पणियाँ	69
9.	वित्तीय विवरणों पर लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट	71
10.	वित्तीय विवरण	89

निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

श्री के. पी. महादेवस्वामी
अध्यक्ष

श्री के. पी. महादेवस्वामी ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अनुसूची 'सी' मिनीरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में 1 अक्टूबर, 2023 को पदभार ग्रहण किया। वे एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) के अध्यक्ष का अतिरिक्त उत्तरदायित्व भी संभाल रहे हैं। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के अवसंरचना परिदृश्य में उनकी नेतृत्व क्षमताओं में अभिव्यक्त विश्वास और भरोसे को दर्शाता है।

श्री महादेवस्वामी सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में विशिष्ट पेशेवर हैं, वे मैसूर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने रिसर्च में एम.टेक की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), कलकत्ता से कार्यकारी नेतृत्व एवं प्रबंधन कार्यक्रम पूरा करके अपनी नेतृत्व क्षमता को और निखारा है।

श्री महादेवस्वामी ने तीन दशकों से भी अधिक समय के अपने शानदार करियर में विविध क्षेत्रों में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की संकल्पना, आयोजना और क्रियान्वयन का व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। वे 2005 में एनबीसीसी में उप–महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग) के पद पर नियुक्त हुए और अपनी अटूट प्रतिबद्धता, तकनीकी विशेषज्ञता और दूरदर्शी नेतृत्व के माध्यम से सर्वोच्च पद तक पहुँचे।

उनके द्वारा सफलतापूर्वक पूरी की गई परियोजनाओं की सूची में महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाएं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, वाणिज्यिक और सरकारी कार्यालय परिसर तथा रणनीतिक परिसंपत्तियाँ परियोजनाएं जैसे भारत–पाक सीमा पर बाड़ लगाना आदि सम्मिलित हैं। उन्होंने दुर्जेय इंजीनियरिंग एवं पर्यावरणीय चुनौतियों को पर करते हुए प्रतिष्ठित गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

एनबीसीसी से जुडने से पूर्व, उन्होंने रिफाइनरी क्षेत्र की एक प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम और प्रमुख दक्षिण भारतीय अवसंरचना कंपनी भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी) जैसे संगठन में उद्योग का बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया, जहां वे सन 1991 में निर्माण कार्य में प्रीकास्ट प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले शुरुआती लोगों में से एक थे। उन्होंने एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय फर्म के साथ भी काम किया, जहां उन्होंने रिफ्रैक्टरी कार्यों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया।

श्री महादेवस्वामी अपने कुशल नेतृत्व और रणनीतिक दूरदर्शिता से एचएससीसी को स्वास्थ्य अवसंरचना विकास में और अधिक उपलब्धियों की ओर ले जा रहे हैं।

श्री नौमान अहमद एक सिविल इंजीनियर हैं, जिनका परियोजना नियोजन, निगरानी और क्रियान्वयन के क्षेत्र में लगभग तीन दशकों का शानदार करियर रहा है। उन्होंने एएमआईई (सिविल इंजीनियरिंग) और प्रतिष्ठित एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है।

श्री नौमान अहमद
प्रबंध निदेशक

वर्तमान में, वे एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। यह कंपनी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक मिनीरत्न सीपीएसई और एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। वे नेतृत्व और तकनीकी उत्कृष्टता की समृद्ध विरासत लेकर आए हैं। फरवरी 2023 में एचएससीसी से जुडने के बाद से, उन्होंने संगठन को अभिनव परियोजना सुपुर्दगी और अवसंरचना विकास में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

एचएससीसी से पहले, उन्होंने एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड (एनएसएल) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित एनबीसीसी में कई प्रमुख नेतृत्व पदों पर कार्य किया हैं। उनका विविध और गतिशील अनुभव मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, नाबार्ड, आईएफसीआई लिमिटेड और सेल जैसे उल्लेखनीय संगठनों में भी फैला हुआ है, जहाँ उन्होंने बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट विकास और जटिल परियोजना व्यवहार्यता अध्ययनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

अपनी रणनीतिक सोच और अवसंरचना प्रणालियों की गहरी समझ के लिए जाने जाने वाले, श्री अहमद ने सार्वजनिक क्षेत्र की पहलों से लेकर उच्च–प्रभाव वाले व्यावसायिक विकास तक, व्यापक क्षेत्र में परियोजनाओं का नेतृत्व और कार्यान्वयन किया है। उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण ने निर्माण और रियल एस्टेट क्षेत्रों में नवाचार और दक्षता को निरंतर बढ़ावा दिया है।

श्री रवि रंजन
निदेशक (इंजीनियरिंग)

श्री रवि रंजन, सिविल इंजीनियरिंग, अवसंरचना विकास और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में समर्पित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, उनका उल्लेखनीय करियर 34 वर्षों से भी अधिक कालावधि का है। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एनबीसीसी की एक सहायक कंपनी, एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड में निदेशक (इंजीनियरिंग) के रूप में, उन्होंने निरंतर अनुकरणीय नेतृत्व, रणनीतिक दूरदर्शिता और परिचालन उत्कृष्टता का निष्पादन किया है।

श्री रंजन के व्यापक अनुभव में परियोजना नियोजन, क्रियान्वयन और व्यावसायिक संचालन के संपूर्ण क्षेत्र की छटा मिलती है। उन्होंने बड़े पैमाने की अवसंरचना परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनका भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जन स्वास्थ्य और कल्याण पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

उनकी अनेक उपलब्धियों में से एक है, श्री रंजन का भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित खाद्य एवं औषधि क्षमता निर्माण परियोजना का सफलतापूर्वक नेतृत्व करना। राष्ट्रीय विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, कर्नाटक में एकीकृत ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता प्रणाली परियोजना में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी से और भी स्पष्ट होती है। यह भी विश्व बैंक द्वारा समर्थित एक अन्य पहल है जिसने अनगिनत ग्रामीण समुदायों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है।

श्री रंजन कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना पहलों के भी रथ सारथी रहे हैं। इनमें कई राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) संस्थानों, क्रिटिकल केयर ब्लॉक और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल ब्लॉक की स्थापना समाहित हैं। मिजोरम, मणिपुर, राजस्थान और महाराष्ट्र में सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के विकास में उनका नेतृत्व अनन्य रहा है, जिससे देश के स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण और गहन तकनीकी विशेषज्ञता ने न केवल समय पर और उच्च गुणवत्ता वाली परियोजना सुपुर्दगी सुनिश्चित की है, बल्कि एचएससीसी में विभिन्न प्रभागों की परिचालन दक्षता और लाभप्रदता को भी बढ़ाया है।

श्री रवि रंजन, जिनकी पेशेवर यात्रा उत्कृष्टता, नवाचार और जनहित के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता से चिह्नित है, एक सच्चे राष्ट्र–निर्माता हैं। उनका कार्य भारत के स्वास्थ्य सेवा और अवसंरचना के क्षेत्रों में एक विरासत छोड़ता जा रहा है।

श्रीमती डी. थारा
सरकार द्वारा नामित

श्रीमती डी. थारा, वर्ष 1995 से आईएएस अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। वे वर्ष 1997 से गुजरात राज्य में कार्यरत हैं और उन्हें गुजरात के विभिन्न शहरों जैसे अहमदाबाद, खेड़ा, राजकोट, वड़ोदरा और सुरेंद्रनगर में विभिन्न विभागों में व्यापक अनुभव प्राप्त है। उन्होंने वड़ोदरा और सुरेंद्रनगर शहरों में भूमि राजस्व प्रबंधन एवं जिला प्रशासन तथा विकास प्रशासन विभाग में जिला विकास अधिकारी के रूप में 2 वर्षों तक कार्य किया है। उन्हें खेड़ा शहर में एक वर्ष तक और अहमदाबाद शहर में 3 वर्षों तक कलेक्टर के रूप में भूमि राजस्व प्रबंधन एवं जिला प्रशासन विभागों में भी कार्य करने का अनुभव प्राप्त है।

सुश्री थारा ने लगभग दो वर्षों तक अहमदाबाद नगर निगम के उप नगर आयुक्त के रूप में भी कार्य किया है। इस दौरान, उन्होंने कई जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं पर काम किया है।

वे बीआरटीएस परियोजना की अग्रदूतों में से अग्रदूत रही हैं, जो शहर की एक बहुत ही आवश्यक परियोजना थी। उन्होंने वर्ष 2008 में अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (AUDA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में द्वितीय संशोधित मसौदा विकास योजना 2021 भी शुरू की थी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, AUDA के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, अहमदाबाद की दूसरी संशोधित मसौदा विकास योजना 2021 पूरी हुई और CEA, GUDA के रूप में गांधीनगर की पहली संशोधित मसौदा विकास योजना भी पूरी की। उनकी अभिकेंद्रित दृष्टि और उच्च नेतृत्व गुणों से द्वितीय संशोधित मसौदा विकास योजना 2021 में कई नई अवधारणाओं और विचारों को समाहित किया गया। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं– केंद्रीय व्यावसायिक जिला, पारगमन उन्मुख क्षेत्र व आवास सुलभ आवासीय क्षेत्र और इन परियोजनाओं के लिए स्थानीय क्षेत्र योजनाओं की तैयारी। वह AUDA की मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अहमदाबाद की नगर आयुक्त रही हैं। उनके कार्यकाल के दौरान अहमदाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया और उनका क्रियान्वयन किया गया। जल प्रबंधन व सुरक्षा इसके केंद्र बिन्दु थे। एक वर्ष की अवधि में 7.5 लाख लोगों को सतही जल प्रदाय किया गया। 4 एसटीपी शुरू किए गए और सीवेज उपचार की कमी को पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है।

वे 24 जून 2016 से गुजरात औद्योगिक विकास निगम, गांधीनगर में उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत थीं। उसके बाद, वे 29 जुलाई 2019 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हुईं। 6 दिसंबर 2021 को उन्हें अतिरिक्त सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया। वे अमृत 2.0 की राष्ट्रीय मिशन निदेशक हैं। वह नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन की अध्यक्ष भी हैं। सेंट्रल विस्टा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वित्त आयोग, शहरी वित्त और शहरी नियोजन आदि उनके अन्य कार्यक्षेत्र हैं।

डॉ. दीपक सिंह भाकर
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. दीपक सिंह भाकर, एमबीबीएस और एमडी हैं। उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रबंधन में पीजी कोर्स और जी.आई.एस. में सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्वास्थ्य एवं महामारी विज्ञान और बायोमेडिकल डेटा विश्लेषण में कोर्स किया है। उन्होंने विभिन्न स्तरों पर 30 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त किया है। उन्होंने बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में सहायक प्राध्यापक और जीएमसीएचए उदयपुर (राजस्थान) में एसोसिएट प्राध्यापक के रूप में काम किया है। उन्होंने केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, भारत सरकार; वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री; मुख्यमंत्री (छत्तीसगढ़) के ऑफिसर ऑन ड्यूटी (ओएसडी) के रूप में भी काम किया है।

वह मेडिको लीगल अपडेट (ISSN 0971-720X) के सहायक संपादक रह चुके हैं, जोकि इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स का आधिकारिक अंग है। वह जर्नल मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी (ISSN 0971-1929) के मुख्य संवाददाता थे। उनकी संपादकीय सलाहकार, जर्नल ऑफ एनवायर्नमेंटल एंड एथिकल इश्यूज, बेंगलुरु में सदस्यता है। वे अमेरिका, थाईलैंड, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमेरिका, बोत्सवाना, रूस, जर्मनी, मलेशिया, मॉरीशस आदि देशों का दौरा कर चुके हैं।

डॉ. जितेंद्र घनश्यामलाल नागर
स्वतंत्र निदेशक
दिनांक 09.05.2025

डॉ. जितेंद्र नागर गुजरात के दीसा में अवस्थित एक प्रख्यात मधुमेह रोग विशेषज्ञ और वरिष्ठ चिकित्सक हैं। वे "डायबिटीज स्कूल" के संस्थापक हैं, जो भारत के ग्रामीण इलाकों में स्थित मधुमेह उपचार के अग्रणी केंद्रों में से एक है। उनका जन्म और स्कूली शिक्षा सुमेरपुर राजस्थान में हुई। उन्होंने एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर से एमबीबीएस और जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर से एमडी किया। उन्होंने महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में जटिल भूमिका निभाई। उनके शैक्षिक एवं प्रेरक वीडियोस का पूरे विश्व के दर्शकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। बाद में उन्हें गूगल ने गूगल के एंटी–कोरोनावायरस अभियान के एम्बेसडर के रूप में साइन अप किया। इसके अलावा, उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक सार्वजनिक उपक्रम एचएमएल के निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी काम किया है। अपनी सामाजिक कल्याण सेवाओं के अलावा, वे "अभ्युत्थानम आंदोलन" और "बाउंड टू नेशन मूवमेंट" के संस्थापक हैं।

कार्य–निष्पादन पर एक नजर

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष में 2,000.32 करोड़ रूपए का कारोबार तथा 7,701.47 लाख रूपए कर पश्चात लाभ अर्जित करते हुए एक बार फिर उत्कृष्ट परिणाम दर्ज किया है।

कंपनी को 1983 में रु. 40 लाख की चुकता पूंजी के साथ निगमित किया गया था। बाद में रु. 200 लाख के बोनस शेयर जारी किए गए, जिसके परिणामस्वरूप चुकता शेयर पूंजी बढ़कर रु. 240 लाख हो गई। वित्त वर्ष 2017–18 में, कंपनी ने 25: पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के वापसी–खरीद (प्रापण)(बायबैक) को संसाधित किया, जिसके परिणामस्वरूप चुकता शेयर पूंजी घटकर रु. 180 लाख हो गई। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, कंपनी का 100% रणनीतिक विनिवेश किया गया, और इस प्रकार एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने कंपनी के प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ मौजूदा 100% चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का अधिग्रहण किया।

एचएससीसी के उद्देश्यों एवं रणनीतियों को व्यापार वृद्धि के माध्यम से निवल–मूल्य को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो उच्च राजस्व एवं मुनाफे के साथ–साथ मजबूत तथा तनाव मुक्त नकदी प्रवाह सृजित करते हैं। इस तरह हम कंपनी के मूल्य में वृद्धि करेंगे, और एक ही समय में एक मजबूत बैलेंस शीट के साथ–साथ शेयरधारकों हेतु आकर्षक लाभांश भी बनाए रखेंगे।

हम गुणवत्ता एवं समय सीमा की प्रतिवद्धता दोनों को अपनाकर अपने ग्राहकों को प्रसन्न करने वाली अपनी विशिष्ट और अभिनव सेवाएं निरंतर प्रदान करते हुए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता के रूप में विकसित होते रहेंगे।

(₹ लाख)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल आय	141,423.54	138,903.07	122,614.02	139,508.28	209,923.74
कर–पूर्व लाभ	1,877.67	3,321.32	2,338.75	5,461.71	10,273.67
शुद्ध लाभ	1,368.31	2,517.77	2,267.34	3,956.33	7,701.47
शुद्ध संपत्ति	12,365.04	14,360.64	16,221.74	19,325.36	24,612.48
लाभांश	588.74	618.44	811.86	1,188.09	2,406.79
समझौता ज्ञापन के आधार पर रेटिंग	अच्छा	अच्छा	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट (अपेक्षित)

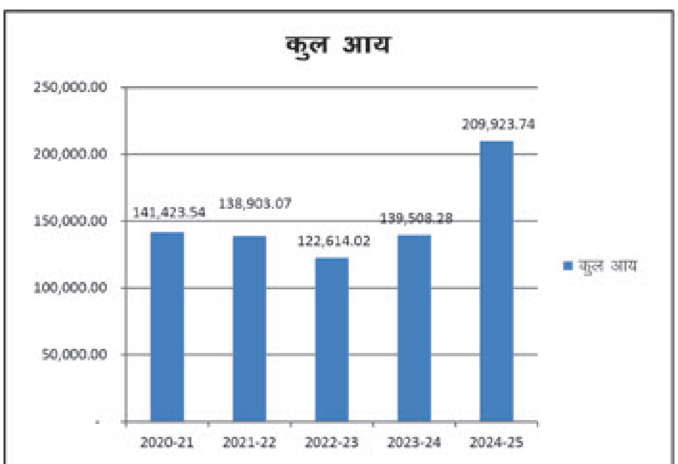

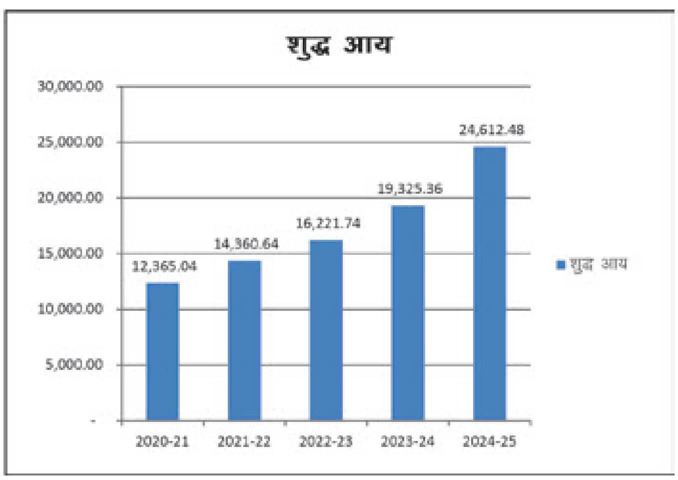

दशक के वित्तीय परिणामों पर एक नजर

मूल्य ₹ लाख में

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
वित्तीय निष्पादन										
प्रदत्त पूँजी	240.02	240.02	180.01	180.01	180.01	180.01	180.01	180.01	180.01	180.01
आरक्षित और अधिशेष	17318.86	13959.81	10063.87	13690.19	11003.41	12185.03	14180.63	16041.73	19145.35	24432.47
निवल मूल्य	17558.88	14199.83	10243.88	13870.20	11183.42	12365.04	14360.64	16221.74	19325.36	24612.48
शुद्ध अचल संपत्तियाँ	634.59	699.07	688.11	7496.24	7365.63	7223.49	7111.67	7138.03	7074.34	6933.95
कार्यशील पूँजी	21522.74	9813.85	5243.76	2790.08	-3505.01	2474.90	5997.46	7679.42	11737.26	15830.38
नियोजित पूँजी	17558.88	14199.83	10243.88	13870.20	11183.42	12365.04	14360.64	16221.74	19325.36	24612.48
परिचालन आंकड़े										
परिचालन से राजस्व और अन्य परिचालन राजस्व	102180.42	151116.52	150548.38	206327.43	212541.48	141214.63	136065.89	122478.53	138919.51	208581.22
अन्य आय	8517.64	10808.87	822.65	776.35	634.87	208.91	152.63	135.49	588.77	1342.52
कुल आय	110698.06	161925.39	151371.03	207103.78	213176.35	141423.54	138903.07#	122614.02	139508.28	209923.74
व्यय	101948.54#	156236.07#	147587.53#	199110.93	206590.44	139398.33	135441.75	120130.11	133874.96	199452.59
सकल मार्जिन	8749.52	5689.32	3783.50	7992.85	6585.91	2025.21	3461.32	2483.91	5633.32	10471.15
मूल्यह्रास	62.95	73.20	78.40	43.63	161.56	147.54	140.00	145.16	171.61	197.48
कर पूर्व लाभ	8686.57	5616.12	3705.10	7949.22	6424.35	1877.67	3321.32	2338.75	5461.71	10273.67
कर प्रावधान	3225.02	1855.16	1347.33	2967.85	2661.35	509.36	803.55	71.41	1505.38	2572.20
कर पश्चात लाभ	5461.55	3760.96	2357.77	4981.37	3763.00	1368.31	2517.77	2267.34	3956.33	7701.47
लाभांश	1638.46	1128.29	1124.01	2989.00	2500.00	588.74	618.44	811.86	1188.09	2406.79
जनशक्ति										
कर्मचारी (संख्या में)	162	176	184	177	189	185	179	161	152	152
(नियमित वेतनमान पर)										
अनुपात										
पीबीटी/कुल आय (%)	7.85%	3.47%	2.45%	3.84%	3.01%	1.33%	2.39%	1.91%	3.91%	4.89%
शुद्ध लाभ/कुल आय (%)	4.93%	2.32%	1.56%	2.41%	1.77%	0.97%	1.81%	1.85%	2.84%	3.67%
शुद्ध लाभ/निवल संपत्ति (%)	31.10%	26.49%	23.02%	35.91%	33.65%	11.07%	17.53%	13.98%	20.47%	31.29%
प्रति कर्मचारी कुल आय	683.32	920.03	822.67	1,170.08	1,127.92	764.45	775.99	761.58	917.82	1,381.08
प्रति शेयर आय (ईपीएस) (₹)	2275.46	1566.94	1047.82	2767.21	2090.39	760.11	1398.65	1259.53	2197.79	4278.26
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	7,316.20	5,916.60	5,690.60	7,705.07	6,212.53	6,868.93	7,977.51	9,011.38	10,735.48	13,672.53

टिप्पणियाँ:

1. सभी आंकड़े संबंधित वित्तीय वर्षों से लिए गए हैं, तथापि, उपर्युक्त तालिका में कुछ मूल्यों को, जहां भी लागू हो, प्रासंगिक आंकड़ों के पुनर्कथन, पुनर्वर्गीकरण और पुनर्समूहन के अनुसार संशोधित किया गया है।
2. वित्त वर्ष 2018–19 में पहली बार भारतीय लेखांकन मानक को अपनाया गया और तदनुसार वित्तीय विवरण इन मानकों के अनुपालन में तैयार किए गए। # कुल आय/व्यय में असाधारण मदें जुड़ी हैं।

सर्विस स्पैक्ट्रम

वैचारिक अध्ययन और प्रबंधन परामर्श

- आधारभूत सर्वेक्षण और आर्थिक अध्ययन
- महामारी विज्ञान सर्वेक्षण
- सिस्टम प्लानिंग
- व्यवहार्यता अध्ययन
- पुनर्गठन / पुनर्निर्माण अध्ययन
- मूल्यांकन अध्ययन

प्रापण

- ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स
- चिकित्सकीय संसाधन
- अन्य उपकरण
- संचार प्रणाली
- उपकरण
- फर्नीचर और फिक्स्चर

परियोजना प्रबंधन

- ठेकेदारों का चयन और कार्य का सौंपा जाना सहित परियोजना नियोजन
- परियोजना निगरानी
- गुणवत्ता नियंत्रण
- निर्माण पर्यवेक्षण
- अनुबंध प्रशासन
- वित्तीय नियंत्रण

सूचना प्रौद्योगिकी

- स्वास्थ्य एमआईएस
- प्रणाली एकीकरण

सुविधा डिजाइन

- वैचारिक डिजाइन
- बेसिक डिजाइन
- वास्तुकला डिजाइन / योजनाएं
- इंजीनियरिंग डिजाइन
- उपकरण योजना
- कचरे का प्रबंधन
- डिजाइन समन्वय

इंजीनियरिंग अध्ययन

- नवीनीकरण/पुनर्वास
- आधुनिकीकरण/उन्नयन
- एक्सपेंशन
- उत्पादकता/दक्षता में सुधार

लॉजिस्टिक्स और इंस्टॉलेशन

- परिवहन
- समाशोधन और अग्रेषण
- साइट डिलीवरी
- इंस्टॉलेशन
- परीक्षण एवं कमीशनिंग
- प्रशिक्षण

नए क्षेत्र (विविधीकरण)

- इंजीनियरिंग और सुविधाओं का रखरखाव
- पशु वैक्सीन विनिर्माण सुविधाएं
- फार्मास्युटिकल विनिर्माण सुविधाएं
- प्रवासी चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण
- जैव–प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास संस्थानों का विकास
- न्यू डेवलपमेंट इंटरनेशनल मार्केट्स में परियोजनाएं

के. पी. महादेवस्वामी
अध्यक्ष

अध्यक्ष महोदय का उद्‌बोधन

प्रिय शेयरधारको,

मुझे एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड की 42वीं वार्षिक सामान्य बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

भारत का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र परिवर्तनकारी दशक की दहलीज पर है। मितव्ययी, उच्च–गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा सेवाएँ दुनिया भर के रोगियों को आकर्षित कर रही हैं, जिससे चिकित्सा हेतु आगमन व स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान एवं विकास के वैश्विक केंद्र के रूप में हमारी स्थिति बलवती हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अगले पाँच वर्षों में 75,000 नए मेडिकल कॉलेजों की सीटों की घोषणा, स्वास्थ्य सेवा क्षमता के विस्तार और कुशल पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है–जो अभूतपूर्व क्षेत्रीय विकास की नींव रखेगी।

लगभग चार दशकों से, एचएससीसी स्वास्थ्य सेवा के अवसंरचना के विकास में अग्रणी रहा है और अवधारणा से लेकर कार्यान्वयन तक संपूर्ण समाधान प्रदान करता रहा है। हमारी विशेषज्ञता नियोजन, डिजाइन, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण और उन्नत चिकित्सा उपकरणों की खरीद (प्रापण) एवं स्थापना तक विस्तृत है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, एचवीएसी, आईटी, बायोमेडिकल और सहायक प्रणालियों को एकीकृत करने वाले बहु–विषयक दृष्टिकोण के साथ, हम अत्याधुनिक अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों के निर्माण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान करते रहेंगे।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा–परीक्षित वित्तीय विवरण और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियाँ आपके साथ साझा की गई हैं। आपकी अनुमति से, मैं अब इन्हें आपके विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

कार्य–निष्पादन का अवलोकन

आइए, मैं आपको वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान कंपनी के निष्पादन और इस वित्तीय निष्पादन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों से अवगत कराता हूँ। एचएससीसी लाभ कमाने वाली कंपनी है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, एचएससीसी 7,701 लाख रुपये के कर–पश्चात लाभ (पीएटी) के साथ लाभ में बनी रही, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 में यह 3,956 लाख रुपये, वित्त वर्ष 2022–23 में 2,267 लाख रुपये और वित्त वर्ष 2021–22 में 2,517 लाख रुपये थी। कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से ही सकारात्मक निवल मूल्य अर्जित किया है, जो वित्त वर्ष 2024–25 में 24,612 लाख रुपये तक पहुँच गया।

एचएससीसी पिछले 39 वर्षों से लाभांश का भुगतान कर रही है। पिछले तीन वर्षों में, भुगतान किए गए लाभांश में वित्त वर्ष 2023–24 के लिए ₹11.88 करोड़, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए ₹8.12 करोड़ और वित्त वर्ष 2021–22 के लिए ₹6.18 करोड़ हैं। वर्ष 2024–25 में प्रति चुकता इक्विटी शेयर ₹667/– का अंतरिम लाभांश, ₹12.00 करोड़ के बराबर, का भुगतान किया गया है और वित्त वर्ष 2024–25 के लिए प्रति चुकता इक्विटी शेयर पूंजी ₹670/– का अंतिम लाभांश, ₹12.06 करोड़ के बराबर, प्रस्तावित है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, एचएससीसी ने लगभग ₹5,402.52 करोड़ मूल्य के ऑर्डर प्राप्त किए।

व्यावसायिक अवसर और परियोजनाएँ

भारत का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी के कारण तेजी से विकसित हो रहा है। फिर भी बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण मूल्य निर्धारण पर दबाव बढ़ा है और मार्जिन पर असर पड़ा है, लेकिन इससे अभूतपूर्व विकास के अवसर भी पैदा हुए हैं।

देश में अभी भी अस्पतालों, अस्पताल के बिस्तरों, कुशल स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और गुणवत्तापूर्ण नैदानिक सुविधाओं की भारी कमी है। स्वास्थ्य सेवा के अवसंरचना के बड़े पैमाने पर विस्तार, पुनर्विकास और आधुनिकीकरण के माध्यम से इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार का पुरजोर प्रयास, प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। इसमें न केवल नई सुविधाओं का निर्माण शामिल है, बल्कि समकालीन मानकों के अनुरूप मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन भी शामिल है।

साथ ही, घरेलू और वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा समर्थित निजी क्षेत्र का निवेश पुनः गति पकड़ रहा है। भारत के अलावा, सार्क क्षेत्र के देश भी स्वास्थ्य सेवा में व्यापक सुधार की योजना बना रहे हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए रास्ते खुल रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवा परामर्श और अवसंरचना के विकास में लगभग चार दशकों के नेतृत्व के साथ, एचएससीसी इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए आदर्श स्थिति में है। हमारा सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड, एकीकृत सेवा पेशकश और बहु–विषयक विशेषज्ञता हमें भारत और विदेशों में उच्च–मूल्य वाले समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाती है, जिससे स्वास्थ्य सेवा वितरण के भविष्य को आकार देने में हमारी भूमिका और भी मजबूत होती है।

प्रमुख प्रगतिशील घरेलू परियोजनाएँ

वर्ष के दौरान, एचएससीसी ने एम्स राजकोट, एम्स शिमला, एम्स रायबरेली, एम्स दिल्ली, एम्स गुंटूर, जलगांव, नागपुर, औरंगाबाद, धुले और डिब्रूगढ़ में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के साथ–साथ राजस्थान में कई सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और आवासीय सुविधाओं का निर्माण जैसी महत्वपूर्ण घरेलू परियोजनाओं पर काम जारी रखा है।

महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और विशेष इकाइयाँ; विभिन्न राज्यों और देशों के लिए दवाओं और उपकरणों की खरीद (प्रापण) और आपूर्ति; आईटी से संबंधित कार्यय और राज्य और केंद्र सरकार दोनों की पहलों के लिए इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएँ इन परियोजनाओं के दायरे में हैं।

प्रमुख चल रही अंतरराष्ट्रीय परियोजनाएँ

एचएससीसी कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के माध्यम से अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार जारी रखे हुए है। बोलीविया, इराक, अफगानिस्तान, चाड, फिलिस्तीन और क्यूबा जैसे देशों को आवश्यक दवाओं की खरीद (प्रापण) और आपूर्ति के साथ–साथ अफगानिस्तान, प्रशांत द्वीप समूह और जिबूती को उन्नत चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति इस परियोजनाओं में हैं।

कंपनी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से यूक्रेन के लिए डीजी सेट की खरीद (प्रापण) भी कर रही है। मॉरीशस में, एचएससीसी मोका में एक नए नेत्र अस्पताल, फ्लैक में एक नए शिक्षण अस्पताल, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एक गुर्दा

प्रत्यारोपण इकाई और कैप माल्हेरेक्स और न्यू ग्रोव में क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण जैसी परियोजनाओं के माध्यम से देश के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे में योगदान दे रही है।

ये पहल एचएससीसी की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति और दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

चिकित्सा शिविर

एचएससीसी ने विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों (जीएमसी) के सहयोग से अपने कर्मचारियों के लिए कई परियोजना स्थलों पर चिकित्सा शिविर आयोजित किए। इन शिविरों ने कर्मचारियों को योग्य चिकित्सकों और अनुभवी डॉक्टरों द्वारा प्रदान की जाने वाली गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान की, जिससे उनकी भलाई सुनिश्चित हुई और एक स्वस्थ कार्य वातावरण को बढ़ावा मिला।

बढ़ते कदम

देश के स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को बढ़ावा देने पर सरकार के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के साथ, एचएससीसी इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में विकास और विस्तार के सतत चरण के लिए तैयार है, जिसमें रणनीतिक क्षेत्रों में अपना विस्तार करना भी शामिल है।

वित्त वर्ष 2024–25 में प्राप्त प्रमुख परियोजनाएँ

घरेलू परियोजनाएँ

- एम्स दरभंगा, ईएसआईसी फरीदाबाद और मानेसर तथा बुलढाणा में सरकारी मेडिकल कॉलेज में अस्पतालों का निर्माण और चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना।
- एम्स बिलासपुर और एम्स रायबरेली के लिए आवासीय भवनों का निर्माण।
- महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में विशेष इकाइयों (आईवीएफ केंद्र, विकिरण ऑन्कोलॉजी इकाइयां) की स्थापना।
- एम्स ऋषिकेश के लिए बीएसएल–3 प्रयोगशाला का निर्माण।
- महाराष्ट्र सरकार के डीएमईआर के लिए ई–लाइब्रेरी सुविधाओं की स्थापना।

अंतरराष्ट्रीय परियोजनाएँ

- चाड, इराक, बोलीविया, क्यूबा और जिबूती के लिए दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद (प्रापण) और आपूर्ति।
- फिजी गणराज्य में सुपर स्पेशियलिटी कार्डियोलॉजी अस्पताल के निर्माण सहित विदेशी कार्यों के लिए इंजीनियरिंग परामर्श सेवाओं का प्रावधान।

अन्य प्रमुख पहल

- एचएससीसी महाराष्ट्र सरकार की "टेस्ट–टू–ट्रीट आरोग्य योजना" के समर्थन से अपने रणनैतिक साझेदारों के साथ मिलकर, अगले पाँच वर्षों में बीओएमटी (बिल्ड–ऑपरेट–मेंटेन–ट्रांसफर) मॉडल पर लगभग 2000 अस्पताल बिस्तर बनाने की योजना बना रही है, जिसका संचालन 30 वर्षों से अधिक समय तक प्रस्तावित है। एचएससीसी, महाराष्ट्र सरकार की "टेस्ट–टू–ट्रीट आरोग्य योजना" के तहत यह पहल करेगी।
- कंपनी विभिन्न राज्य सरकारों/संस्थानों के सहयोग से पीपीपी (सार्वजनिक–निजी भागीदारी) मोड के तहत अत्याधुनिक नैदानिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने के अवसर तलाश रही है।
- एचएससीसी ने एम्स सहित प्रमुख केंद्रीय सरकारी संस्थानों को कुशल स्वास्थ्य सेवा जनशक्ति की आपूर्ति की प्रक्रिया शुरू की है।
- कंपनी जैव–सुरक्षा, जीनोम अनुक्रमण और रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सीबीआरएन) रक्षा जैसे रणनीतिक और उच्च–प्रभाव वाले क्षेत्रों में व्यापक व्यावसायिक उपस्थिति विकसित करने के अवसर तलाश रही है। इस पहल का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विकास दृष्टिकोण के अनुरूप, परिचालन क्षमताओं को बढ़ाते हुए कंपनी

की रणनीतिक और भौगोलिक उपस्थिति का विस्तार करना है। इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके, कंपनी भारत के तकनीकी आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के दीर्घकालिक लक्ष्यों में योगदान देना चाहती है।

- आम जनता को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य और केंद्र सरकार के अस्पतालों में एचएससीसी द्वारा संचालित फार्मेसियां स्थापित करने की योजना पर भी काम चल रहा है।

अभिशासन और जनता

एचएससीसी ने डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट अभिशासन विनियमों का पालन किया है। इसका विवरण निदेशक मण्डल रिपोर्ट के भाग 'कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट' अनुभाग में देखा जा सकता है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक (सीएजी) ने कंपनी के वार्षिक खातों पर 'शून्य' टिप्पणियाँ की हैं – जो पारदर्शिता, अनुपालन और सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

एचएससीसी का मानना है कि अच्छा कॉर्पोरेट अभिशासन सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एचएससीसी कॉर्पोरेट अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और सांविधिक मानदंडों के अनुसार निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन आवश्यकताओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्ष के दौरान, लक्षित प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास पहलों के माध्यम से हमारे कर्मचारियों के कौशल को निखारने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। अनुभवी नेतृत्व टीम के नेतृत्व में हमारा समर्पित और कुशल कार्यबल, एचएससीसी की निरंतर वृद्धि, परिचालन उत्कृष्टता और निरंतर निष्पादन के पीछे प्रेरक शक्ति बना हुआ है।

स्वीकृतियाँ

एचएससीसी की ओर से, मैं विभिन्न राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों, विशेष रूप से हमारे प्रशासनिक मंत्रालय – आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), निदेशक मंडल, भारत के नियंत्रक और महालेखा–परीक्षक और अन्य नियामक निकायों के अधिकारियों को उनके अमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

मैं अपने आपूर्तिकर्ताओं, एजेंसियों और विक्रेता भागीदारों की महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना करना चाहता हूँ, जिनके सहयोग ने समय पर उच्च–गुणवत्ता वाली परियोजनाएँ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे बढ़कर, मैं एचएससीसी के प्रत्येक कर्मचारी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिनकी प्रतिबद्धता, समर्पण और कड़ी मेहनत हमारी उपलब्धियों का आधार है।

अंत में, मैं अपने शेयरधारकों, हितधारकों और बैंकरों को एचएससीसी में उनके निरंतर विश्वास और भरोसे के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आइए, हम सब मिलकर भारत के स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाते रहें और आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक स्वस्थ एवं अधिक लचीले राष्ट्र का निर्माण करें।

शुभकामना सहित,

आपका,

हस्ता./–
(के. पी. महादेवस्वामी)
अध्यक्ष
डीआईएन संख्या 10041435

नौमान अहमद
प्रबंध निदेशक

प्रबंध निदेशक का पत्र

प्रिय शेयरधारको,

हमारी कंपनी की 42वीं वार्षिक सामान्य बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज, मुझे वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, जिसमें हमारे वित्तीय विवरणों के साथ–साथ लेखा–परीक्षा रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियाँ भी समाहित हैं।

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। 1983 में अपनी स्थापना के बाद से, एचएससीसी अपने मिशन–भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए अवधारणा से लेकर कार्यान्वयन तक व्यापक परामर्श सेवाएं प्रदान करना, पर अडिग रही है।

इन वर्षों में, हमने न केवल विकास किया है, बल्कि निरंतर लाभ अर्जित करने वाले संगठन के रूप में अपनी स्थिति को भी मजबूत किया है। यह हमारी क्षमताओं, हमारे लचीलेपन और हमारे ग्राहकों के हम पर भरोसे का सच्चा प्रतिबिंब है।

हमारी धारक कंपनी, एनबीसीसी के बहुमूल्य ज्ञान–साझाकरण, तकनीकी विशेषज्ञता और कार्यान्वयन उत्कृष्टता ने हमारी यात्रा को और समृद्ध बनाया है। इन तालमेलों का लाभ उठाते हुए, एचएससीसी अब निर्माण और अवसंरचना के क्षेत्र में रोमांचक नए अवसरों की खोज के लिए तैयार है।

एचएससीसी ने स्वास्थ्य सेवा परामर्श में अग्रणी के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। हमारी विशेषज्ञता अस्पताल नियोजन, वास्तुशिल्प डिजाइन, विस्तृत इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन, और चिकित्सा उपकरणों की खरीद, आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के संपूर्ण चक्र में फैली हुई है। हम व्यवहार्यता अध्ययन और निविदा दस्तावेजीकरण से लेकर परियोजना निष्पादन तक, सिविल, विद्युत, आईटी और सहायक सेवाओं को कवर करते हुए, संपूर्ण समाधान प्रदान करते हैं।

जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, हम अपने क्षितिज का विस्तार करने, उत्कृष्टता प्रदान करने, तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र और उससे आगे निकालने के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

वर्ष के दौरान, एचएससीसी ने निम्नलिखित प्रमुख नई परियोजनाएं प्राप्त की हैं :–

वर्ष के दौरान, एचएससीसी को कई प्रमुख नई परियोजनाएँ प्राप्त हुईं, जैसे एम्स दरभंगा, ईएसआईसी फरीदाबाद और मानेसर, तथा बुलढाणा स्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में अस्पतालों का निर्माण और चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना, साथ ही एम्स बिलासपुर और एम्स रायबरेली के लिए आवासीय भवनों का निर्माण और एम्स ऋषिकेश के लिए बीएसएल–3 प्रयोगशाला का निर्माण है। इन परियोजनाओं में चाड, इराक, बोलीविया, क्यूबा और जिबूती के लिए दवाओं और उपकरणों की प्रापण और आपूर्ति; विशेष इकाइयों (आईवीएफ केंद्र, विकिरण ऑन्कोलॉजी इकाइयाँ) की स्थापना; महाराष्ट्र में एक ई–लाइब्रेरी की स्थापना; और फिजी में सुपर स्पेशियलिटी कार्डियोलॉजी अस्पताल के निर्माण जैसे अंतरराष्ट्रीय कार्यों के लिए इंजीनियरिंग परामर्श सेवाओं का प्रावधान भी समाहित है।

वर्ष के दौरान प्रगतिशील प्रमुख घरेलू परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :––

वर्ष के दौरान, एचएससीसी ने जिनमें एम्स राजकोट, एआईएमएसएस शिमला, एम्स रायबरेली, एम्स दिल्ली, एम्स गुंटूर, जलगांव, नागपुर, औरंगाबाद, धुले और डिब्रूगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के साथ–साथ राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और आवासीय सुविधाओं का निर्माण जैसी प्रमुख घरेलू परियोजनाओं पर काम जारी रखा है। इन परियोजनाओं में छात्रावास, प्रयोगशालाएँ, आइसोलेशन वार्ड, प्रतीक्षालय और विशेष इकाइयाँ जैसे महत्वपूर्ण अवसंरचना; विभिन्न राज्यों और देशों के लिए दवाओं और उपकरणों की प्रापण और आपूर्ति; आईटी कार्य और राज्य एवं केंद्र सरकार की पहलों के लिए इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएँ भी समाहित हैं।

प्रमुख प्रगतिशील अंतरराष्ट्रीय परियोजनाएँ

एचएससीसी कई प्रमुख प्रगतिशील अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के माध्यम से विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। इन परियोजनाओं बोलीविया, इराक, अफगानिस्तान, चाड, फिलिस्तीन और क्यूबा जैसे देशों को आवश्यक दवाओं की खरीद (प्रापण) और आपूर्ति समाहित है। हम अफगानिस्तान, प्रशांत द्वीप समूह और जिबूती को उन्नत चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति के साथ–साथ भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से यूक्रेन को डीजी सेट की खरीद (प्रापण) में भी लगे हुए हैं। मॉरीशस में, एचएससीसी मोका में एक नए नेत्र अस्पताल, फ्लैक में एक नए शिक्षण अस्पताल, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एक रीनल ट्रांसप्लांट यूनिट और कैप माल्हेरेक्स और न्यू ग्रोव में क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण जैसी परियोजनाओं के साथ स्वास्थ्य सेवा के अवसंरचना में योगदान दे रहा है। ये पहल हमारी बढ़ते वैश्विक व्यापर और दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

वर्ष 2024–25 के दौरान नई व्यावसायिक पहलें

- लाभ साझेदारी के तहत विश्व स्तरीय और सबसे उन्नत रोबोटिक क्लिनिकल परीक्षण प्रयोगशाला और अत्याधुनिक रोबोटिक पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की संभावना तलाशना।
- विभिन्न राज्यों में जैव–चिकित्सा उपकरणों के व्यापक रखरखाव के लिए सेवाएं प्रदान करने की संभावनाएं तलाशना।
- भारत और विदेशों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का व्यापक संचालन और रखरखाव प्रदान करने की संभावनाएं तलाशना।
- राजस्व साझेदारी के आधार पर चयनित निजी भागीदारों के साथ अस्पतालों के पूर्ण प्रबंधन और संचालन की संभावनाओं की खोज करना।
- भारत सरकार की पहल के तहत विदेशों में चिकित्सा, अर्ध–चिकित्सा और अन्य प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार स्तर पर व्यापक ई–स्वास्थ्य समाधान तलाशना।
- टैस्ट–टू–ट्रीट आरोग्य योजना, जिसके तहत महाराष्ट्र में बीओएमटी मोड पर लगभग 2,000 बिस्तरों का निर्माण किया जाएगा।
- आम जनता को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए राज्यध्केन्द्र सरकार के अस्पतालों में फार्मेसियों की स्थापना।
- जैव–सुरक्षा, जीनोम अनुक्रमण, रासायनिक जैविक रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सीबीआरएन) रक्षा आदि जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक स्थान विकसित करने की संभावनाओं की खोज करना और विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए कंपनी के परिचालन रणनीतिक और भौगोलिक व्यापार को बढ़ाना।
- एम्स जैसे संस्थानों के लिए कुशल जनशक्ति की आपूर्ति एवं अंतराल विश्लेषण की खोज करना।

- राज्य/केन्द्र सरकार के अस्पतालों में आधुनिक डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना।
- मोबाइल आधारित अस्पताल परियोजनाओं की स्थापना।
- टेलीहेल्थ और वर्चुअल क्लिनिक स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म परियोजना की स्थापना।

वित्तीय विकास की समीक्षा

जैसा कि हमारी वित्त वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है, मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि एचएससीसी ने सचमुच उल्लेखनीय निष्पादन किया है। वर्ष के दौरान, हमने पिछले वर्ष के ₹ 1,395.08 करोड़ (पुनर्घोषित) से उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए ₹ 2,099.24 करोड़ की कुल आय प्राप्त की है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि हमारा कर–पूर्व लाभ बढ़कर ₹ 102.74 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष दर्ज ₹ 54.62 करोड़ से लगभग दोगुना है। यह असाधारण वृद्धि हमारी टीम के समर्पण और हमारे शेयरधारकों के अमूल्य सहयोग को दर्शाती है। हम सब मिलकर निरंतर उत्कृष्टता के पथ पर अग्रसर हैं और भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं।

लाभांश

मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एचएससीसी ने अंतरिम लाभांश के रूप में प्रति शेयर ₹ 667 का भुगतान किया है और ₹ 100 प्रति पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर पर ₹ 670 का अंतिम लाभांश शेयरधारकों के अनुमोदनार्थ प्रस्तावित किया है, जो इक्विटी शेयर पूंजी पर 1337% का प्रभावशाली प्रतिफल है। इसे और भी खास बनाने वाली बात यह है कि यह लगातार 40वाँ वर्ष है जब एचएससीसी ने गर्व पूर्वक लाभांश घोषित किया है, जो साल–दर–साल हमारे शेयरधारकों को मूल्य प्रदान करने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

समझौता ज्ञापन

हमारा शीर्ष प्रबंधन मजबूत लागत नियंत्रण उपायों, इष्टतम संसाधन उपयोग और निरंतर प्रणाली सुधारों सहित रणनीतिक पहलों के माध्यम से कारोबार और कर–पूर्व लाभ दोनों में निरंतर वृद्धि लाने पर केंद्रित है।

मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि इन प्रयासों की बदौलत, एचएससीसी को वित्त वर्ष 2023–24 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत "उत्कृष्ट" रेटिंग मिली है। इस मजबूत निष्पादन के आधार पर, हमें विश्वास है कि एचएससीसी वित्त वर्ष 2024–25 के लिए फिर "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त करने की राह पर है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में होने के कारण, एचएससीसी की सभी गतिविधियां और संचालन अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति समर्पित रहे हैं।

वर्ष 2024–25 के दौरान, एचएससीसी ने सीएसआर व्यय के रूप में कुल 74.15 लाख रुपये का योगदान दिया है, 74.15 लाख रुपये का विस्तृत विभाजन नीचे उल्लिखित है :–

- ज्ञानम एजुकेशनल एंड सोशल वेल्फेयर सोसायटी, सिरोही, राजस्थान के लिए भोजन, शैक्षिक सामग्री, कपड़े और खेल उपकरण पर ₹ 5.00 लाख का व्यय।
- अर्पण सेवा संस्थान, दमोह, मध्य प्रदेश के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं को सुदृढ़ करने, स्वास्थ्य शिविरों और पूरक आहार के वितरण के लिए ₹ 5.00 लाख का व्यय।
- नागरिक कल्याण राज्य, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के लिए स्वास्थ्य और खेल उपकरण वितरण शिविर पर ₹ 5.00 लाख का व्यय।
- उम्मेद फाउंडेशन, बालासोर, ओडिशा के लिए सिलाई मशीन के वितरण पर ₹ 4.95 लाख का व्यय।
- हिमाचल प्रदेश (आकांक्षी जिला) के चंबा के स्कूल में कक्षा और शौचालय की मरम्मत के लिए ₹ 9.00 लाख का व्यय।
- मध्य प्रदेश के दमोह (आकांक्षी जिला) के स्कूल में कक्षा और शौचालय की मरम्मत के लिए ₹ 8.79 लाख का व्यय।
- नागालैंड (आकांक्षी जिला) के किफिरे स्कूल में कक्षा और शौचालय की मरम्मत के लिए ₹ 9.41 लाख का व्यय।

- फतेहपुर, उत्तर प्रदेश (आकांक्षी जिला) के स्कूल में कक्षा और शौचालय की मरम्मत के लिए ₹ 9.00 लाख का व्यय।
- असम के गोलपारा (आकांक्षी जिला) के स्कूल में कक्षा और शौचालय की मरम्मत के लिए ₹ 9.00 लाख का व्यय।
- सिक्किम (आकांक्षी जिला) के ग्यालशिंग स्कूल में कक्षा और शौचालय की मरम्मत के लिए ₹ 9.00 लाख का व्यय।

वृद्धि पर दृष्टि

विश्व–स्तरीय परामर्शदाता संगठन के रूप में विकसित होने के लिए, संचालन में विविधता लाने और विस्तार करने पर जोर दिया जा रहा है। हमारा लक्ष्य निम्नलिखित द्वारा अग्रणी परामर्शदाता कंपनी बने रहना है :–

- भारत और विदेशों में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए मूल्यवर्धित, नवीन और एकीकृत सेवाएं प्रदान करना
- अन्य अवसंरचना परियोजनाओं में हमारी मुख्य क्षमता का लाभ उठाना
- अपने पेशेवर कर्मचारियों को उत्साहवर्धक एवं सक्षम कार्य वातावरण प्रदान करना।
- रणनीतिक क्षेत्रों में कंपनी का विस्तार करना।

कॉर्पोरेट अभिशासन

एचएससीसी में, हमारा सिद्धांत पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और उत्तरदायित्व पर आधारित है। हम नैतिकता और व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और देश के कानूनों और नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे व्यवसाय का हर पहलू निष्पक्षता, खुलेपन और उत्तरदायित्वपूर्ण प्रकटीकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, क्योंकि हम विश्वास और उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देना जारी रखते हैं।

आभार

अंत में, निदेशक मंडल और अपनी ओर से मैं हमारी मूल कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सभी शेयरधारकों द्वारा कंपनी को दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन, समर्थन और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

मैं अपने सभी सम्मानीय शेयर–धारकों को धन्यवाद देता हूँ जिनका बहुमूल्य समर्थन, मार्ग–दर्शन एवं सहयोग हमें निरन्तर मिलता रहा है और जो सदैव हमारे शक्ति–स्रोत रहे हैं।

हमारे सम्मानित शेयरधारकों–जिनका निरंतर विश्वास और भरोसा हमारी सफलता की आधारशिला है, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने सभी मूल्यवान ग्राहकों– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, एम्स दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, मॉरीशस सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार, महाराष्ट्र सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और अन्य व्यावसायिक सहयोगियों को निरंतर समर्थन और हम पर विश्वास जताने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। कम्पनी का ध्यान हमेशा की तरह ग्राहकों की संतुष्टि पर केंद्रित रहेगा।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक (सीएजी), हमारे वैधानिक लेखा–परीक्षकों और आंतरिक लेखा–परीक्षकों को उनके बहुमूल्य निरीक्षण और सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

मैं कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उनके सभी स्तरों पर कठिन परिश्रम, प्रतिबद्धता और अथक प्रयासों की सराहना करता हूँ। मुझे दिए गए आपके सहयोग और समर्थन के बदले में, मैं आपकी कंपनी को नई और शानदार ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा करता हूँ।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे–जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपके निरंतर समर्थन से, हम एचएससीसी को नई ऊँचाइयों पर ले जाने, नए मानक स्थापित करने और स्वास्थ्य सेवा परामर्श में एक विश्वसनीय अग्रणी के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने का प्रयास करेंगे।

हस्ता. / –
नौमान अहमद
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10054994

सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों की 42वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") बुधवार, 10 सितंबर, 2025 को दोपहर 12:45 बजे, भारतीय मानक समय ("आईएसटी") कन्वेंशन सेंटर, ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस ब्लॉक–1, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110029 में तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') माध्यमों से निम्नलिखित कार्य निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी :–

सामान्य कार्य :–

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की निदेशक मण्डल की रिपोर्ट, वैधानिक लेखा–परीक्षा रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियों को समाहित करने वाले लेखा–परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों पर विचार करना, अनुमोदन करना और अंगीकार करना।

2. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 100 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर 670 रुपये का अंतिम लाभांश घोषित करना।

3. भारत के नियंत्रक महालेखा–परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा–परीक्षक(ओं) का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

विशेष कार्य :–

4. **डॉ. जितेंद्र घनश्यामलाल नागर (डीआईएन : 09547357) की कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति को नियमित करने तथा यदि उचित समझे जाने पर निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:**

   "संकल्प किया जाता है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के आदेश क्रं. O-17034/39/2014-PS (भाग–I) के अनुसार और उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों पर, एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. जितेंद्र घनश्यामलाल नागर (डीआईएन : 09547357) की नियुक्ति की जाती है और एतद द्वारा नोट किया जाता है।"

   यह भी संकल्प किया जाता है कि डीपीई दिशा–निर्देशों के पैरा 3.1.4 और उसके किसी भी अन्य लागू नियमों और अन्य लागू प्रावधानों (किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या अधिनियम सहित) और कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार, डॉ. जितेंद्र घनश्यामलाल नागर (डीआईएन : 09547357) को आगामी सामान्य बैठक में शेयरधारक के अनुमोदन के अधीन, 9 मई, 2025 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

   यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक और किसी भी अन्य अधिकारी को ऐसे सभी कार्य, विलेख, विषय एवं चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिन्हें उन्हें प्रभावी करने के लिए आवश्यक या समीचीन माना जा सकता है।

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के
निदेशक मंडल के आदेशानुसार

हस्ता./–
नौमान अहमद
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10054994
पता :– सी2/52सी, ग्राउंड फ्लोर, सफदरजंग डवलप्मैंट एरिया,
नई दिल्ली–110016

स्थान : नौएडा
दिनांक : 01 अगस्त, 2025

टिप्पणियाँ

1. बिन्दु 4 में वर्णित वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में निष्पादित किए जाने वाले विशेष कार्यों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुपालन में प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ अनुलग्नित है।

2. **वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने का पात्र सदस्य, अपनी ओर से उपस्थित होने और उसके स्थान पर मतदान करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का पात्र होता है। प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए किया गया लिखित जो इसे प्रभावी बनाता हो, वार्षिक आम बैठक के निर्धारित समय से अड़तालीस (48 घंटों) (प्रॉक्सी प्रतिनिधि फार्म संलग्न है) पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।**

3. एमसीए परिपत्र के अनुरूप, 42वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.hsccltd.co.in पर उपलब्ध होगी।

4. उपस्थिति पर्ची, प्रतिनिधि फार्म और बैठक स्थल के मार्ग का नक्शा भी इसके साथ अनुलग्नित है।

5. चूंकि सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है, इसलिए यदि बैठक के दौरान किसी संकल्प पर मतदान कराना आवश्यक हो तो सदस्य अपने पंजीकृत मेल आईडी से cs_hscc@hsccltd.co.in पर ईमेल भेजकर अपना वोट भेज सकते हैं।

6. निदेशक मण्डल ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी पर 100/– रुपए प्रति शेयर के लिए प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 670/– रुपए प्रति शेयर (अर्थात, 660%) अंतिम लाभांश की अनुशंसा की है। इसे आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

7. लाभांश वितरण में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) संबंधी संदेशः जैसा कि आप जानते होंगे, आयकर अधिनियम, 1961 (''आईटी अधिनियम'') की धारा 115–ओ के अनुसार घरेलू कंपनियों द्वारा लाभांश घोषणा पर देय लाभांश वितरण कर को 1 अप्रैल 2020 से समाप्त कर दिया गया है। इस संशोधन एवं वित्त अधिनियम, 2020 के माध्यम से लाए गए कुछ परिणामी संशोधनों के अनुपालन में, कंपनी आईटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद वितरित लाभांश के लिए स्रोत पर कर (''टीडीएस'') काटने के लिए बाध्य होगी।

8. लाभांश उद्देश्यों के लिए नियत तिथि 02 सितंबर, 2025 है। यदि वार्षिक आम बैठक में इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश घोषित किया जाता है, तो उन सभी सदस्यों को 08 अक्टूबर, 2025 को या उससे पहले अंतिम लाभांश का भुगतान किया जाएगा जिनका नाम 02 सितंबर, 2025 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है।

9. चूंकि कंपनी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सदस्यों द्वारा एजीएम में भाग लेने की सुविधा भी प्रदान कर रही है, इसमें भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।

10. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 05 मई 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021, 17/2020, 14/2020, 10/2022 और 09/2023 क्रमशः दिनांक 13 जनवरी, 2021, 13 अप्रैल, 2020, 8 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2022 28 दिसंबर, 2022 और 25 दिसंबर, 2023 (समग्र रूप से ''एमसीए परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) के द्वारा से सार्वजनिक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल (वीसी) माध्यमों से वार्षिक आम सभा का आयोजन करने की अनुमति दी है।

11. कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 139 (5) अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महा–लेखा–परीक्षक द्वारा किसी सरकारी कंपनी के लेखा–परीक्षक नियुक्त किए जाते है और वार्षिक आम बैठक में उनका पारिश्रमिक धारा 142 के अनुसरण में या वार्षिक आम बैठक में निर्धारित किए अनुसार कंपनी द्वारा नियत किया जाता है। यह प्रस्ताव किया जाता है कि सदस्य, भारत के नियंत्रक एवं महा–लेखा–परीक्षक द्वारा यथोचित रूप से नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा–परीक्षकों के लिए लागू करों और वास्तव में की गई यात्रा तथा अपने खर्च से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति सहित उनका पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत कर सकते हैं।

12. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार संलग्न नोटिस और विवरण में संदर्भित सभी दस्तावेज एजीएम से पहले 10 सितंबर, 2025 से पहले सभी कार्य दिवसों पर सुबह 11.00 बजे से शाम 05.00 बजे के बीच (शनिवार एवं रविवार को छोड़कर) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए खुले हैं।

13. जो सदस्य बैठक में वार्षिक लेखों की सूचना प्राप्त करना चाहते हैं उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी को एजीएम की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले cs_hscc@hsccltd.co.in पर अनुरोध भेज कर सूचित करें।

14. शेयरधारकों को इस सूचना की भौतिक प्रति के अलावा सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध कराई जाएगी।

15. नियुक्त/पुनर्नियुक्त होने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण नोटिस का हिस्सा है।

सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ओएवीएम माध्यमों द्वारा वार्षिक आम सभा से जुडने/उपस्थित होने के अनुदेश :

1. भौतिक बैठक आयोजित करने के अलावा, कंपनी सदस्यों को नीचे दिए गए लिंक पर वीसी/ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा भी प्रदान कर रही है :–

   लिंक : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a582ec4fece214b988d6ae722223e40e9%40thread.tacv2/1753795617513?context=%7b%22Tid%22%3a%22e5b04c44-bc23-415f-8591-633eb11e4253%22%2c%22Oid%22%3a%22d77c61c9-07fa-4098-bb67-e80e6380010a%22%7d

   बैठक का उपर्युक्त लिंक एजीएम की नियत तिथि से कम से कम 48 घंटे पहले सदस्यों को उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल पर भी अलग से भेजा जाएगा।

2. बैठक से अनलाइन जुडने की यह सुविधा बैठक के शुरू होने के निर्धारित समय से ठीक 30 मिनट पहले से उपलब्ध होगी और समाप्त होने के निर्धरित समय से 15 मिनट बाद बन्द कर दी जाएगी।

3. जिन सदस्यों को वार्षिक सामान्य बैठक से पहले या बैठक के दौरान किसी प्रकार की सहायता चाहिए वे कंपनी सचिव, एचएससीसी से cs_hscc@hsccltd.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुपालन में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 4 : डॉ. जितेंद्र घनश्यामलाल नागर (डीआईएन : 09547357) की कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति को नियमित करना।

डीपीई दिशा–निर्देशों के पैरा 3.1.4 के अनुसार, निदेशक मण्डल के कम–से–कम एक–तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और प्रबंधन पद्धतियों की बेहतर समझ के लिए एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति आवश्यक है।

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, भारत सरकार का उद्यम है और एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक मण्डल के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा आवासन और शहरी कार्य के मंत्रालय के माध्यम से की जाती है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने दिनांक 9 मई, 2025 के कार्यालय आदेश क्रं. ओ–17034/39/2014–पीएस के माध्यम से डॉ. जितेंद्र घनश्यामलाल नागर को एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में 09.05.2025 से एक वर्ष की अवधि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक नियुक्त करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की थी।

निदेशक मण्डल की राय में, एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री जितेंद्र घनश्यामलाल नागर की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 में निर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करती है।

डॉ. जितेंद्र घनश्यामलाल नागर का विवरण सूचना के "अनुलग्नक–I" में दिया गया है। नियुक्त किए जा रहे स्वतंत्र निदेशक को छोड़कर, किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या उनके रिश्तेदार के हितकर नहीं है। निदेशक मण्डल सदस्यों के अनुमोदन हेतु मद संख्या 4 में दिए गए अनुसार साधारण प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के
निदेशक मंडल के आदेशानुसार

हस्ता./–
नौमान अहमद
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10054994
पता :– सी2/52सी, ग्राउंड फ्लोर, सफदरजंग डवलप्मैंट एरिया,
नई दिल्ली–110016

स्थान : नौएडा
दिनांक : 01 अगस्त, 2025

अनुलग्नक –1

42वीं वार्षिक सामान्य बैठक में नियुक्ति चाहने वाले स्वतंत्र निदेशक का संक्षिप्त विवरण

नाम	**डॉ. जितेंद्र घनश्यामलाल नागर (डीआईएन : 09547357)**
जन्म तिथि	15/11/1969
योग्यताएँ	जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर (राजस्थान) से एमडी
मण्डल में प्रथम नियुक्ति की तिथि	09/05/2025
अनुभव	चिकित्सा क्षेत्र में 26 वर्ष।
नियुक्ति की शर्तें और नियम	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार
भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक और पारिश्रमिक अंतिम आहरित	निदेशक मण्डल की स्वीकृति के अनुसार बैठक शुल्क
एचएससीसी में धारित शेयरों की संख्या	शून्य
अन्य निदेशकों और केएमपी के साथ संबंध	कंपनी के किसी भी निदेशक से कोई संबंध नहीं।
वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या	शून्य (नियुक्ति 9 मई, 2025 से प्रभावी)
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	डॉ. जितेंद्र घनश्यामलाल नागर, जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर से एम.बी.बी.एस. और एम.डी. हैं। वे सलाहकार मधुमेह रोग विशेषज्ञ और मधुमेह विद्यालय, डीसा के निदेशक हैं। उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम, एच.एम.एल. के निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।
अन्य कंपनियों में निदेशक पद	शून्य
अन्य कंपनियों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	शून्य

*केवल लेखा–परीक्षा समिति और शेयरधारक संबंध समिति की सदस्यता को ही ध्यान में रखा गया है।

एचएससीसी की 42वीं वार्षिक आम–सभा बैठक

दिनांक : बुधवार, 10 सितंबर, 2025
समय: दोपहर 12:45 बजे
स्थान : कन्वेंशन सेंटर, भूतल, कार्यालय ब्लॉक–1,
पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली–110029

मार्ग मानचित्र

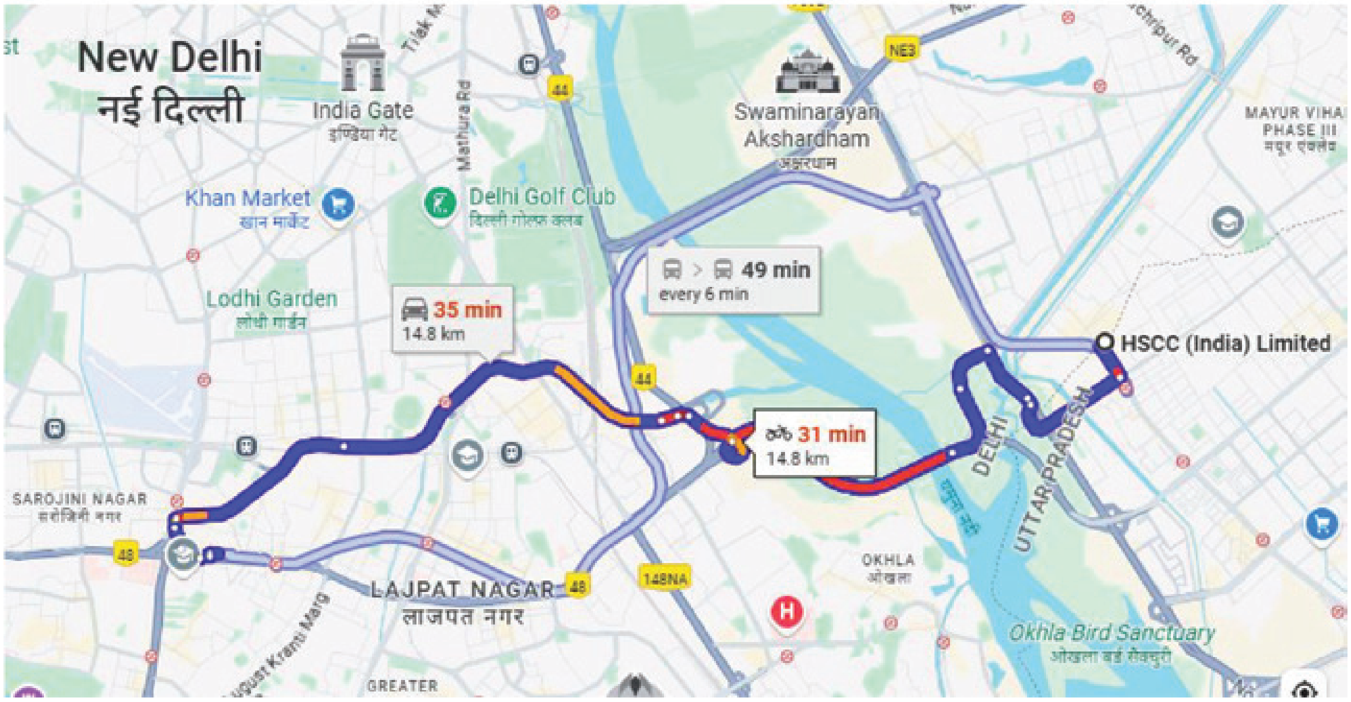

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारक

आपकी कंपनी के निदेशकों को प्रसन्नता है कि एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के कारोबार और परिचालन पर 42वीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लेखा–परीक्षित वित्तीय विवरण, लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक द्वारा लेखों पर टिप्पणियों के साथ आपको प्रस्तुत की जा रही है।

वित्तीय परिणाम : मुख्य बिन्दु

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी के मुख्य वित्तीय परिणामों के साथ–साथ भारतीय लेखा मानकों के अनुसार वर्ष 2023–24 तुलनात्मक आंकड़ों को नीचे दर्शाया गया है :–

(लाख रुपए में)

विवरण	2024-25	2023-24
कुल आय	209,923.74	139,508.28
कुल व्यय	199,650.07	134,046.57
विशिष्ट एवं असाधारण मदों से पूर्व लाभ	10,273.67	5,461.71
विशिष्ट एवं असाधारण मदें	-	-
कर पूर्व लाभ	10,273.67	5,461.71
कर व्यय (निवल)	2,572.20	1,505.38
कर पश्चात लाभ	7,701.47	3,956.34
प्रदत्त लाभांश (डीडीटी को छोड़कर)	2,388.78	811.86
निवल मूल्य	24,612.48	19,325.36
प्रति शेयर आय (रुपये में)		
(क) बेसिक	4,278.26	2,197.79
(ख) डाइल्यूटिड	4,278.26	2,197.79

पूंजीगत संरचना

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु. 5.00 करोड़ है। पूरे वर्ष के दौरान कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 1.80 करोड़ थी।

लाभांश

आपके निदेशकों ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान प्रत्येक 100/– के इक्विटी शेयर पूजी पर प्रदत्त इक्विटी पूंजी के लिए रु. 670/– प्रति शेयर अंतिम लाभांश के भुगतान की अनुशंसा की है जो 12.06 करोड़ रुपए की राशि है और वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।

मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से निधियां

मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से निधियां निम्नानुसार हैं :–

मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
विवरण	**रु करोड़ में**	**रु करोड़ में**
नकद एवं नकद समकक्ष	494.04	445.56
अन्य बैंक शेष (सावधि और फ्लेक्सी जमा)	828.28	1,476.03

आरक्षित निधि

कंपनी ने 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सामान्य आरक्षित निधि में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है।

निष्पादन के प्रमुख बिन्दु

आपकी कंपनी ने परिचालन के क्षेत्र में भौगोलिक और वित्तीय रूप से विस्तार करने का सिलसिला जारी रखा है। परिचालन के क्षेत्रों में विस्तार, नवाचार और उत्कृष्टता के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। कंपनी की विभिन्न गतिविधियों के निष्पादन में उच्च स्तर की तकनीकी विशेषज्ञता और उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु विशेषज्ञों और सलाहकारों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 2024–25 के दौरान, आपकी कंपनी को विभिन्न प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं के लिए डिजाइन और इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन और चिकित्सा उपकरणों के प्रापण आदि के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने का कार्य प्रदान किया गया था। वर्ष 2024–25 के दौरान, आपकी कंपनी ने 31 मार्च 2025 तक कुल रु. 2000.32 करोड़ का कारोबार और ₹246.12 करोड़ की निवल संपत्ति अर्जित की है।

प्रमुख प्रगतिशेल परियोजनाओं की सूची अनुलग्नक–क में दी गई है।

समझौता ज्ञापन

आपकी कंपनी को वर्ष 2023–24 के लेखा–परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर होल्डिंग कंपनी यानि एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड से "उत्कृष्ट" एमओयू रेटिंग प्राप्त हुई है।

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए, होल्डिंग कंपनी यानि एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के साथ कंपनी के वित्तीय और भौतिक प्रदर्शन के आधार पर मापदंडों को अंतिम रूप दिया है। वित्तीय प्रदर्शन के मामले में, एचएससीसी ने रु. 2085.81 करोड़ परिचालन से राजस्व प्राप्त किया और भौतिक मानकों में उपलब्धि नीचे दी गई है :–

- क्षमता उपयोग–निर्मित क्षेत्र 8.57 मिलियन वर्ग फुट है।
- विदेशों से राजस्व रु. 40.68 करोड़
- वर्ष के दौरान सुरक्षित नया व्यवसाय रु. 5402.52 करोड़
- निर्दिष्ट समय के भीतर ज्त्मकै पोर्टल के माध्यम से माल और सेवाओं के चालान की स्वीकृति/अस्वीकृति – 100%
  - i. सभी संचालित TReDS पोर्टल पर सीपीएसई की ऑनबोर्डिंग – 100%
  - ii. सीपीएसई के उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी) या आपूर्तिकर्ता चालान का एकीकरण – 100%
  - iii. एमएसई आपूर्तिकर्ताओं को नियत दिन से 45 दिनों के भीतर समय पर भुगतान – 100%
- कुल प्रापण के प्रतिशत के रूप में जेम से प्रापण– 100%

सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रतिबद्धता

स्वास्थ्य और सुरक्षा

एचएससीसी ने जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कार्यालय परिसर और नौएडा स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय के निकट प्रमुख दृष्टि सुलभ स्थानों पर आईईसी विषय वस्तु का प्रदर्शन किया गया है। एचएससीसी ने सभी कर्मचारियों में तपेदिक के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विचार–विमर्श सत्रों का भी आयोजन किया।

कार्यालय के कर्मचारियों और श्रमिकों को 27 जनवरी, 2025 को नि–क्षय शपथ दिलाई गई है।

एचएससीसी ने राज्य नोडल स्वास्थ्य विभाग (डॉ. बी.आर.एम. अस्पताल, सैक्टर–39, नौएडा, उत्तर प्रदेश) के परामर्श से 14 फरवरी, 2025 को नौएडा स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय में कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए निक्षय शिविर (स्क्रीनिंग शिविर) का आयोजन किया।

कंपनी के निर्धारित आयु वर्ग के कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को वार्षिक स्वास्थ्य जाँच कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि वे उनकी स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में जागरूक रहने और उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु डॉक्टरों से आवश्यक सलाह लें। कर्मचारियों को उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थितियों और किसी समस्या (यदि हो तो) के बारे में जागरूक करने हेतु कार्यालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया ताकि वे निवारक उपाय कर सकें। साथ ही, कर्मचारियों को उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने के बारे में जागरूक करने हेतु कार्यालय में स्वास्थ्य विचार–विमर्श सत्र का भी आयोजन किया गया।

कार्यस्थल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए कार्यालय परिसर का नियमित रूप से सैनिटाइजेशन और फॉगिंग किया गया।

भारतीय लेखांकन मानक

कंपनी ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अपने वित्तीय विवरणों को तैयार करने और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को अपनाने हेतु भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा निर्धारित तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों का पालन किया है।

आई.एस.ओ. प्रमाणन

आपकी कंपनी सिविल निर्माण परियोजना के निर्माण, प्रापण एवं प्रबंधन में आई.एस.ओ. 9001:2015 प्रमाणित है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण एवं विदेशी मुद्रा अर्जन व बहिर्गमन

आपकी कंपनी ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूक है और प्राकृतिक प्रकाश, सौर प्रकाश और एलईडी संस्थापनों के अधिकतम उपयोग का पक्षपोषण करके, अपने ग्राहकों के परामर्श से इस पहलू का ध्यान रखा जाता है। आपकी कंपनी ने किसी भी तकनीक का आयात नहीं किया है और समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन या व्यय का विवरण इस प्रकार है :–

(रु. करोड़ में)

	31 मार्च, 2023 के अनुसार
क. व्यय	
• यात्रा	0.23
• सी.आई.एफ. आधार पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात (ग्राहकों की ओर से)	शून्य
ख. मॉरीशस परियोजना शुल्क	7.35

कल्याणकारी गतिविधियां

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को प्रेरित रखने के लिए समारोह आयोजित करना, विभिन्न अवसरों को हर्षोल्लास के साथ मनाना और सामाजिक लाभ प्रदान करना जारी रखे हुए है।

मानव संसाधन

एचएससीसी ज्ञान आधारित कंपनी होने के नाते, इसकी असली ताकत इसकी मानवशक्ति में निहित है। किसी भी कम्पनी की वास्तविक सम्पत्ति उसका मानव संसाधन होता है। कंपनी, सक्षम पेशेवरों का दल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए, कंपनी ने अपने मानव संसाधन के विकास पर फोकस किया है। सभी स्तरों के कर्मचारियों को अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष के दौरान, कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त किया गया था कि उनके ज्ञान और कौशल का निरंतर उन्नयन किया जाए। 31 मार्च, 2025 तक, कंपनी के पास 59 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के कर्मचारियों एवं दिव्यांग श्रेणी के 3 कर्मचारियों सहित नियमित वेतनमान पर 150 कर्मचारी और निर्धारित कार्यकाल आधार पर 48 कर्मचारी हैं। वर्षभर कर्मचारी प्रबंधन संबंध उत्कृष्ट बना रहा। 31 मार्च 2025 की स्थिति तक एनबीसीसी के वित्त विभाग के 09 कर्मचारी एचएससीसी में उपनियुक्ति आधार पर कार्यरत थे।

कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में कंपनी अपनी मानव पूंजी की भूमिका की सदैव सराहना करती है। वर्ष 2024–25 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की श्रेणीवार भर्ती की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	समूह	सामान्य	ओबीसी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति				कुल
				अनुसूचित जाति	(अनुसूचित जाति) का %	अनुसूचित जनजाति	(अनुसूचित जनजाति) का %	
1.	समूह "क"	76	24	18	14.60	3	2.47	121
2.	समूह "ख"	11	9	3	12.50	1	4.17	24
3.	समूह "ग"	3	1	1	20.00	0	0.00	5
कुल		90	34	22	14.67	4	2.67	150

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिकों की रिक्तियों को भरने के लिए समय–समय पर जारी निर्देशों को कंपनी द्वारा उचित भावना के अनुरूप कार्यान्वित किया गया है।

वेतनमान पर कर्मचारी	150
स्थायी कार्यकाल वाले कर्मचारियों की संख्या	48

कंपनी में महिला कर्मचारियों की कार्य स्थिति – श्रेणीवार और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / वीएच / पीएच समूह अनुसार

(i) कंपनी में महिला कर्मचारियों की कार्य–स्थिति – श्रेणीवार

क्र. सं.	पदों की श्रेणी (समूह)	महिला कर्मचारियों की संख्या
1	समूह "क"	13
2	समूह "ख"	2
3	समूह "ग"	1
4	समूह "घ"	0
	कुल	**16**

(ii) समूहवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/वीएच/पीएच कुल संख्या :

क्र. सं.	पदों की श्रेणी (समूह)	कर्मचारियों की संख्या						
		कुल कर्मचारी	अनु–जाति	अनु–जनजाति	ओबीसी	वीएच	एचएच	पीएच (ओपीएच)
1	समूह "क"	121	18	3	24	0	0	1
2	समूह "ख"	24	3	1	9	0	0	0
3	समूह "ग"	5	1	0	1	0	0	2
	कुल	150	22	4	34	0	0	3

31 मार्च 2025 के अनुसार श्रम–शक्ति स्थिति

श्रेणी	इंजीनियर्स (सी.ई.म. आईटी)	इंजीनियर्स (बी.मई. फार्मा– आर्क.डी'मैन)	वित्त (एफ एण्ड ए इको सी एस)	एच.आर.एम. (विधि)	अन्य	कुल
क	81	12	20	7	1	121
ख	15	1	0	1	7	24
ग	0	0	0	0	5	5
कुल	**96**	**13**	**20**	**8**	**13**	**150**

प्रशिक्षण

किसी भी संगठन के लिए संगठन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन विकास सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान नवीन और चुनौतीपूर्ण बाजार को ध्यान में रखते हुए, इस प्रभाग ने अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके संबंधित क्षेत्रों के नवीनतम रुझानों/तकनीकों और परिवर्तनों से अवगत कराने एवं उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए आवश्यकता आधारित इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम/तकनीकी कार्यशालाओं की व्यवस्था की है ताकि वे संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक क्षमता और उत्साह के साथ काम करें।

वर्ष 2024–25 में हमने जॉब इनरिचमैंट (कार्य संवर्धन) के लिए शनिवार प्रशिक्षण और ब्रशिंग–अप सत्र शुरू किए हैं।

क्र.सं.	प्रशिक्षण की तिथि	कार्यक्रम का नाम
1.	23-03-2025	सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के परिवर्तनकारी मार्ग भाग–2
2.	08-03-2025	सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के परिवर्तनकारी मार्ग
3.	22-02-2025	"व्यावसायिक निर्णयों में ईएसजी को समाहित करना"
4.	15-02-2025	श्री नौमान अहमद के साथ संवादात्मक सत्र
5.	08-02-2025	"निर्माण परियोजनाओं में परियोजना प्रबंधन भाग–2"
6.	01-02-2025	"निर्माण परियोजनाओं में परियोजना प्रबंधन"
7.	25-01-2025	पोषण पर कार्यशाला
8.	18-01-2025	"औद्योगिक संबंध मुद्दे"
9.	11-01-2025	"टीम निर्माण"
10.	04-01-2025	"कार्यों की निविदा और आवंटन के दिशानिर्देश भाग–2"
11.	28-12-2024	श्री नौमान अहमद (प्रबंध निदेशक) एचएससीसी (आई) लिमिटेड के साथ ऑनलाइन संवाद

क्रं.सं.	प्रशिक्षण की तिथि	कार्यक्रम का नाम
12.	21-12-2024	जीवनशैली प्रबंधन पर स्वास्थ्य चर्चा
13.	14-12-2024	"भूकंपरोधी भवनों का विन्यास"
14.	07-12-2024	"तकनीकी मुद्दों पर एमडी महोदय के साथ संवादात्मक सत्र"
15.	30-11-2024	"कार्यों की निविदा और आवंटन के दिशा–निर्देश"
16.	23-11-2024	"अपने एसडीओपी को जानें" भाग–2
17.	16-11-2024	"अपने एसडीओपी को जानें" भाग–1
18.	09-11-2024	सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का आयोजन
19.	02-11-2024	"नैतिक, अभिशासन और निवारक सतर्कता"
20.	19-10-2024	"बेहतर संधारणीयता एवं निष्पादन हेतु विश्वसनीय कंक्रीट"
21.	05-10-2024	"आरटीआई सूचना का अधिकार"
22.	28-09-2024	"बुनियादी ढाँचे में सार्वजनिक–निजी भागीदारी"
23.	21-09-2024	"संगठन में उच्च निष्पादनीय संस्कृति का विकास"
24.	14-09-2024	"नेतृत्व की कला और विज्ञान, नेतृत्व के उद्देश्य और लक्ष्यों पर केंद्रित
25.	07-09-2024	"बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ (योजना, क्रियान्वयन और संचालन)"
26.	31-08-2024	"नेतृत्व की कला और विज्ञान"
27.	24-08-2024	"कर्मचारियों की आयकर देयता कैसे कम करें"
28.	17-08-2024	"GeM के माध्यम से बोली लगाने की प्रक्रिया"
29.	10-08-2024	निष्पादन से जुड़ा वेतन
30.	03-08-2024	इमारतों/भूतापीय ताप पंपों में केंद्रीकृत वातानुकूलन प्रणाली की मूल यांत्रिकी को समझना
31.	27-07-2024	इमारतों में केंद्रीकृत वातानुकूलन प्रणाली की मूल यांत्रिकी को समझना
32.	20-07-2024	यौन उत्पीड़न निवारण (POSH) अधिनियम
33.	13-07-2024	आई.आर./श्रम अनुपालन के वैधानिक प्रावधान
34.	06-07-2024	अनुपालनीय तकनीकी परिपत्र
35.	29-06-2024	अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें
36.	15-06-2024	परियोजना स्थलों पर IT अवसंरचना के विकास के लिए सामान्य दिशानिर्देश
37.	08-06-2024	अस्पताल भवन में सामान्य विद्युत आवश्यकताएँ
38.	31-05-2024	स्वास्थ्य सेवा संरचना– किसी अच्छे अस्पताल के डिजाइन के आदर्श नियम
39.	25-05-2024	ऑपरेशन थिएटरों में संक्रमण नियंत्रण – निर्माण और HVAC परिप्रेक्ष्य
40.	18-05-2024	पर्यावरणीय मंजूरी कानून और प्रक्रिया
41.	11-05-2024	Revit BIM सॉफ्टवेयर पर केस स्टडीज
42.	04-05-2024	कार्यस्थल पर HVAC डक्टिंग, पाइपिंग और इन्सुलेशन कार्य
43.	27-04-2024	ANOT की मुख्य विशेषताओं और लाभों का कार्यकारी सारांश
44.	20-04-2024	अनुमान और मापन विधि का परिचय
45.	13-04-2024	अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें
46.	06-04-2024	MOT और MGPS कार्यों के निष्पादन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां

राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन और प्रचार–प्रसार

वर्ष 2024–25 के दौरान कंपनी ने कार्यालय में हिंदी राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देन हेतु भारत सरकार द्वारा राजभाषा अधिनियम और उसके आधार पर बनाए गए नियमों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयास करना जारी रखा। कर्मचारियों को अपने दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। सभी मानक प्रपत्र, फाइलें, आदि द्विभाषी हैं। हिंदी में पत्राचार, नोटिंग और प्रारूपण के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है।

सभी हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जा रहा है। हिंदी के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए कंपनी ने 14 सितंबर, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया, इस दौरान, राजभाषा ज्ञान पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके अलावा, कंपनी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा की सदस्य भी है और जिसकी प्रतियोगिताओं, बैठकों, सेमिनारों आदि में प्रतिनिधित्व करती है।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 ने भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया है, जिसके परिणामस्वरूप प्राधिकारियों के कामकाज में पारदशिता और उत्तरदायित्व आई है। कंपनी के पास सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए उपयुक्त तंत्र मौजूद है। वर्ष 2024–25 के दौरान आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कुल 50 आवेदन प्राप्त हुए तथा उन पर आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकता अनुरूप, कंपनी में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। वर्ष 2024–25 के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

वर्ष में प्राप्त हुई यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	शून्य
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	लागू नहीं
नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	लागू नहीं

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 का अनुपालन

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, आपकी कंपनी ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

सतर्कता

श्रीमती ऋतु पांडे, भारतीय दूरसंचार सेवा (ITS) धारक कंपनी की मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं। श्री एस.एस. पोपली कंपनी के सतर्कता अधिकारी हैं। वर्ष के दौरान, सतर्कता प्रकोष्ठ ने प्रबंधन के प्रभावी अंग के रूप में कार्य किया है। निजी विदेश यात्राओं, सीटीई प्रत्युत्तर संबंधित एजेंसियों को समय पर प्रस्तुत किए गए थे। समय–समय पर प्राप्त सीवीसी दिशा–निर्देशों का पालन किया गया और निरोधक और निवारक उपाय के रूप में पालन किया गया, और जाँच को ठीक से और त्वरित तौर पर संबोधित किया गया। भावी सुधारों के लिए मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई और कंपनी के कामकाज में पारदशिता सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रयास किए गए।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दिनांक 28 अक्तूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक "सत्यनिष्ठा कि संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि" विषय आधारित सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया और आपकी कंपनी के कर्मचारियों के उच्च नैतिक मानक को बनाए रखने के लिए कंपनी ने भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह भी मनाया, जिसके अंतर्गत कंपनी के सभी कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई।

जमा

31 मार्च 2025 को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया और कोई मूलधन या ब्याज बकाया नहीं था।

ऋण, गारंटी और निवेश

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई ऋण, गारंटी और निवेश प्रदान नहीं किया है।

सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियाँ :–

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम कंपनियां नहीं हैं। परंतु, कंपनी स्वयं एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड सहायक कंपनी है।

कर्मचारियों का विवरण

अधिनियम की धारा 134(3)(ई) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। नतीजतन, सरकारी कंपनी को अधिनियम की धारा 178 (3) के अंतर्गत आवश्यक निदेशकों की नियुक्ति पर कंपनी की नीति एवं अन्य सिद्धांत का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह, अधिनियम की धारा 197 से भी सरकारी कंपनी को छूट है। नतीजतन, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (1) / (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 197 (12) कि शर्तों के अनुसार प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक से कर्मचारियों के पारिश्रमिक मध्यिका के अनुपात और कंपनी के किसी कर्मचारी

जा नाम एवं अन्य नकारी वाला ऐसा विवरण जिसमें यदि वह पूरे कार्यकाल तक / वित्तीय वर्ष भाग में कार्यरत होता एवं नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करता और ऐसे अन्य विवरणों को प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी की स्वयं की जोखिम प्रबंधन नीति है जो उन सभी प्रमुख जोखिमों और अनिश्चितताओं का प्रबंधन एवं निगरानी करती है, जो कंपनी के कामकाज को प्रभावित कर सकती हैं।

लेखा परीक्षा समिति

आपकी कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के साथ एक ऑडी समिति का गठन किया है। लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों को बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के साथ एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप हड़ताल या श्रमिक अशांति के कारण किसी कार्य–दिवस की कोई हानि नहीं हुई।

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीए) तथा कॉर्पोरेट अभिशासन

आपकी कंपनी कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों, पारदर्शिता, अखंडता, व्यावसायिकता और उत्तरदायित्व पर केंद्रित है। लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में कॉर्पोरेट स्थिति जानकारी देने वाली तिमाही रिपोर्टें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत की जा रही हैं। लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन पर दिशा–निर्देशों के अनुसार, "प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट" और "कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट", क्रमशः अनुलग्नक I और II में संलग्न हैं।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएँ

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान पार्टियों के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्था/लेन–देन/की गई प्रविष्टियाँ, व्यवसाय के सामान्य कार्यप्रणाली में, और निष्पक्ष स्वहित लेन–देन के आधार पर थे। प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का उल्लेख वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न एमजीटी–9 में किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में संदर्भित संबंधित पार्टी अनुबंध फॉर्म एओसी–2 में है, तथा इसे अनुलग्नक – III के रूप में संलग्न किया गया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

वर्षों के दौरान, वित्त वर्ष 2024–25 का कुल सीएसआर बजट रु.74.15 लाख था। जिसमें से 5 लाख रुपये मैसर्स ज्ञानम एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी को भोजन, शिक्षण सामग्री, कपड़े और खेल उपकरण आदि के प्रावधान में व्यय हुए। इसके अलावा, 5 लाख रुपये मैसर्स अर्पण सेवा संस्थान को आंगनवाड़ी सेवाओं को सशक्त करने, स्वास्थ्य शिविर और पूरक आहार के वितरण के लिए दिए गए हैं। 5 लाख रुपये मैसर्स सिटीजन फॉर वेलफेयर स्टेट को स्वास्थ्य और खेल उपकरण वितरण शिविर के लिए दिए गए हैं। 4.95 लाख रुपये मैसर्स उम्मेद फाउंडेशन को स्वीपिंग मशीन के वितरण के लिए दिए गए हैं।

इसके अलावा, चंबा जिले के उपायुक्त कार्यालय को 9 लाख रुपये स्कूलों में कक्षा और शौचालयों की मरम्मत के लिए, दमोह मध्य प्रदेश के कलेक्टर को 8.79 लाख रुपये स्कूलों में कक्षा और शौचालयों की मरम्मत के लिए, किफिरे, नागालैंड के उपायुक्त

कार्यालय को 9.41 लाख रुपये किफिरे जिले में स्कूली शिक्षा के उन्नयन के लिए, फतेहपुर जिला मजिस्ट्रेट, शिक्षा अधिकारी को 9 लाख रुपये स्कूल शौचालयों की मरम्मत/निर्माण के लिए, गोलपारा के जिला आयुक्त को 9 लाख रुपये गोलपारा स्कूल में मरम्मत/नवीनीकरण/उन्नयन के लिए और ग्यालशिंग जिले के जिला कलेक्टर–सह–मजिस्ट्रेट को 9 लाख रुपये ग्यालशिंग जिले में शिक्षा के मानक में सुधार के लिए दिए गए।

कंपनी में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–vii के अनुरूप सीएसआर नीति है, जिसे कंपनी की वेबसाइट www.hsccltd.co.in पर देखा जा सकता है, और इस रिपोर्ट के भाग के रूप में **अनुलग्नक–IV** पर संलग्न है।

आईटी प्रभाग

एचएससीसी का ध्यान कागज रहित कार्यालय मॉडल लागू करके कर्मचारियों के लिए अनुकूल कार्यस्थल स्थापित करने पर केंद्रित है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, कार्य वातावरण की दक्षता, सुगमता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विभिन्न आईटी पहलों को क्रियान्वित किया गया है। इन प्रयासों ने संगठन को डिजिटल एचएससीसी बनने के अपने लक्ष्य की ओर महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया है।

एचएससीसी ने एनबीसीसी द्वारा आंतरिक रूप से विकसित ईआरपी को लागू किया है।

उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी) – यह एप्लिकेशन रिकॉर्ड रखने और डेटा रखरखाव को सुव्यवस्थित बनाने में मदद करता है।

वर्तमान में कर्मचारियों से संबंधित सभी परिपत्र, प्रपत्र और कार्यालय आदेश ईआरपी प्रणाली पर अपलोड किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया निम्नलिखित मॉड्यूल के माध्यम से संचार समय को कम करती है, प्रभावी संचार को बढ़ाती है और पारदर्शिता को बढ़ावा देती है :–

- मानव संसाधन प्रबंधन
- वित्त लेखा मॉड्यूल
- पेरोल मॉड्यूल
- परियोजना प्रबंधन मॉड्यूल
- कर्मचारी वार्षिक संपत्ति रिटर्न
- कर्मचारी कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली
- कर्मचारी सेवा
- एडमिन मॉड्यूल
- आयकर मॉड्यूल
- ई–बिलिंग

ई–बिलिंग : ई–बिलिंग मॉड्यूल पारदर्शिता और व्यापार सुगमता की दिशा में एक कदम है। ई–बिलिंग ठेकेदार को सहायक दस्तावेजों के साथ बिल ऑनलाइन दर्ज कर प्रभारी अभियंता को प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है। बिल की गति को ट्रैक किया जा सकता है, देखा जा सकता है और अनुमोदन के लिए उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करने से पहले संशोधित किया जा सकता है।

ई–ऑफिस :– ई–ऑफिस प्रणाली एचएससीसी में कागज रहित कार्य वातावरण को बढ़ावा देती है। यह प्रणाली पारंपरिक मैनुअल फाइल प्रबंधन को सुव्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से प्रतिस्थापित करती है जिसमें प्राप्त होने वाली कागजात की लॉगिंग, फाइल निर्माण, स्थानांतरण, संग्रह और ट्रैकिंग हो सकता है। परिणामस्वरूप, रसीदों और फाइलों का स्थानांतरण आसान हो जाता है, और सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ जाती है, क्योंकि फाइल पर की गई प्रत्येक क्रिया का इलेक्ट्रॉनिक रूप से दस्तावेजीकरण किया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक पत्राचार (ईमेल) :– एचएससीसी सभी आंतरिक और बाहरी संचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक पत्राचार (ईमेल) का उपयोग करता है, जिससे तेज और कागज रहित संचार की सुविधा मिलती है।

वर्तमान स्थिति में, प्रत्येक विभाग आंतरिक प्रक्रियाओं के लिए ईआरपी/डीएमएस/ई–ऑफिस से जुड़ा हुआ है। इस एकीकरण ने हमारे संगठन को उन्नत तकनीक पर काम करने वाली कंपनी के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने में योगदान दिया है, साथ ही इससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया विजन में भी समर्थन होता है।

ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली :– एचएससीसी ने भारत भर की सभी साइट कार्यालयों और मुख्यालय में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लागू किया है। यह उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया को स्वचालित करता है, मैन्युअल डेटा प्रविष्टि को समाप्त करता है और त्रुटियों को कम करता है, साथ ही उपस्थिति की अद्यतन जानकारी भी प्रदान करता है। यह पेरोल, रिपोर्टिंग और अन्य प्रक्रियाओं के लिए विश्वसनीय डेटा सुनिश्चित करता है।

ऑनलाइन भर्ती पोर्टल :– एचएससीसी वर्तमान में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग कर रहा है। यह भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने में मदद करता है। यह कागजी कार्रवाई और मैन्युअल त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। डेटा को संग्रहीत करना आसान है और आवेदन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद करता है। यह आवेदन जमा करने में एकरूपता सुनिश्चित करता है, जो निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है।

उन्नत सॉफ्टवेयर और उपकरण :– एचएससीसी ने साइट कार्यालयों और मुख्यालय में डिजाइनिंग, योजना और परियोजना निगरानी के लिए निम्नलिखित विभिन्न उन्नत नवीनतम उपकरण लागू किए हैं :–

- ऑटो–कैड
- आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कलेक्शन (एईसी)
- बीआईएम–बिल्डिंग सूचना मॉडलिंग (बीआईएम)
- बेक्सेल मैनेजर
- क्यू कॉप–निर्माण प्रबंधन सॉफ्टवेयर
- एआई टूल्स

प्रौद्योगिकी (आईटी) सुरक्षा नीति :– एचएससीसी की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)

सुरक्षा नीति, सूचना सेवाओं और परिसंपत्तियों के उपयोग हेतु सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई विस्तृत दिशानिर्देश के रूप में कार्य करती है, साथ ही संगठन को सुरक्षा खतरों से बचाती है। वर्तमान में, एचएससीसी आईटी नीति है और विभिन्न अन्य आईटी पहल कर रही है।

एमएसएमई कार्यान्वयन

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई), और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का समर्थन करने की दिशा में एचएससीसी हमेशा प्रयत्नशील रहा है। एचएससीसी ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित एमएसएमई से निर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद हेतु भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति को लागू करने के लिए आवश्यक कदमों सहित कई प्रयास किए हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की निविदा में भाग लेने की पात्रता का उललेखे करते हुए सभी निविदाओं में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। जैसा कि एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी एमएसएमई, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एमएसई हेतु सार्वजनिक प्रापण नीति में अनिवार्य है।

डीपीई दिशा–निर्देशों एवं नीतियों का अनुपालन

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं नीतियों का अनुपालन किया है।

निदेशक मण्डल के बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निदेशक मण्डल की छः (6) बार बैठक हुई और कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की निर्धारित समय सीमा के भीतर निदेशक मण्डल की बैठक आयोजित करने के नियम का अनुपालन किया है।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निदेशक मण्डल की समितियाँ

क. लेखा–परीक्षा समिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के पास बोर्ड स्तर पर लेखा–परीक्षा समिति है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 और 7, और कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार कार्य कर रही है। लेखा–परीक्षा समिति में श्री (डॉ.) दीपक सिंह भाकर, अध्यक्ष के रूप में और श्रीमती डी. थारा एवं श्री रवि रंजन समिति के सदस्य के रूप में हैं।

14 नवंबर, 2024 को डॉ. दीपक सिंह भाकर की स्वतंत्र निदेशक के पद से सेवासमाप्ति के बाद, 13 जनवरी, 2025 को लेखा–परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया। 31 मार्च, 2025 को लेखा–परीक्षा समिति में अध्यक्ष के रूप में श्रीमती डी. थारा और समिति के सदस्य के रूप में श्री नौमान अहमद एवं श्री रवि रंजन हैं।

ख. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में डॉ. दीपक सिंह भाकर अध्यक्ष और श्रीमती डी. थारा तथा श्री रवि रंजन सदस्य हैं।

14 नवंबर, 2024 को स्वतंत्र निदेशक के पद से श्री दीपक सिंह भाकर की सेवासमाप्ति होने के बाद, 13 जनवरी, 2025 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया। 31 मार्च, 2025 की स्थिति को, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में श्रीमती डी. थारा अध्यक्ष और श्री नौमान अहमद तथा श्री रवि रंजन सदस्य हैं।

ग. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 के प्रावधानों के अनुपालन में सीएसआर समिति का गठन किया है। 31 मार्च 2023 को सीएसआर समिति में श्रीमती डी. थारा अध्यक्ष के रूप में, श्री (डॉ.) दीपक सिंह भाकर एवं श्री रवि रंजन समिति के सदस्य के रूप में हैं।

14 नवंबर, 2024 को स्वतंत्र निदेशक के पद से श्री दीपक सिंह भाकर की सेवासमाप्ति के बाद, 13 जनवरी 2025 को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का पुनर्गठन किया गया। 31 मार्च, 2025 की स्थिति को, कॉर्पोरेट सामाजिक समिति में अध्यक्ष के रूप में श्रीमती डी. थारा और समिति के सदस्य के रूप में श्री नौमान अहमद और श्री रवि रंजन शामिल हैं।

निदेशक मंडल/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (के.एम.पी.)

निदेशकों की नियुक्ति आदि संबंधी नीति : एचएससीसी सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ई) के प्रावधान, भारत सरकार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून 2015 की राजपत्र अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं होते हैं। निष्पादन मूल्यांकन : एचएससीसी सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधान, भारत सरकार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून, 2015 की राजपत्र अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं होते हैं।

नियुक्ति/सेवा समाप्ति आदि

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित नियुक्ति/सेवा समाप्ति हुई

क्रं. सं.	निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) का नाम	पदनाम	विवरण	दिनांक
1.	डॉ. दीपक सिंह भाकर	स्वतंत्र निदेशक	नियुक्ति	15.11.2021
			सेवा समाप्ति	14.11.2024

चूंकि कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, सभी निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

निदेशकों और बोर्ड का कार्य–निष्पादन मूल्यांकन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से छूट प्रदान की है। इस अधिसूचना में अन्य बातों के साथ–साथ यह भी प्रावधान है कि औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन संबंधी विवरण से संबंधित धारा 134(3)(पी) उन सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगी, जिनका मूल्यांकन उस मंत्रालय द्वारा किया जाता है जो कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी है और अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त छूटों के अनुरूप, नियुक्ति, कार्य–निष्पादन मूल्यांकन और पारिश्रमिक से संबंधित धारा 178 की उप–धारा (2), (3) और (4) सरकारी कंपनियों के निदेशकों पर लागू नहीं होंगी। अब, एमसीए ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से, सरकारी कंपनियों के निदेशकों के कार्य–निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में संशोधन किया है। इसके अनुसार, यदि कार्य–निष्पादन मूल्यांकन के मामले केंद्र सरकार या राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालयों या विभागों द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं और सरकारी कंपनियों द्वारा ऐसी आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है, तो अनुसूची IV के ऐसे प्रावधान सरकारी कंपनियों को छूट प्राप्त होंगे। इस संबंध में, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने पहले ही सभी कार्यात्मक निदेशकों के कार्य–निष्पादन मूल्यांकन हेतु एक तंत्र निर्धारित कर दिया है। डीपीई ने स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन भी शुरू कर दिया है।

एचएससीसी सरकारी कंपनी है, सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत के राष्ट्रपति द्वारा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से किया जा रहा है और स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों का कार्य–निष्पादन मूल्यांकन नियुक्ति प्राधिकारी होने के नाते प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया गया है।

स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, आवश्यकतानुसार स्वतंत्रता की घोषणा की थी।

निदेशकों की उत्तरदायित्व कथन

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशक निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं :–

- 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वाषिक लेखों की तैयारी में, लागू भारतीय लेखांकन मानकों के साथ पठित अधिनियम की अनुसूची–iii के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है, और इससे कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं है;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें लगातार कार्यान्वित किया है तथा निर्णय एवं अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि 31 मार्च 2025 को एवं उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के मामलों की स्थिति और कंपनी के लाभ के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण बनाया जा सके;

- निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए, और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव हेतु उचित और पर्याप्त देखभाल की है;
- निदेशकों ने वार्षिक लेखे चलायमान व्यवसाय के आधार पर तैयार किए हैं;
- निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले वित्तीय नियंत्रणों के लिए आंतरिक निर्धारित किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं और
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है, और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

निदेशकों का प्रशिक्षण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशकों के प्रशिक्षण संबंधी कंपनी की अपनी नीति है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है।

कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

हमारी कंपनी का मानना है कि सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति स्थापित करने में अच्छा कॉर्पोरेट अभिशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एचएससीसी कॉर्पोरेट अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और वैधानिक मानदंडों के अनुसार निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन आवश्यकताओं का पालन करती है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष की कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट **अनुलग्नक–II** के रूप में इस रिपोर्ट का हिस्सा है। कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करने वाला लेखा–परीक्षकों से अपेक्षित प्रमाण पत्र कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (सी) के प्रावधानों के अनुपालन में वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं ताकि कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम, लेखा अभिलेखों की सटीकता और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरणों की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय का व्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

एनसीएलएटी और एनसीएलटी आदेश

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान कोई एनसीएलएटी या एनसीएलटी आदेश प्राप्त नहीं हुआ।

महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश

कंपनी ने संशोधित प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए वर्ष के दौरान अपनी लेखा नीति प्रस्तुतिकरण को अद्यतन किया है, और "महत्वपूर्ण" लेखा नीतियों से "भौतिक" लेखा नीतियों में संक्रमण किया है। इस परिवर्तन का कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है। ये अद्यतन उस वित्तीय वर्ष के अंत और रिपोर्ट की तिथि के बीच हुए हैं जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं।

सचिवीय मानक

निदेशकगण वक्तव्य देते हैं कि "निदेशक मंडल की बैठक" और "सामान्य बैठक" से संबंधित लागू सचिवीय मानकों, अर्थात् क्रमशः एसएस–1 और एसएस–2 का कंपनी द्वारा विधिवत अनुपालन किया गया है।

लेखा–परीक्षक एवं लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट

आतंरिक लेखा–परीक्षक

मैसर्स मनोज मोहन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए 1,90,060/– रुपये के शुल्क व लागू करों सहित और परिवहन व्यय पर आंतरिक लेखा–परीक्षक नियुक्त किया गया है।

सांविधिक लेखा–परीक्षक

मैसर्स एस.आर. दिनोदिया एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा नियंत्रक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु कंपनी का सांविधिक लेखा नियुक्त किया गया है। कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सांविधिक लेखा–परीक्षा का निर्धारित पारिश्रमिक 14,50,000/– रुपये (केवल चौदह लाख पचास हजार रुपये) और लागू कर है।

सचिवीय लेखा–परीक्षा

कंपनी ने मैसर्स जे. के. गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी का सचिवीय ऑडिट करने हेतु 26,500 रुपये प्रति वर्ष (केवल छब्बीस हजार पाँच सौ रुपये) के पारिश्रमिक पर नियुक्त किया गया है। इसमें जेब खर्च और लागू नियमों व शर्तों के अनुसार कर शामिल नहीं हैं। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट **अनुलग्नक V** में दी गई है।

लागत लेखा–परीक्षा

जैसा कि कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा–परीक्षा) नियम, 2014 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, लागत लेखांकन रिकॉर्ड आपकी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा–परीक्षक की टिप्पणियाँ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत पूरक लेखा–परीक्षा करने के बाद, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी दी है, जो **अनुलग्नक–VI** के रूप में संलग्न है। वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखों को इस रिपोर्ट में परिशिष्ट के रूप में शामिल किया जाएगा।

लेखा–परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्ट

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, न तो वैधानिक लेखा–परीक्षकों और न ही सचिवीय लेखा–परीक्षकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के अंतर्गत लेखा–परीक्षा समिति को आपकी कंपनी के विरुद्ध की गई किसी भी धोखाधड़ी की सूचना दी है।

वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.hsccltd.co.in पर उपलब्ध होगी।

भारत सरकार द्वारा विनिवेश

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान भारत सरकार (जीओआई) और होल्डिंग कंपनी द्वारा कोई विनिवेश नहीं किया गया।

सामान्य

निदेशक एतद द्वारा उल्लेख करते हैं कि निम्नलिखित मदों के संबंध में किसी प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई लेन–देन नहीं किया गया है :–

1. ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता ने कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित नहीं किया, जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद हुआ हो, और जिससे यह वित्तीय विवरण संबंधित और इस रिपोर्ट की तारीख के अनुसार हो।
2. कर्मचारियों को ईएसओएस के अंतर्गत शेयरों का कोई निर्गम/इश्यू नहीं था।
3. कंपनी अधिनियम–2013 के अंतर्गत कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।
4. सरकारी कंपनी होने के नाते तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 5 जून 2015 के अनुसरण में कंपनी अधिनियम–2013 की धारा 197 के प्रावधान एचएससीसी पर लागू नहीं हैं।
5. कंपनी समय–समय पर आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है।
6. वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों का कंपनी द्वारा विधिवत पालन किया गया है।

अभिस्वीकृति

कम्पनी के निदेशक आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों के आभारी हैं जिनसे निरन्तर सहायता एवं सहयोग, समर्थन तथा मार्गदर्शन मिलता रहा है। हम अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों के भी कृतज्ञ हैं जिन्होंने कंपनी के सामर्थ्य और उसकी व्यावसायिक सक्षमता के प्रति अपना विश्वास दिखाया है।

कम्पनी के निदेशक अपने सम्मानित बैंकरों तथा अन्य संगठनों सहित सभी का आभार व्यक्त करते हैं जिनका उन्हें निरन्तर मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलता रहा है।

निदेशक मण्डल ने कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर निष्ठा–पूर्वक कार्य करने एवं कड़ी मेहनत और समपित भावना से कार्य करने की प्रशंसा की है जिनकी बदौलत कम्पनी श्रेष्ठ एवं निरंतर वृद्धि कर रही है।

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के
निदेशक मण्डल के आदेश से

हस्ता. /–	**हस्ता. /–**
नौमान अहमद	**रवि रंजन**
प्रबंध निदेशक	**निदेशक (इंजीनियरिंग)**
डीआईएन : 10054994	**डीआईएन : 10057427**

स्थान : नौएडा
दिनांक : 01 अगस्त, 2025

अनुलग्नक–क

वर्तमान तिथि अनुसार जारी परामर्शी परियोजनाओं का सारांश

क. वास्तुकला योजना, डिजाइन इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन सेवाएं

एम्स, राजकोट

- गुजरात में एक नए एम्स की स्थापना।
- महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण।
- महाराष्ट्र के जलगांव में सरकारी मेडिकल कॉलेज का विकास।
- महाराष्ट्र के बुलढाणा में मेडिकल कॉलेज और 430 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना।
- राजस्थान में पांच स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना।
- पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में 150 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण।
- महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मल्टी–स्पेशलिटी अस्पताल परिसर का निर्माण।
- जलगांव के चिंचोली में होम्योपैथी कॉलेज और अस्पताल।

जलगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर

अलवर मेडिकल कॉलेज

ख. प्रापण प्रबंधन सेवाएँ

- विदेश मंत्रालय के लिए ड्रग्स और फार्मास्युटिकल
- सुपर स्पेशियलिटी और इमरजेंसी ब्लॉक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के लिए चिकित्सा उपकरण।
- FLACQ शिक्षण अस्पताल, मॉरीशस गणराज्य के लिए चिकित्सा उपकरण।
- लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली के लिए चिकित्सा उपकरण।
- स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, नई दिल्ली के लिए चिकित्सा उपकरण।
- डीएमईआर हरियाणा के लिए चिकित्सा उपकरण।
- जम्मू–कश्मीर परियोजना के लिए चिकित्सा उपकरण।

नागौर, व्याख्यान कक्ष

अनुलग्नक –1

प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग संरचना एवं विकास

मार्च 1983 में स्थापित, एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम है और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की सहायक कंपनी है। कम्पनी की स्थापना के बाद से अब तक कम्पनी ने अपना पूरा कारोबार बिना किसी सरकारी मदद या अन्य किसी स्रोत से किया है। सितम्बर, 1999 में एचएससीसी को "मिनी रत्न" कम्पनी घोषित किया गया है तथा दिसम्बर 2015 में 'मिनी रत्न–श्रेणी I' कंपनी का दर्जा हासिल किया है।

एचएससीसी कम्पनी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं में परामर्शदायी कार्य जैसे अस्पताल नियोजन, डिजाइन, विस्तृत इंजीनियरिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रोजेक्ट प्रबंधन एवं अनुवीक्षण सहित, चिकित्सा उपकरणों का प्रापण, स्थापना एवं कमीशनिंग इत्यादि कार्य करती है।

एचएससीसी ने परियोजनाओं के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें ग्राहक की मांग के अनुरूप कम एवं लागत प्रभावी और विशेषज्ञता से ओत–प्रोत अच्छा संयोजन प्रदान करती है। एचएससीसी ने प्रमुख हेल्थ–केयर परियोजनाएं जिसमें विभिन्न अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, प्रयोगशालाओं इत्यादि को ना केवल भारत में अपितु विदेशों में सफलतापूर्वक पूरा किया है। कम्पनी अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन, अस्पताल कम्प्यूटरीकरण, स्वास्थ्य से संबंधित प्रबंधन अध्ययन और प्रशिक्षण, भर्ती आदि गतिविधियों में विविधता पूर्वक निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है।

एचएससीसी वर्षों से हेल्थ–केयर के क्षेत्रों में परामर्शदायी सेवाएँ प्रदान वाले एक अग्रणी संगठन के रूप में विकसित है। वर्तमान में कम्पनी का ध्यान समूचे भारत में मौजूदा निष्पादन कार्यों पर लगा है किन्तु अभी उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में अपने व्यापार को बढ़ाने में लगी।

शक्ति :

- कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न प्रकार की हैल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को डिजाइन, इंजीनियरिंग और कार्यान्वित किया है।
- 120 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल परियोजनाओं को क्रियान्वित करने और लगभग 35000 अस्पताल बिस्तर बनाने का अनुभव
- अनुभवी और योग्य पेशेवरों की घरेलू टीम अन्य हेल्थकेयर परामर्श फर्मों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करती है।
- मिनी–रत्न कंपनी होने के नाते, सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों/एजेंसियों के साथ निकट एवं मजबूत संबंध हैं।
- पूरे भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना परियोजनाओं में प्रमुख स्थान
- एचएससीसी ने उच्च लाभप्रदता के साथ निरंतर प्रदर्शन एवं राजस्व वृद्धि प्रदान की है।

कमजोरी :

- व्यवसाय के लिए काफी हद तक सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों एवं मुख्य रूप से केंद्र सरकार पर निर्भरता।
- वर्तमान व्यवसाय मुख्य रूप से कुछ सेवा लाइन पर केंद्रित है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवा परामर्श फर्मों से प्रतिस्पर्धा बढ़ने से व्यावसायिक जोखिम पैदा हो गया है।
- वर्तमान में निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एचएससीसी ब्रांड की जागरूकता कम है।

- व्यवसाय परिचालन को सुचारू बनने के लिए आंतरिक व्यावसायिक क्षमताओं को आईटी सक्षम बनाकर बढ़ाने की आवश्यकता है।
- क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित जनशक्ति/परामर्शदाताओं की कम उपलब्धता।

अवसर :

- सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में काफी वृद्धि आने वाले वर्षों में परामर्श सेवा लिए बहुत अवसर प्रदान करेगी।
- स्वास्थ्य सेवा मूल्य श्रृंखला में विविध स्वास्थ्य देखभाल परामर्श सेवाओं की मांग।
- भारतीय परामर्श सेवा का बाजार काफी बटा हुआ है जिसमें कोई भी संगठन अग्रणी नहीं है।
- आने वाले वर्षों में डिजाइन इंजीनियरिंग एवं वास्तुकला, परियोजना प्रबंधन में काफी अवसर अपेक्षित हैं।

संकट :

- हेल्थकेयर क्षेत्र में प्रवेश करने वाली निजी हेल्थकेयर परामर्श फर्म और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा।
- बढ़ती पूर्णता एक मूल्य प्रतिस्पर्धी बाजार का निर्माण कर रही है जिससे प्रतिस्पर्धी बोली पर परियोजनाएं प्रदान की जा रही हैं।
- निजी क्षेत्र की कंपनियों के सापेक्ष एचएससीसी के वेतन अंतर से नई प्रतिभाओं के जाने और उनके अधिग्रहण का खतरा बढ़ सकता है।

आउटलुक :

एचएससीसी स्वास्थ्य सेवा और अन्य सामाजिक अवसंरचना विकास क्षेत्रों की बहु–आयामी प्रतिष्ठित परामर्श और प्रापण प्रबंधन सेवा संगठन है। इसकी सेवाओं में व्यवहार्यता अध्ययन, डिजाइन इंजीनियरिंग, विस्तृत निविदा दस्तावेजीकरण, निर्माण पर्यवेक्षण, व्यापक परियोजना प्रबंधन, सिविल, विद्युत, यांत्रिक, सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक चिकित्सा सेवा क्षेत्रों के सभी क्षेत्रों में खरीद सहायता सेवाएँ शामिल हैं। इसके महत्वपूर्ण ग्राहकों इस प्रकार हैं :–

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उसके अस्पताल/संस्थान
- विदेश मंत्रालय और अन्य मंत्रालय
- राज्य सरकारें और उनके अस्पताल/संस्थान
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / अन्य संस्थान
- मॉरीशस सरकार

विश्व स्तरीय परामर्श संगठन के रूप में विकसित होने के लिए, भवन इंजीनियरिंग और रख–रखाव सेवाओं जैसे कार्यों में विविधता लाने और विस्तार करने तथा कंपनी के ग्राहक आधार पर जोर दिया जा रहा है

जोखिम एवं चिंताएँ

कंपनी के लिए मुख्य जोखिम और चिंता का विषय संबंधित मंत्रालय से प्रापण कार्यों में कमी और वर्तमान परिदृश्य में कुछ सिविल कार्यों में निरंतर/कम परामर्श शुल्क है।

आईटी संबंधी पहल

- कॉर्पोरेट कार्यालय और इकाइयों में इंटरनेट कनेक्शन स्थापित किया गया है।
- कॉर्पोरेट कार्यालय के विभिन्न विभागों को लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) के माध्यम से जोड़ा गया है।

परिचालन निष्पादन के सापेक्ष वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा

आपकी कंपनी ने भौगोलिक एवं वित्तीय रूप से परिचालन के क्षेत्र में विस्तार जारी रखा है। परिचालन के क्षेत्रों में विस्तार, नवप्रवर्तन एवं उत्कृष्टता के सभी प्रयास किए जाते हैं। कंपनी की विभिन्न गतिविधियों को निष्पादित करने में उच्च स्तर की तकनीकी विशेषज्ञता और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों एवं सलाहकारों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।

वर्ष 2024–25 के दौरान, आपकी कंपनी ने 31.03.2025 तक 2000.32 करोड़ रुपये का कुल कारोबार और 246.12 करोड़ रुपये का निवल मूल्य प्राप्त किया है।

खण्ड रिपोर्टिंग

भारतीय लेखा मानक भारतीय लेखा मानक–108 "सेगमेंट रिपोर्टिंग" में दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर कंपनी के व्यवसाय खंडों में निर्माण गतिविधि, परामर्श, उपकरण की आपूति, दवा आदि शामिल हैं। इसलिए, इसके सभी परिचालन भारतीय लेखांकन मानक भारतीय लेखा मानक–108 "सेगमेंट रिपोर्टिंग" के अर्थ के भीतर एकल खंड के अंतर्गत आते हैं।

चूँकि कंपनी की गतिविधियाँ मुख्य रूप से देश के भीतर हैं और उत्पाद/सेवाओं की प्रकृति को देखते हुए, परिचालन जोखिम और रिटर्न समान हैं और इस प्रकार केवल एक ही खंड है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कम्पनी में अन्य कार्यकलापों के साथ–साथ वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता, व्यापारिक लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने के लिये कम्पनी में एक आंतरिक नियंत्रण की कुशल प्रणाली व्याप्त है। परिचालन दक्षता, लागू नीतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन और निर्धारित कानून एवं नियमों अनुपालन किया जाता है।

आंतरिक व्यवस्था एवं आंतरिक नियंत्रण में लेखा–परीक्षा कार्य पर बल, पारदशिता स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिये, कम्पनी आंतरिक लेखा–परीक्षा के लिये चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फर्म को कार्य सौंपा गया है। आंतरिक लेखा–परीक्षा की रिपोर्ट को समय–समय पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिये प्रबंधन/मैनेजमेंट को प्रस्तुत किया जाता है।

मानव संसाधन विकास

एचएससीसी कौशल प्राप्त कम्पनी है तथा जनशक्ति ही इसकी वास्तविक ताकत है। 31 मार्च, 2025 तक, कंपनी में 59 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के कर्मचारियों एवं दिव्यांग श्रेणी के 3 कर्मचारियों सहित नियमित वेतनमान पर 150 कर्मचारी और निर्धारित कार्यकाल आधार पर 48 कर्मचारी हैं।

वर्षभर कर्मचारी प्रबंधन संबंध उत्कृष्ट रहा। वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा, इसके अतिरिक्त कम्पनी इस दिशा में उसकी दक्षता में और बढ़ोतरी हेतु उनका विकास किया जा रहा है। कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में कंपनी अपनी मानव पूंजी की भूमिका की सदैव सराहना करती है।

आचार संहिता

कम्पनी के निदेशक मण्डल ने निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों और कम्पनी के समस्त वरिष्ठ प्रबंधन के लिये आचार संहिता निर्धारित की है। जिसे सभी संबंधित अधिकारियों तथा कार्यपालकों को ई–मेल द्वारा साथ ही हार्ड–कॉपी के माध्यम से वितरित किया गया है। निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों और नामित वरिष्ठ प्रबंधन ने कार्मिक आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

लोक उद्यम विभाग को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर, कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुसार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को कॉर्पोरेट अभिशासन के अनुपालन की वाषिक रिपोर्ट भेजी जाती है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता

वर्षों के दौरान, वित्त वर्ष 2024–25 का कुल सीएसआर बजट रु.74.15 लाख था। जिसमें से 5 लाख रुपये मैसर्स ज्ञानम एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी को भोजन, शिक्षण सामग्री, कपड़े और खेल उपकरण आदि के प्रावधान में व्यय हुए। इसके अलावा, 5 लाख रुपये मैसर्स अर्पण सेवा संस्थान को आंगनवाड़ी सेवाओं को सशक्त करने, स्वास्थ्य शिविर और पूरक आहार के वितरण के लिए दिए गए हैं। 5 लाख रुपये मैसर्स सिटीजन फॉर वेलफेयर स्टेट को स्वास्थ्य और खेल उपकरण वितरण शिविर के लिए दिए गए हैं। 4.95 लाख रुपये मैसर्स उम्मेद फाउंडेशन को स्वीपिंग मशीन के वितरण के लिए दिए गए हैं।

इसके अलावा, चंबा जिले के उपायुक्त कार्यालय को 9 लाख रुपये स्कूलों में कक्षा और शौचालयों की मरम्मत के लिए, दमोह मध्य प्रदेश के कलेक्टर को 8.79 लाख रुपये स्कूलों में कक्षा और शौचालयों की मरम्मत के लिए, किफिरे, नागालैंड के उपायुक्त कार्यालय को 9.41 लाख रुपये किफिरे जिले में स्कूली शिक्षा के उन्नयन के लिए, फतेहपुर जिला मजिस्ट्रेट, शिक्षा अधिकारी को 9 लाख रुपये स्कूल शौचालयों की मरम्मत/निर्माण के लिए, गोलपारा के जिला आयुक्त को 9 लाख रुपये गोलपारा स्कूल में मरम्मत/नवीनीकरण/उन्नयन के लिए और ग्यालशिंग जिले के जिला कलेक्टर–सह–मजिस्ट्रेट को 9 लाख रुपये ग्यालशिंग जिले में शिक्षा के मानक में सुधार के लिए दिए गए।

सचेतक वक्तव्य

कंपनी के उद्देश्य, अनुमानों, पूर्वपेक्षाओं, अपेक्षाओं का वर्णन करते हुए प्रबंधन परिचिर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिए गए कथन, लागू कानूनों और विनियमों के अभिप्राय के भीतर भविष्योन्मुखी वक्तव्य हो सकते हैं, जो कंपनी प्रबंधन के विश्वास पर आधारित हैं। इस तरह के वक्तव्य भविष्य की घटनाओं के संबंध में कंपनी के वर्तमान विचारों को दर्शाते हैं, और इसके साथ ही ये जोखिम और अनिश्चितताओं के अधीन हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित किए गए भौतिक रूप से महत्वपूर्ण तौर पर भिन्न हो सकते हैं, जैसे कि सामान्य आर्थिक और व्यावसायिक स्थितियों में परिवर्तन के कारण, उस भाग को प्रभावित करता है जिसमें कंपनी संचालित होती है। इसके अलावा, व्यापार रणनीति, ब्याज दरों, मुद्रा–स्फीति, अपस्फीति, विदेशी मुद्रा दरों, उद्योग में प्रतिस्पर्धा, सरकारी नियमों में परिवर्तन, कर कानूनों, सांविधिक तथ्यों और अन्य आकस्मिक कारकों में परिवर्तन भी कंपनी के वास्तविक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। कंपनी का किसी भी भविष्योन्मुखी वक्तव्य को सार्वजनिक रूप से अद्यतन करने के लिए कोई दायित्व नहीं होगा, चाहे वह भविष्य में नए विकास के परिणामस्वरूप हो या अन्यथा।

अनुलग्नक–II

कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

1. कंपनी सिद्धांत

अच्छी कॉर्पोरेट अभिशासन नीति वह होती है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी का नियंत्रित तरीके से परिचालन व परिचालन हो सके, जो प्रबंधन को पारदर्शी, नैतिक, जवाबदेह और निष्पक्ष बनाए और जिसके परिणामस्वरूप शेयरधारक मूल्य में वृद्धि हो। प्रबंधन प्रासंगिक, विशिष्ट मामलों का विस्तृत प्रकटीकरण प्रदान करता है।

2. निदेशक मंडल

1. अन्य कंपनियों में निदेशक पद एवं वर्ग सहित निदेशक मंडल की संरचना

31 मार्च 2025 की स्थिति में कंपनी के निदेशक मंडल का विवरण नीचे दिया गया है :–

निदेशक का नाम	पूर्णकालिक / अंशकालिक	अन्य कंपनियों के निदेशक मण्डल के सदस्य
श्री के. पी. महादेवस्वामी	अध्यक्ष	1. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड 2. हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
श्री नौमान अहमद	प्रबंध निदेशक	शून्य
श्री रवि रंजन	निदेशक (इंजीनियरिंग)	1. चिंता राय साहब सिन्हा फाउंडेशन
श्रीमती डी. थारा	सरकार द्वारा नामित निदेशक	1. हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड 2. मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 3. राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम लिमिटेड 4. गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड
श्री दीपक सिंह भाकर	स्वतंत्र निदेशक (14 नवंबर, 2024 तक)	शून्य

निदेशक मण्डल के किसी भी निदेशक के पास दस से अधिक सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक का पद नहीं है।

इसके अलावा, उनमें से कोई भी दस से अधिक समितियों के सदस्य नहीं है, या ऐसे सभी सार्वजनिक कंपनियों में पाँच से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं है, जिसमें वे निदेशक हैं। निदेशकों द्वारा 31 मार्च 2025 तक अन्य सार्वजनिक कंपनियों में समिति पदों के संबंध में आवश्यक प्रकटीकरण किए गए हैं। कोई भी निदेशक एक–दूसरे से परस्पर संबंधित नहीं थे।

जबकि, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 09.05.2025 के कार्यालय आदेश के तहत **डॉ. जितेंद्र घनश्यामलाल नागर** को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है।

ii. कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशक की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशक, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए, या पदधारण की सेवानिवृत्ति की तिथि तक, या भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किए जाते हैं।

अंशकालिक, गैर–सरकारी निदेशकों को भारत सरकार द्वारा तीन साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।

iii निदेशकों का चयन

एचएससीसी सरकारी कंपनी है, इसके सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा इसके प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 की स्थिति में एचएससीसी के निदेशक मण्डल में एक स्वतंत्र निदेशक है।

iv. निदेशक मण्डल के सदस्यों हेतु परिचितीकरण कार्यक्रम

एचएससीसी के निदेशक मण्डल में शामिल किए गए सभी निदेशकों को कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन और कार्यकारियों द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के माध्यम से कंपनी से परिचित कराया गया। उन्हें परिचितीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में आवश्यक दस्तावेज/ब्रोशर, कंपनी की आंतरिक नीतियां संबंधी सामाग्री प्रदान की गई।

इसके अलावा, निदेशकों को कंपनी के प्रति उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझने के लिए, विभिन्न वैधानिक निकायों द्वारा लागू किए गए कानूनों में विकास पर समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।

V. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कंपनी के मामलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कंपनी के स्वतंत्र निदेशक वर्ष में कम से कम एक बार कार्यात्मक, सरकारी निदेशकों या प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना मिलते हैं। वे कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मण्डल के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का भी आकलन करते हैं, जो निदेशक मण्डल के लिए इसके कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने हेतु आवश्यक है। वर्ष के दौरान, एचएससीसी के निदेशक मण्डल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक थे।

Vi प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री नौमान अहमद, (प्रबंध निदेशक), श्री. रवि रंजन, निदेशक (इंजीनियरिंग), पूर्णकालिक निदेशक, श्री सौरभ श्रीवास्तव (मुख्य वित्तीय अधिकारी) और श्रीमती सोनिया सिंह, कंपनी सचिव (15 मार्च 2025 तक) वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) हैं।

Vii निदेशक मण्डल की बैठकें

अप्रैल, 2024 से मार्च 2025 के दौरान, निदेशक मंडल की छः निदेशक मण्डल बैठकें (186वीं से 191वीं तक) आयोजित की गईं। उनकी तिथियाँ हैं– 22 मई, 2024, 8 अगस्त, 2024, 6 नवंबर, 2024, 27 दिसंबर, 2024, 24 जनवरी, 2025, 20 मार्च, 2025।

बैठकें एवं उपस्थिति

निदेशक का नाम	उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या	उपस्थित हुए	विगत वार्षिक सामान्य बैठक में हिस्सा लिया
श्री के. पी. महादेवस्वामी	6	6	हाँ
श्री नौमान अहमद	6	6	हाँ
श्री रवि रंजन	6	6	हाँ
श्रीमती डी. थारा	6	1	हाँ
श्री दीपक सिंह भाकर	3	3	हाँ

इसके अलावा, कुछ निर्णय संचलन के माध्यम से प्रस्ताव पारित करके लिए गए थे और बाद में निदेशक मण्डल द्वारा अपनी अगली बैठक में नोट किए गए, और उनकी पुष्टि की गई और रिकॉर्ड में दर्ज किये गये।

viii. निदेशकों का शेयरधारक पैटर्न

31 मार्च, 2025 तक 1,80,01,400 रुपये की कुल इक्विटी शेयर (₹ 100 के इक्विटी शेयर 1,80,014) पूंजी के शेयर धारित रखे गए:

निदेशक	एचएससीसी के शेयरों की संख्या
श्री नौमान अहमद	6
श्री के. पी. महादेवस्वामी	शून्य
श्री रवि रंजन	शून्य
श्रीमती डी. थारा	शून्य
श्री दीपक सिंह भाकर	शून्य

एजेंडा तैयार करते समय, कंपनी अधिनियम, 2013 सहित लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन में एजेंडे पर टिप्पणी और बैठक के कार्यवृत्त को इसके तहत जारी नियमों के साथ पढ़ा जाता है। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों को भी सुनिश्चित किया जाता है।

3. आम सभा की बैठक

1. वार्षिक आम सभा

पिछली तीन वार्षिक आम बैठक निम्नानुसार आयोजित की गई:

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2023-24	सितंबर 20, 2024	12:00 अपराहन	गर्वी गुजरात भवन, 25–बी, अकबर रोड, मान सिंह रोड क्षेत्र, नई दिल्ली–110011
2022-23	सितंबर 12, 2023	12:30 अपराहन	गर्वी गुजरात भवन, 25–बी, अकबर रोड, मान सिंह रोड क्षेत्र, नई दिल्ली–110011
2021-22	सितंबर 27, 2022	12:30 अपराहन	एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली

2. असाधारण सामान्य बैठक

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कोई असाधारण सामान्य बैठक आयोजित नहीं हुई।

3. पोस्टल बैलेट/डाक मतपत्र

आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में कार्यवाही हेतु प्रस्तावित किसी भी कार्य को डाक मतपत्र के माध्यम से पारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

4. निदेशक मंडल स्तर की समितियां

(क). लेखा–परीक्षा समिति

14 नवंबर, 2024 को लेखा–परीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है :–

1. डॉ. दीपक सिंह भाकर :– अध्यक्ष
2. श्रीमती डी. थारा :– सदस्य

3. श्री रवि रंजन :– सदस्य

कंपनी के स्वतंत्र निदेशक डॉ. दीपक सिंह भाकर का कार्यकाल 14 नवंबर, 2024 से समाप्त होने के कारण 31 मार्च, 2025 को लेखा–परीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है :–

1. श्रीमती डी. थारा – अध्यक्ष
2. श्री नौमान अहमद – सदस्य
3. श्री रवि रंजन – सदस्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी सचिव, की सेवा समाप्ति के कारण 18 मार्च, 2025 तक लेखा–परीक्षा समिति के सचिव हैं। आवश्यकतानुसार बैठकों में भाग लेने के लिए वैधानिक लेखा–परीक्षकों को आमंत्रित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान बैठक एवं उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान पांच लेखा–परीक्षा समितियों की बैठकें आयोजित की गईं। उनकी तिथियाँ इस प्रकार हैं :– 22 मई, 2024, 19 जून, 2024, 8 अगस्त, 2024, 6 नवंबर, 2024 और 24 जनवरी, 2025

सदस्य का नाम	पदनाम	उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या	उपस्थित हुए
श्रीमती डी. थारा	अध्यक्ष	5	1
श्री दीपक सिंह भाकर	सदस्य	4	4
श्री नौमान अहमद	सदस्य	1	1
श्री रवि रंजन	सदस्य	5	5

(ख). कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समितिः

14 नवंबर, 2024 को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना इस प्रकार है :–

1. श्रीमती डी. थारा – अध्यक्ष
2. श्री दीपक सिंह भाकर– सदस्य
3. श्री रवि रंजन – सदस्य

कंपनी के स्वतंत्र निदेशक डॉ. दीपक सिंह भाकर का कार्यकाल 14 नवंबर, 2024 से समाप्त होने क करण 31 मार्च, 2025 को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की संरचना इस प्रकार है :–

1. श्रीमती डी. थारा – अध्यक्ष
2. श्री नौमान अहमद – सदस्य
3. श्री रवि रंजन – सदस्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी सचिव, की सेवा समाप्ति के कारण 18 मार्च, 2025 तक लेखा–परीक्षा समिति के सचिव हैं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान बैठक एवं उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान तीन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समितियों की बैठकें 02 अगस्त, 2024, 15 अक्टूबर, 2024 और 7 मार्च, 2025 को आयोजित की गईं :–

निदेशक का नाम	पदनाम	उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या	उपस्थित हुए
श्रीमती डी. थारा	अध्यक्ष	3	2

श्री रवि रंजन	सदस्य	3	3
श्री दीपक सिंह भाकर	14 नवंबर, 2024 तक सदस्य	2	2
श्री नौमान अहमद	सदस्य	1	1

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, संचलन के माध्यम से सीएसआर संकल्प को समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया तथा निदेशक मंडल को उनके अनुमोदन हेतु अनुशंसित किया गया।

(ग) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति :–

14 नवंबर, 2024 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना इस प्रकार है :–

1. श्री दीपक सिंह भाकर – अध्यक्ष
2. श्रीमती डी. थारा – सदस्य
3. श्री रवि रंजन – सदस्य

कंपनी के स्वतंत्र निदेशक डॉ. दीपक सिंह भाकर का कार्यकाल 14 नवंबर, 2024 से समाप्त होने के कारण 31 मार्च, 2025 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना इस प्रकार है :–

1. श्रीमती डी. थारा – अध्यक्ष
2. श्री नौमान अहमद – सदस्य
3. श्री रवि रंजन – सदस्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी सचिव, की सेवा समाप्ति के कारण 18 मार्च, 2025 तक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सचिव हैं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान बैठक एवं उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की दो बैठकें 19 जून, 2024 और 07 नवंबर, 2024 को आयोजित की गईं :–

सदस्यों के नाम	पदनाम	उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या	उपस्थित हुए
श्रीमती डी. थारा	अध्यक्ष	2	0
श्री दीपक सिंह भाकर	14 नवंबर, 2024 तक अध्यक्ष	2	2
श्री नौमान अहमद	सदस्य	0	0
श्री रवि रंजन	सदस्य	2	2

(घ) मानव संसाधन समिति की बैठक :–

14 नवंबर, 2024 तक मानव संसाधन समिति की संरचना निम्नानुसार है :–

1. श्री नौमान अहमद :– अध्यक्ष
2. श्री दीपक सिंह भाकर :– सदस्य
3. श्री रवि रंजन :– सदस्य

कंपनी के स्वतंत्र निदेशक डॉ. दीपक सिंह भाकर का कार्यकाल 14 नवंबर, 2024 से समाप्त होने के कारण 31 मार्च, 2025 को मानव संसाधन समिति की संरचना इस प्रकार है :–

1. श्री के. पी. महादेवस्वामी :– अध्यक्ष
2. श्री नौमान अहमद :– सदस्य
3. श्री रवि रंजन :– सदस्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी सचिव, की सेवा समाप्ति के कारण 18 मार्च, 2025 तक मानव संसाधन समिति के सचिव हैं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान बैठक एवं उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 11 जून, 2024 और 22 जुलाई, 2024 को दो मानव संसाधन समिति की बैठकें आयोजित की गईं :–

सदस्यों के नाम	पदनाम	उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या	उपस्थित हुए
श्री के. पी. महादेवस्वामी	अध्यक्ष	0	0
श्री दीपक सिंह भाकर	14 नवंबर, 2024 तक सदस्य	2	2
श्री नौमान अहमद	सदस्य	2	2
श्री रवि रंजन	सदस्य	2	2

निदेशकों का पारिश्रमिक (31 मार्च, 2025 के अनुसार)

सरकारी कंपनी होने के नाते, सीएमडी सहित कार्यात्मक निदेशकों को, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से नियुक्त किया जाता है, और वे सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमान के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, और जैसा कि सरकार द्वारा जारी उनकी नियुक्ति/अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार निर्दिष्ट किया गया होता है। कंपनी के नियमों के अनुसार प्रदर्शन से संबंधित वेतन सहित भत्ते और अनुलाभ दिए जा रहे हैं।

निदेशक मण्डल में अंशकालिक आधिकारिक निदेशकों को निदेशक के रूप में उनकी भूमिका के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं प्रदान किया जाता है, लेकिन सरकारी अधिकारी के रूप में सरकार से उनका पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है।

कंपनी के अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक भी कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं, उन्हें केवल बैठकों और उप–समितियों में प्रति बैठक रु. 10,000/– बैठक–शुल्क का भुगतान किया जाता है।

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों का पारिश्रमिक इस प्रकार है :–

(क) कार्यात्मक निदेशकों का पारिश्रमिक :–

विवरण	श्री नौमान अहमद (प्रबंध निदेशक) वित्तीय वर्ष 2024–25	श्री रवि रंजन निदेशक (इंजीनियरिंग) वित्तीय वर्ष 2024–25
सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	34,54,987	35,33,847
(ख) धारा के अधीन अनुलाभों का मूल्य	6,84,285	6,23,343
(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के एवज में प्रतिलाभ	शून्य	शून्य
स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य
उद्यम इक्विटी	शून्य	शून्य
लाभ के रूप में कमीशन	शून्य	शून्य
ई.पी.एफ., नियोक्ता पेंशन, अंशदान	6,98,010	6,35,838
अर्जित अवकाश और एचपीएल, छुट्टी नकदीकरण, प्रतिपूर्ति, पीआरएमबी, ग्रेच्युटी	4,02,504	3,65,875
कुल	**52,39,786**	**51,58,903**

2. निदेशकों का कंपनी के साथ कोई अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध/लेन–देन नहीं है। गैर–कार्यकारी अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र) को प्रत्येक निदेशक मण्डल और उप–समिति(ओं) की बैठक के लिए क्रमशः रु. 10,000/– का बैठक शुल्क प्रदान किया जाता है।

3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान गैर–कार्यकारी निदेशक को कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है।

4. संचार के साधन

कंपनी अपने शेयरधारकों को अपनी वार्षिक प्रतिवेदन, आम बैठकों और वेबसाइट के द्वारा प्रकटीकरण के माध्यम से संवाद व संचार करती है।

क. वार्षिक प्रतिवेदन : वार्षिक प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ–साथ निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट, कंपनी के लेखा–परीक्षित वित्तीय विवरण शामिल होते हैं। प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट उक्त वार्षिक प्रतिवेदन का एक हिस्सा है, और कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है।

ख. वेबसाइटः कंपनी की वेबसाइट www.hsccltd.co.in एचएससीसी के प्रबंधन, विजन, मिशन, नीतियों, कॉर्पोरेट अभिशासन, कॉर्पोरेट स्थिरता, निवेशकों के संबंध, अध्यतन सूचनाएँ और समाचार हेतु एक व्यापक संदर्भ प्रदान करती है।

कंपनी आयोजनों एवं घटनाओं के आधार पर, कंपनी की वेबसाइट पर समाचार विज्ञप्ति जारी करती है।

5. शेयर–धारकों के लिए सामान्य जानकारी :–

क.	कंपनी पंजीकरण विवरण	सीआईएन - U74140DL1983GOI015459
ख.	42वीं वाषिक आम बैठक : तिथि, समय और स्थान	बुधवार, 10 सितंबर 2025, दोपहर 12:45 बजे। भारतीय मानक समय ("आईएसटी"), भूतल, कार्यालय ब्लॉक–1, कन्वेंशन सेंटर, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली–110029
ग.	वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025
घ.	बही समापन तिथि / रिकॉर्ड तिथि	02 सितंबर 2025

6. प्रकटीकरण

1. इस अवधि के दौरान इसके निदेशकों और प्रबंधन के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी स्तर लेन–देन नहीं हुआ, जो कि बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित रूप में प्रतिकूल रहा हो। इसके अलावा, कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

2. निदेशकों को उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक और गैर–आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों को बैठने की फीस के अलावा, किसी भी निदेशक का कंपनी के साथ कोई महत्वपूर्ण या आर्थिक संबंध नहीं था, जो निर्णय की स्वतंत्रता को प्रभावित करता हो।

3. विभिन्न विभागों से प्राप्त सांविधिक अनुपालन रिपोर्ट, सांविधिक बकाया की स्थिति के साथ, नियमित रूप से निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

4. कंपनी निदेशक मण्डल की संरचना को छोड़कर, सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है, क्योंकि प्रशासनिक मंत्रालय स्वतंत्र निदेशक के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में है।

5. वर्ष के दौरान, लेखा बहियों में ऐसा कोई व्यय के नामे नहीं लिखा गया है, जो कि व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए नहीं था, और ऐसा कोई भी व्यय जो व्यक्तिगत प्रकृति का तथा जो निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए खर्च नहीं किया गया है।

6. मैसर्स एस.आर. दिनोदिया एंड एसोसिएट्स को कंपनी का वैधानिक लेखा–परीक्षक नियुक्त किया गया है।

7. **वित्तीय वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न से संबंधित दर्ज, निपटाई गई और लंबित शिकायतों का विवरण कंपनी की निदेशक रिपोर्ट में दिया गया है – शून्य रिपोर्ट।**

8. **कुल व्यय बनाम वित्तीय व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय का विवरण और वृद्धि का कारण:**

रुपये लाख में

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1	प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय (A)	7,392.54	5,480.73
2	कुल व्यय (B)	1,99,650.07	1,34,046.57
3	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय (C=A/B*100)	3.70%	4.09%
4	वित्तीय व्यय (D)	2.67	0.19
5	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय व्यय (C=D/B*100)	0.00%	0.00%

*वित्त वर्ष 2024–25 के प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय में व्यापार प्राप्य पर ECL के लिए प्रावधान/प्रत्यावर्तन शामिल है और परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता पर होने वाली हानि को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

9. **वर्ष के दौरान, कंपनी को कोई अध्यक्षीय निर्देश जारी नहीं किए गए।**

7. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट (अनुलग्नक–क) के साथ संलग्न किया गया है।

8. अनुपालन

कॉर्पोरेट अभिशासन के दायित्वों व शर्तों के अनुपालन के संबंध में कंपनी के लेखा–परीक्षकों से अनुपालन प्रमाण–पत्र, इसके साथ संलग्न है (अनुलग्नक ख) और यह रिपोर्ट का हिस्सा है।

घोषणा

हम, एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, नौमान अहमद और निदेशक (इंजीनियरिंग) रवि रंजन, एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ता./–
नौमान अहमद
प्रबंध निदेशक (एचएससीसी)
डीआईएन : 10054994

हस्ता./–
रवि रंजन
निदेशक (इंजीनियरिंग)
डीआईएन : 10057427

स्थान : नौएडा
दिनांक : 01 अगस्त, 2025

अनुलग्नक–III

एओसी–2

संबंधित पार्टी के साथ किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं का विवरण

कंपनी अधिनियम–2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पाटियों के साथ कंपनी द्वारा निष्पादित किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण का प्रकटीकरण।

1. व्यापार के सामान्य कार्यकलापों में दर्ज किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं या लेन–देन के विवरण का प्रकटीकरण, लेकिन वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर नहीं : शून्य
2. व्यापार के सामान्य कार्यकलापों में दर्ज किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरण, लेकिन वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के रूप में :–

संबंधित पक्ष की प्रकृति और अनुबंध की प्रकृति	संबंध	अनुबंध की अवधि	मुख्य विशेषताएं	राशि (लाख रु. में)
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	धारक कंपनी	बोर्ड की मंजूरी के अनुसार	अनुबंध सेवा और अन्य के लिए प्राप्त राशि	3,699.26

हस्ता./–
नौमान अहमद
प्रबंध निदेशक (एचएससीसी)
डीआईएन : 10054994

हस्ता./–
सौरभ श्रीवास्तव
मुख्य वित्तीय अधिकारी (एचएससीसी)
एफसीएमए : 13771

स्थान : नौएडा
दिनांक : 01 अगस्त, 2025

अनुलग्नक–क

सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

सेवामें,

निदेशक मंडल,
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
ई–6(ए), सैक्टर–1, नौएडा,
उत्तर प्रदेश, भारत, 201301

हम, नौमान अहमद, प्रबंध निदेशक और सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य वित्तीय अधिकारी, एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि :–

क. हमने, 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उस तारीख को वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरणों की समीक्षा की है और हमारे सर्वोत्तम संज्ञान और विश्वास के अनुसार :–

i. उक्त विवरणों में कोई महत्वपूर्ण रूप से असत्य कथन नहीं है, या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया है, या इसमें ऐसे कथन शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

ii. उक्त विवरण एक साथ कंपनी के मामलों व कार्यों का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखा मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

ख. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया गया है, जो धोखाधड़ी हो, अवैध हो या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करता है।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है। हमने इस तरह के आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन या परिचालन में कोई रिपोर्ट योग्य कमियां नहीं पाई हैं।

घ. हमने लेखा–परीक्षकों और लेखा–परीक्षा समिति को निम्नलिखित को सूचित किया है :–

(i) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में वर्ष 2024–25 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ii) वर्ष 2024–25 के दौरान लेखांकन नीतियों में उक्त महत्वपूर्ण परिवर्तन और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उनका प्रकटीकरण।

(iii) वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या ऐसे किसी भी कर्मचारी द्वारा वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के कोई भी उदाहरण

हस्ता./–
नौमान अहमद
प्रबंध निदेशक (एचएससीसी)
डीआईएन : 10054994

हस्ता./–
सौरभ श्रीवास्तव
मुख्य वित्तीय अधिकारी (एचएससीसी)
एफसीएमए क्रं.: 13771

स्थान : नौएडा
दिनांक : 01 अगस्त, 2025

अनुलग्नक –IV

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

एचएससीसी की सीएसआर एवं एसडी नीति कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप है। एचएससीसी की सीएसआर नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

1) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित संपूर्ण परियोजना को समाहित करती है।

2) प्रस्ताव/अनुरोध निर्धारित प्रारूप में जिला प्रशासन/जिला प्राधिकरणों के माध्यम से आने चाहिए।

3) प्रस्तावों की अनुशंसा निदेशक मण्डल स्तरीय सीएसआर समिति द्वारा की जाती है तथा कार्यान्वयन हेतु एचएससीसी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

31 मार्च, 2025 तक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना निम्नानुसार है :–.

क्रं.स.	सदस्य का नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1.	श्रीमती डी. थारा	सरकार द्वारा नामित निदेशक/अध्यक्ष	3	2
2.	श्री नौमान अहमद	प्रबंध निदेशक/सदस्य	1	1
3.	श्री रवि रंजन	निदेशक (इंजीनियरिंग)/सदस्य	3	3

4) वेब–लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हैं – www.hsccltd.co.in

5) नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का वेब–लिंक सहित कार्यकारी सारांश प्रदान करें, यदि लागू हो – लागू नहीं

6) कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उपनियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो। – शून्य

7) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ – 3707.26 लाख

8) (i) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत : 74.15 लाख।

(ii) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : शून्य

(iii) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो : शून्य

(iv) वित्तीय वर्ष (8a+8b+8c) के लिए कुल सीएसआर दायित्व : 74.15 लाख

9) (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि : 74.15 लाख रुपये

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण : 74.15 लाख रुपये

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: शून्य

(घ) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि : शून्य

(ड़) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो : शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (9बी+9सी+9डी+9ई): 74.15

(छ) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

10. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त सीएसआर राशि का विवरण : शून्य

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौराः

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त सीएसआर राशि का विवरण :–

पिछला वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अंतर्गत सीएसआर खाते में हस्तांतरित अव्ययित राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (लाख रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो,	आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (लाख रुपये में)
2021-22	शून्य	105.11	शून्य	5.06*
2022-23	शून्य	86.21	शून्य	शून्य
2023-24	शून्य	75.15	शून्य	शून्य

*वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान वित्तीय विवरणों के पुनर्कथन के लिए 5.06 रुपये देय थे और वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान किडनी रोग एवं अनुसंधान केंद्र संस्थान को दान के रूप में खर्च किए गए।

11. क्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्तियां बनाई गई हैं या अर्जित की गई हैं? वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि : नहीं

यदि हाँ, तो सृजित/अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें।

12. यदि कंपनी धारा 135 की उप–धारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं – कंपनी ने धारा 135 की उप–धारा (5) का अनुपालन किया है।

हस्ता./–

नौमान अहमद
(प्रबंध निदेशक)

हस्ता./–

(सीएसआर समिति के अध्यक्ष)

क्रं. स.	परियोजना गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	स्थान	परियोजना/कार्यक्रम के लिए स्वीकृत कुल बजट	चालू वर्ष 2024–25 में परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि	चालू वर्ष 2023–24 के लिए परियोजना या कार्यक्रमवार परिव्यय (बजट) राशि	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि/प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1.	मैसर्स ज्ञानम एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी		राजस्थान	5 लाख	5 लाख	5 लाख	5 लाख	वैधानिक कानून के अनुसार कार्यान्वित
2.	मैसर्स अर्पण सेवा संस्थान		मध्य प्रदेश	5 लाख	5 लाख	5 लाख	5 लाख	वैधानिक कानून के अनुसार कार्यान्वित
3.	मैसर्स सिटीजन फॉर वेलफेयर स्टेट		उतार प्रदेश।	5 लाख	5 लाख	5 लाख	5 लाख	वैधानिक कानून के अनुसार कार्यान्वित
4.	मैसर्स उम्मेद फाउंडेशन		ओडिशा	4.95 लाख	4.95 लाख	4.95 लाख	4.95 लाख	वैधानिक कानून के अनुसार कार्यान्वित
5.	मैसर्स उपायुक्त कार्यालय, चंबा		हिमाचल प्रदेश	9.00 लाख	9.00 लाख	9.00 लाख	9.00 लाख	वैधानिक कानून के अनुसार कार्यान्वित
6.	मैसर्स कलेक्टर, दमोह		मध्य प्रदेश	8.79 लाख	8.79 लाख	8.79 लाख	8.79 लाख	वैधानिक कानून के अनुसार कार्यान्वित
7.	मैसर्स उपायुक्त कार्यालय, किफिरे		नगालैंड	9.41 लाख	9.41 लाख	9.41 लाख	9.41 लाख	वैधानिक कानून के अनुसार कार्यान्वित
8.	मैसर्स जिला मजिस्ट्रेट, शिक्षा अधिकारी		उत्तर प्रदेश	9.00 लाख	9.00 लाख	9.00 लाख	9.00 लाख	वैधानिक कानून के अनुसार कार्यान्वित
9.	मैसर्स जिला आयुक्त		असम	9.00 लाख	9.00 लाख	9.00 लाख	9.00 लाख	वैधानिक कानून के अनुसार कार्यान्वित
10.	मैसर्स जिला कलेक्टर–सह–मजिस्ट्रेट		सिक्किम	9.00 लाख	9.00 लाख	9.00 लाख	9.00 लाख	वैधानिक कानून के अनुसार कार्यान्वित

उत्तरदायित्व कथन

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि एचएससीसी के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति को कार्यान्वित किया गया है और सीएसआर समिति कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में सीएसआर परियोजनाओं और गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

हस्ता./–
नौमान अहमद
प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या : 10054994

हस्ता./–
डी. थारा
(अध्यक्ष, सीएसआर समिति)
डीआईएन संख्या : 01911714

स्थान : नौएडा
दिनांक : 01 अगस्त, 2025

अनुलग्नक–V

फॉर्म संख्या MR–3
सचिवीय लेखा–परीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (कार्मिक नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में]

सेवामें,

सदस्य,
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
205, (दूसरी मंजिल), ईस्ट एंड प्लाजा, प्लॉट नंबर 4, एलएससी, सेंटर–II, वसुंधरा एन्क्लेव,
नई दिल्ली–110096

हमने **एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड** (इसके बाद ''कंपनी'' कहा गया है), जिसका पंजीकृत कार्यालय 205, (दूसरी मंजिल), ईस्ट एंड प्लाजा, प्लॉट नंबर 4, एलएससी, सेंटर–II, वसुंधरा एन्क्लेव, नई दिल्ली–110096 है, द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन पद्धतियों के पालन का सचिवीय लेखा–परीक्षा किया है। सचिवीय लेखा–परीक्षा इस तरीके से की गई जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

सचिवालयी लेखा–परीक्षा के दौरान कंपनी की बहियों, पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और फाइल किए गए रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों और कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त सूचना, हमें दिए गए वर्णन और स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन, के हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे अभिमत में, कंपनी ने, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान, यहां नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का आमतौर पर अनुपालन किया है और कंपनी के पास यहां इसमें इसके बाद रिपोर्ट की गई सीमा तक, रिपोटिंग में बताए तरीके में और उसके अध्ययधीन समुचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र विद्यमान है :–

हमने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए और रखे जा रहे बहियों, कागजात,कार्यवृत्त बहियों, दाखिल किए गए फॉर्म और रिटर्न और अन्य अभिलेख की जांच **"कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके तहत बनाए गए नियमों"** के प्रावधानों के अनुसार की है।

इसके अलावा, **हमने आज की तारीख तक संशोधित "भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों" और "केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों" के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है। इसके अलावा हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के साथ कंपनी द्वारा अनुपालन की जांच नहीं की है, क्योंकि यह सांविधिक वित्तीय लेखा–परीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन है।**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने **निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन** उपरोक्त वर्णित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है :–

अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण डीपीई दिशा–निर्देशों के खंड 3.1.1, 3.1.4, 4.1.1 और 5.1 का अनुपालन नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

कंपनी का निदेशक मंडल कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों को बोर्ड के प्रतिभागियों को पर्याप्त नोटिस, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट प्रदान करके विधिवत बुलाया गया था, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है। कुछ मामलों में देरी को छोड़कर सभी फॉर्म वैधानिक अधिकारियों के पास समय पर दाखिल किए गए हैं। बहुमत का निर्णय लागू किया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को बैठक के कार्यवृत्त के भाग के

रूप में दर्ज किया जाता है।

बहुमत से लिया गया निर्णय लागू किया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को बैठक के कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

इसके अतिरिक्त हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के आकार और परिचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा–निर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

कृते जे. के. गुप्ता एंड एसोसिएट्स

हस्ता. / –
प्रियंका गोयल
(प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव)
एसीएस क्रमांक : 34403
सीपी क्रमांक : 15868
सहकर्मी समीक्षित क्रमांक : 6747 / 2025
यूडीआईएन : A034403G000634332

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 19.06.2025

इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना है, जो **"अनुलग्नक क"** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

'अनुलग्नक–क'

सेवामें,

सदस्य,
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
205 (दूसरी मंजिल), ईस्ट एंड प्लाजा, प्लॉट नंबर 4,
एलएससी, सेंटर–II, वसुंधरा एन्क्लेव,
नई दिल्ली–110096

इस पत्र के साथ सम–संख्यक की हमारी सचिवीय लेखा–परीक्षा रिपोर्ट पढ़ी जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व, हमारे लेखा–परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों के संबंध में अभिमत अभिव्यक्त करना है।
2. हमने लेखा–परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित थे। सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार अपनाया गया जिससे कि सचिवीय रिकॉर्डों से सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का हम पालन करते हैं वे हमारी अभिमत को उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने समीक्षाधीन अवधि के लिए सांविधिक लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट पर भरोसा किया है; इसलिए हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।
4. जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ी, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन से प्रतिवेदन प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा–परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रबंधन द्वारा संचालित कार्यों की प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन देती है।

कृते जे. के. गुप्ता एंड एसोसिएट्स

हस्ता./–
प्रियंका गोयल
(प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव)
एसीएस क्रमांक : 34403
सीपी क्रमांक : 15868
सहकर्मी समीक्षित क्रमांक : 6747/2025
यूडीआईएन : A034403G000634332

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 19.06.2025

कॉर्पोरेट अभिशासन पर
स्वतंत्र लेखा–परीक्षक का प्रमाण–पत्र

सेवामें,

सदस्य,
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

1. हमने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हेतु कॉरपोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के 8.2.1 में यथा निर्धारित है।
2. कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। यह न तो कंपनी की कोई लेखा–परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अभिमत की अभिव्यक्ति है। हमारी जाँच कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी, ***सिवाय इसके कि बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण डीपीई दिशा–निर्देशों के खंड 3.1.1, 3.1.4, 4.1.1 और 5.1 का अनुपालन नहीं हुआ है।***

इसके अतिरिक्त हम उल्लेख करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के रूप में आश्वासन है, न ही इसकी दक्षता या प्रभावशीलता, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का कार्यान्वयन किया है।

कृते जे. के. गुप्ता एंड एसोसिएट्स
(प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी)

जितेश गुप्ता
(संस्थापक भागीदार)
एफसीएस क्र. 3978
सीपी क्रमांक : 2448
सहकर्मी समीक्षित क्रमांक : 6747/2025
यूडीआईएन : F003978G000962309

कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट (2024–25) पर सचिवीय लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर

लेखा–परीक्षक की टिप्पणियां (कॉर्पोरेट अभिशासन)	प्रबंधन के उत्तर
बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण डीपीई दिशा–निर्देशों के खंड 3.1.1, 3.1.4, 4.1.1 और 5.1 का अनुपालन नहीं किया गया है।	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसके स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की जाती है। निदेशक मंडल में 15 नवंबर, 2021 से 14 नवंबर, 2024 तक एक स्वतंत्र निदेशक, श्री दीपक सिंह भाकर हैं। इसके अतिरिक्त, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के कार्यालय आदेश द्वारा कंपनी के स्वतंत्र निदेशक डॉ. जितेंद्र घनश्यामलाल नागर को 9 मई, 2025 से नियुक्त किया गया है और एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की प्रतीक्षा है।

श्री नौमान अहमद
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10054994
पता :– सी2/52सी, ग्राउंड फ्लोर, सफदरजंग डवलप्मैंट एरिया, नई दिल्ली–110016

स्थान : नौएडा
दिनांक : 01 अगस्त, 2025

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
(अवसंरचना), नई दिल्ली
तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन,
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

DGA/Infra-I/HB-I/HSCC/36-09/A/AC/2024-25/178

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF
AUDIT (INFRASTRUCTURE), NEW DELHI
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

दिनांक / DATE 24/07/2025

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
इ-6 (ए), सेक्टर 1,
नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301

विषयः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की 'शून्य टिप्पणियाँ" ।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के **"एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड"** के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की 'शून्य टिप्पणियाँ ' अग्रेषित करता हूँ। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक आमसभा में उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीय,

प्रमोद कुमार

(प्रमोद कुमार)
अपर उप –नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक

संलग्नः शून्य टिप्पणियाँ

Phone: 011-23378473
E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महा–लेखा–परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग के ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा–लेखा–परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा–परीक्षक अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा–परीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के तहत वित्तीय विवरण पर अभिमत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह उनके द्वारा दिनांक 20 मई, 2025 की अपनी लेखा–परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से करने का उल्लेख किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महा–लेखा–परीक्षक की ओर से, अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखा–परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा–परीक्षा सांविधिक लेखा–परीक्षक के कार्य दस्तावेजों की उपलब्धता के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्रमुख रूप से सांविधिक लेखा–परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा–परीक्षा के आधार पर ऐसा कोई उल्लेखनीय तथ्य मेरी जानकारी में नहीं या है जिसके कारण अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट के अनुपूरक के रूप में कोई टिप्पणी दी जा सके।

कृते भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा–परीक्षक एवं उनकी ओर से

हस्ता./–
(प्रमोद कुमार)
अपर महानिदेशक, लेखा–परीक्षा
(अवसंरचना)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 जुलाई 2025

वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवामें,
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड सदस्यगण,

वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने **एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी")** के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 को तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि का विवरण (अन्य सर्वसमावेशी आय सहित), इस समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह का विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा वास्तविक लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित वित्तीय विवरणों के नोट्स समाहित हैं (इसे आगे "वित्तीय विवरण" कहा जाएगा)।

हमारे अभिमत एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप पूर्वोक्त वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") में अपेक्षित तरीके के अनुसार सूचना प्रदान करते हैं और यथा संशोधित कंपनी (इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड) नियम 2015, के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों, (भारतीय लेखा मानक–) एवं भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुपालन में 31 मार्च 2025 को कंपनी के समेकित लाभ एवं कुल सर्वसमावेशी आय, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसका नकदी प्रवाह विवरण की स्थिति को यथार्थ व उचित रूप से प्रस्तुत करते हैं।

अभिमत का आधार

हमने अपनी लेखा–परीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा संबंधी मानकों (एसएएस) के अनुसार की है। इन मानकों के तहत हमारे दायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा के लिए लेखा–परीक्षक के उत्तरदायित्व भाग में और अधिक वर्णित किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी आचार संहिता के साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 और इससे आधारित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा के लिये प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया है। हमारा मानना है कि लेखा–परीक्षा के जो साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं, वे कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण पर हमारा अभिमत का आधार बनने के लिये पर्याप्त और उचित हैं।

मुख्य विषय

हम वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित मामलों की ओर विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं :–

1. टिप्पणी संख्या 4 सकल मूल्य ₹389.16 लाख वाली लीजहोल्ड भूमि पर भवन निर्माण शुरू नहीं होने के संबंध में है, जिसमें लीज डीड के अनुसार 21 अप्रैल, 2017 तक निर्माण कार्य पूरा होना था। कंपनी ने इस रिपोर्ट की तिथि तक 22 अप्रैल, 2017 से 8 अप्रैल, 2022 तक की अवधि के लिए नौएडा प्राधिकरण द्वारा 12 जनवरी, 2022 को जारी पत्र के माध्यम से मांगे गए ₹56.51 लाख. 18% जीएसटी का विस्तार शुल्क का भुगतान नहीं किया है। लेकिन कंपनी ने नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण को देय लीज डीड विस्तार शुल्क खंड के अनुसार 31 मार्च, 2025 तक ₹89.76 लाख (31 मार्च, 2024: ₹78.46 लाख) का विस्तार शुल्क का प्रावधान किया है।
2. टिप्पणी संख्या 50 परियोजनाएं जो पूरी हो चुकी हैं लेकिन मंत्रालयों / ग्राहकों को नहीं सौंपी गई हैं, उनके बारे में है। इन परियोजनाओं की 31 मार्च, 2025 तक ₹55,699.45 लाख की परिसंपत्ति और देनदारियां हैं (₹35,265.53 लाख अलग खाते में और ₹20,433.92 लाख मुख्य कार्यालय में पड़े हैं) (31 मार्च, 2024 ₹112,878.92 लाख (₹95,327.22 लाख अलग खाते में और ₹17,551.70 लाख मुख्य कार्यालय में पड़े हैं) कंपनी के खाता पुस्तकों में वित्तीय समापन के लिए लंबित हैं। कंपनी

ने इन पुरानी परियोजनाओं के वित्तीय समापन की प्रक्रिया शुरू की थी। वर्ष के दौरान, कंपनी अपनी खाता पुस्तकों में वित्तीय रूप से इनमें से काफी संख्या में परियोजनाओं को बंद करने में सक्षम रही है। कंपनी शेष परियोजनाओं के वित्तीय समापन की प्रक्रिया में है। कंपनी परियोजनाओं के वित्तीय समापन की प्रक्रिया को मजबूत कर रही है। ऐसी परियोजनाओं की परिसंपत्तियों और देनदारियों के समायोजन से उत्पन्न होने वाले परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, उन वित्तीय विवरणों का वर्तमान में पता नहीं लगाया जा सका है।

3. नोट संख्या 51 के संदर्भ में, व्यापार प्राप्य, वसूली योग्य/देय दावों, व्यापार देय, प्रतिधारण धन, ग्राहक जमा निधि, ईएमडी, प्रतिभूति जमा (प्राप्य और देय) के संबंध में शेष राशि की पुष्टि और समाधान करने के संबंध में, मंत्रालयों, ग्राहकों और देय दावों के शेष समाधान, पुष्टि और उसके परिणामी समायोजन के अधीन हैं। व्यापार प्राप्य, वसूली योग्य/देय दावे, व्यापार देय, प्रतिधारण राशि, ग्राहक जमा, बयाना राशि जमा, सुरक्षा जमा (प्राप्य और देय) की शेष राशि की पुष्टि और पुनर्मिलान के संबंध में देखें। वर्ष के दौरान, कंपनी ने प्रक्रिया शुरू की है और काफी पुनर्मिलान पूरे किए हैं। भविष्य में, कंपनी नियमित अंतराल पर समय–समय पर पुष्टि/पुनर्मिलान की अपनी प्रणाली को और मजबूत कर रही है। इसके अलावा, कंपनी ने अपनी ऋण नीति के अनुसार अपनी प्राप्तियों के विरुद्ध अपने लेखा पुस्तकों में पर्याप्त प्रावधान किए हैं। प्रबंधन को अपने वित्तीय विवरणों पर शेष पुनर्मिलान पूरा होने पर किसी महत्वपूर्ण हानि की उम्मीद नहीं है।

इन मामलों में हमारा अभिमत संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरण से इतर सूचना और तत्संबंधी लेखा–परीक्षक रिपोर्ट

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल, अन्य सूचना तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में प्रबंधन अवलोकन, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित बोर्ड की रिपोर्ट और शेयरधारक की जानकारी सम्मिलित है, लेकिन इसमें भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण और इस पर हमारे लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और इस संबंध में किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ना और ऐसा करते हुए ध्यान रखना कि वित्तीय विवरणों के साथ अन्य सूचनाएं कहीं असंगत तो नहीं हैं अथवा लेखा–परीक्षा में प्राप्त जानकारी अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम बोर्ड रिपोर्ट पढ़ते हैं, और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण मिथ्या कथन है, तो हमें इस मामले को अभिशासन के प्रभारी लोगों को बताना होगा।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी व्यक्तियों की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित विषयों के संदर्भ में इन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार किए जाने हेतु उत्तरदायी है, जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों और भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप कंपनी के वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तनों तथा नकदी प्रवाह का एक वास्तविक और सही विवरण प्रदान करते हों। इस उत्तरदायित्व में ऐसे पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण भी सम्मिलित है जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को पता लगाने और रोकने हेतु उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग उचित और विवेकपूर्ण आकलन और निर्णय लेने एवं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले किसी भी प्रकार के मूर्त अनुचित कथन से मुक्त तथा वास्तविक और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत कराने वाले वित्तीय विवरणों के निर्माण और प्रस्तुतीकरण हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो कि लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव हेतु प्रासंगिक हों।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, कंपनी को उन्नतिशील व्यावसायिक इकाई के रूप में बनाए रखने के लिए समूह की योग्यता का आकलन करने, क्रियाशील इकाई से संबन्धित जानकारियां यथा आवश्यक प्रकटीकरण करने और जब तक प्रबंधन समूह के परिसमापन या परिचालन रोकने की मंशा न रखती हो अथवा इसके अतिरिक्त कोई यथार्थ कारण न हो, तब तक समूह को लेखांकन का आधार बनाने के लिए कंपनी के निदेशक मण्डल उत्तरदायी है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरण की लेखा–परीक्षा के लिए लेखा–परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप में वास्तविक गलत विवरण से मुक्त हैं चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा अभिमत भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा–परीक्षा मौजूद किसी वास्तविक गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह विद्यमान हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इसे वास्तविक माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए उचित रूप से उम्मीद की जा सकती है।

भारतीय लेखा मानकों के अनुसार एक लेखा–परीक्षा के भाग के रूप में, हमने पेशेवर निर्णय लिया हैं और पूरी लेखा–परीक्षा में व्यावसायिक संशय को बनाए रखा है। हम यह भी सुनिश्चित करते है किः

- वित्तीय विवरणों के सारतः गलत कथन, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि के कारण, की पहचान करना और जोखिमों को आंकना और इन जोखिमों के अनुक्रियाशील लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को पूरा करना, और लेखा परीक्षण साक्ष्यों को प्राप्त करना जो कि हमारा अभिमत के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप सारतः गलत कथन को न खोज पाने का जोखिम, गलती के परिणामस्वरूप से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जाल–साजी, जानबूझकर की गई चूकें, गलतबयानि या आंतरिक नियंत्रणों को अधिभावी किया जाता है।
- परिस्थितियों के अनुसार लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षण के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अनुसार, हम इस बात पर अपनी अभिमत व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों के परिचालन में प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों और संबंधित प्रकटन की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन की चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है, और प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य के आधार पर, क्या कुछ ऐसी अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है, जो एक चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन पर ध्यान आकर्षित करना होगा या हमारा अभिमत को संशोधित करने के लिए इस तरह के प्रकटन अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष, हमारे लेखा–परीक्षक की दिनांक तक की रिपोर्ट से प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कंपनी की चिंता का विषय बनी रह सकती है।
- प्रकटन सहित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन और व्यवसाय को उचित रूप में दर्शाते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ, लेखा–परीक्षा के योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा–परीक्षा निष्कर्षों जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखा–परीक्षा के दौरान अभिज्ञात करते हैं, को भी प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को संप्रेषित करते है।

हम अभिशासन के उत्तरदायी लोगों को एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और हम उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के संबंध में उनसे संवाद करते हैं जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित रक्षोपायों के बारे में भी संसूचित करते हैं।

अन्य मामले

1. हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल मॉरीशस की 1 विदेशी शाखा के वित्तीय विवरण/जानकारी की लेखा–परीक्षा नहीं की, जिसके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2025 को 14.58 लाख रुपये (पिछले वर्ष 130.64 लाख रुपये) की कुल संपत्ति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये) दर्शाती है जैसा कि इस शाखा के उक्त वित्तीय विवरण/सूचना में माना गया है, जिसे कंपनी के प्रबंधन द्वारा विधिवत प्रमाणित करके हमें प्रस्तुत किया गया है और जहां तक यह उक्त शाखा के संबंध में शामिल रकम और प्रकटीकरण से संबंधित है, हमारा अभिमत पूरी तरह से कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें दी गई विधिवत प्रमाणित जानकारी पर आधारित है।

2. 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए संबंधित वर्ष के लिए कंपनी के तुलनात्मक वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा पूर्ववर्ती लेखा–परीक्षक द्वारा किया गया था, जिन्होंने 22 मई 2024 की अपनी लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में उन वित्तीय विवरणों पर संशोधित निष्कर्ष/अभिमत व्यक्त की थी।

उपर्युक्त मामलों में हमारा अभिमत संशोधित नहीं किया गई है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसाकि भारत की केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुरूप जारी कंपनी (लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है, हम **"अनुलग्नक क"** में यथाप्रयोज्य सीमा तक आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम प्रयोज्य सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

   I. हमने अभिमत के पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामलों / प्रभावों / संभावित प्रभावों को छोड़कर मांग सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमारी लेखा–परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थेय

   II. अभिमत पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामलों के प्रभावों / संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कानून द्वारा यथा अपेक्षित समुचित लेखाबहियों को कंपनी द्वारा रखा गया है जहां तक यह उन बहियों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है और हमारे द्वारा दौरान की गई शाखा के प्रबंधन से हमारी लेखा–परीक्षा के लिए पर्याप्त समुचित विवरणी प्राप्त हुई हैय

   III. कंपनी के एक शाखा कार्यालय के खातों पर अलेखा–परीक्षित वित्तीय विवरण/जानकारी कंपनी के प्रबंधन द्वारा विधि ावत प्रमाणित करके हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित तरीके से व्यवहार किया गया है।

   IV. अभिमत पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामलों/प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, तुलन–पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह का विवरण खाते बहियों के अनुरूप है।

   V. अभिमत पैराग्राफ के आधार में वर्णित मामलों/प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी अभिमत में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण संशोधित कंपनी (लेखा) नियम, 2015 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

VI. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा 164 की उप–धारा (2) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं हैं।

VII. कंपनी के वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में **''अनुलग्नक ख''** में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

VIII. कंपनी (लेखा–परीक्षा और लेखा–परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा–परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे अभिमत में और जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

(क) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है। वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 34 देखें।

(ख) कंपनी ने व्युत्पन्नी अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर यदि कोई हो तो भौतिक पूर्वानुमानित हानि के लिए लागू कानूनों या भारतीय लेखांकन मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किया है–वित्तीय विवरणों के लिए नोट 44 का संदर्भ लें। और

(ग) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

(घ) (i) प्रबंधन ने अभ्यावेदन दिया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी निधि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के निधि से) या संस्थाएं, जिनमें विदेशी संस्थाएं (''मध्यस्थ'') शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार या निवेश करेगा (''अंतिम लाभार्थी'') कंपनी द्वारा या कंपनी की ओर से या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें, संदर्भ हेतु नोट 52 (डी) देखें।

(ii) प्रबंधन ने अभ्यावेदन दिया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (''निधियन पक्षों'') सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, इस सोच के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से चिन्हित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी (''अंतिम लाभार्थी'') या निधियन पक्षों की ओर से या कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की अंतिम लाभार्थी की ओर से प्रदान करेगी। संदर्भ हेतु नोट 52 (डी) देखें।

(iii) इस प्रकार की लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप–खंड (क) और (ख) के तहत अभ्यावेदन में कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल है।

(ङ) (i) इस वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किए गए पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश यथा लागू अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।

(ii) जैसा कि वित्तीय विवरण के नोट 35 में उल्लेखित है, कंपनी के निदेशक मंडल ने चालू वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार उस सीमा तक है जितना यह लाभांश की घोषणा पर लागू होती है।

(च) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल थी, कंपनी ने अपने खातों बहियों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रायल (संपादन लॉग) की सुविधा है और यह पूरे वर्ष के दौरान सभी प्रासंगिक लेन–देन के लिए संचालित होता है। इसके अलावा, कंपनी पेरोल, डिजाइन और इंजीनियरिंग

प्रक्रिया आदि के लिए कुछ अलग सॉफ्टवेयर का भी उपयोग कर रही है, जहां एप्लिकेशन स्तर पर ऑडिट ट्रायल (संपादन लॉग) की रिकॉर्डिंग की सुविधा सक्षम नहीं थी। सभी लेखांकन प्रविष्टियाँ कंपनी के लेखांकन सॉफ्टवेयर के जरिए संसाधित की जाती हैं, जिसमें ऑडिट ट्रायल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा होती है। इसके अलावा, हमारे लेखा–परीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रायल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

3. धारा 197(16) के अंतर्गत लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले विषय के संबंध में :–

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

4. अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (5) की अपेक्षानुसार तथा एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के वार्षिक लेखों की लेखा–परीक्षा के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महा–लेखा–परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, हम संलग्न **"अनुलग्नक–ग"** में रिपोर्ट दे रहे हैं।

कृते एस. आर. दिनोदिया एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का पंजीकरण नंबर 001478N/N500005

(संदीप दिनोदिया)
भागीदार
सदस्यता क्रमांक : 083689
UDIN: 25083689BMIUEF2828

हस्ताक्षर स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.05.2025

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की सम–संख्यक दिनांक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ए"

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक में, हम रिपोर्ट करते हैं कि :–

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में

(क) (ए) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(बी) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी अपनी अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम चलाती है, जो हमारा अभिमत में, कंपनी के आकार और उसकी संपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए उचित है। इस कार्यक्रम के तहत, प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस सत्यापन में कोई भी सारतरू विसंगति नहीं पाई गई।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार, वित्तीय विवरणों में बताई गई सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख निम्नलिखित संपत्तियों को छोड़कर कंपनी के नाम पर हैं :–

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (लाख रुपए में)	धारक का नाम	क्या प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी के नाम पर धारित है	धारित अवधि – जहां उपयुक्त हो, वहां सीमा बताएं	कंपनी के नाम ना किये जाने का कारण
भवन– फ्रीहोल्ड 201–222, द्वितीय तल, एनबीसीसी केंद्र, ओखला फेज–1, नई दिल्ली (पीपीई)	6,834.99	एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी)	प्रमोटर	30 मार्च 2019 से	कुछ प्रशासनिक कारणों से, हस्तांतरण विलेख अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है। लेकिन, प्रबंधन को विश्वास है कि यह निकट भविष्य में हो जाएगा।

पट्टा–आधारित अचल संपत्तियों के संबंध में, पट्टा समझौते कंपनी के नाम पर होते हैं, जहां कंपनी समझौते में पट्टेदार होती है :–

(घ) हमारे द्वारा जाँचे गए अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(घ) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(ई) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी संपत्ति लेन–देन निषेध अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(ई) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(ii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ii) (क) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ii)(बी) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने न तो कोई निवेश किया है, न ही कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है, और न ही कंपनियों, फर्मों और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) को ऋण के रूप में कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण या अग्रिम राशि प्रदान की है। लेकिन वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने कर्मचारियों को असुरक्षित ऋण प्रदान किए हैं, जिनके संबंध में :–

क) कंपनी ने किसी अन्य संस्था को ऋण या अग्रिम के रूप में कोई ऋण या गारंटी नहीं दी है या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(क) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

ख) अन्य पक्षों को ऋण प्रदान करने की शर्तें और नियम, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं।

ग) ऋणों के संबंध में मूलधन की अदायगी और ब्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित की गई है और मूलधन और ब्याज की अदायगी/प्राप्तियां आमतौर पर शर्त के अनुसार नियमित रही हैं।

घ) स्वीकृत ऋण के संबंध में कोई अतिदेय राशि नहीं है।

ङ) जो वर्ष के दौरान देय हो गया हो या जिसका नवीनीकरण या विस्तार किया गया हो, या उन्हीं पक्षों को दिए गए मौजूदा ऋणों की बकाया राशि के निपटान के लिए नया ऋण दिया गया हो। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(ई) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

च) कंपनी ने मांग पर चुकाए जाने योग्य या बिना किसी शर्त या पुनर्भुगतान अवधि के ऋण स्वरूप कोई ऋण या अग्रिम राशि प्रदान नहीं की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(च) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(iv) हमारा अभिमत में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के अंतर्गत कोई लेन–देन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iv) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(v) हमारा अभिमत में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई भी जमा या राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जमा माना जाता हो और वर्ष के आरंभ में अधिनियम की धारा 73 से 76 तथा कंपनी (जमा स्वीकृति) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के अंतर्गत कोई भी अदावाकृत जमा नहीं थी। तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(vi) उपलब्ध जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के अंतर्गत, कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखा–परीक्षा) संशोधन नियम, 2014 दिनांक 31 दिसंबर, 2014 (समय–समय पर संशोधित) के साथ, कंपनी द्वारा किए जा रहे वर्तमान परिचालनों पर लागत अभिलेखों के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, खंड 3(vi) आदेश के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(vii) वैधानिक बकाया के संबंध में :–

क) कंपनी आम तौर पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी), भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, उपकर और उस पर लागू अन्य सभी वैधानिक देय राशियों सहित निर्विवाद वैधानिक देय राशियों को उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। इसके अलावा, कोई भी निर्विवाद बकाया वैधानिक देय राशि नहीं थी। संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए देय तिथि से निम्नलिखित को छोड़कर सम्मिलित हैं :–

संविधि का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (लाख रुपए में)	राशि से संबंधित अवधि (वित्तीय वर्ष)	देय तिथि	भुगतान की तिथि
भवन एवं श्रमिक कल्याण अधिनियम, नई दिल्ली	भवन एवं श्रम उपकर	1.10	2023-24	31 अक्टूबर, 2023	29 अप्रैल, 2025
भवन एवं श्रमिक कल्याण अधिनियम, नई दिल्ली	भवन एवं श्रम उपकर	0.13	2024-25	30 जून, 2024	29 अप्रैल, 2025
भवन एवं श्रमिक कल्याण अधिनियम, नई दिल्ली	भवन एवं श्रम उपकर	0.39	2024-25	31 मई, 2024	29 अप्रैल, 2025 तक
भवन एवं श्रमिक कल्याण अधिनियम, राजस्थान	भवन एवं श्रम उपकर	0.89	2024-25	31 जुलाई, 2024	29 अप्रैल, 2025
भवन एवं श्रमिक कल्याण अधिनियम, राजस्थान	भवन एवं श्रम उपकर	1.13	2024-25	31 जुलाई, 2024	01 मई, 2025 तक
भवन एवं श्रमिक कल्याण अधिनियम, आंध्र प्रदेश	भवन एवं श्रम उपकर	0.11	2024-25	31 जुलाई, 2024	29 अप्रैल, 2025 तक
भवन एवं श्रमिक कल्याण अधिनियम, चंडीगढ़	भवन एवं श्रम उपकर	5.02	2024-25	9 जुलाई, 2024	29 अप्रैल, 2025
भवन एवं श्रमिक कल्याण अधिनियम, शिमला	भवन एवं श्रम उपकर	0.49	2024-25	30 जून, 2024	29 अप्रैल, 2025
भवन एवं श्रमिक कल्याण अधिनियम, बंगाल	भवन एवं श्रम उपकर	0.58	2023-24	31 मार्च, 2024	29 अप्रैल, 2025 तक
भवन एवं श्रमिक कल्याण अधिनियम, उड़ीसा	भवन एवं श्रम उपकर	1.11	2024-25	28 अक्टूबर, 2024	29 अप्रैल, 2025
भवन एवं श्रमिक कल्याण अधिनियम, उत्तर प्रदेश	भवन एवं श्रम उपकर	1.97	2023-24	31 मार्च, 2024	29 अप्रैल, 2025
भवन एवं श्रमिक कल्याण अधिनियम, उत्तर प्रदेश	भवन एवं श्रम उपकर	0.15	2024-25	30 सितंबर, 2024	29 अप्रैल, 2025
तेलंगाना जीएसटी अधिनियम	जीएसटी	0.15	2024-25	10 सितंबर, 2024	08 मई, 2025
उत्तर प्रदेश जीएसटी अधिनियम	जीएसटी	0.07	2024-25	10 सितंबर, 2024	08 मई, 2025
ओडिशा जीएसटी अधिनियम	जीएसटी	1.92	2024-25	10 सितंबर, 2024	08 मई, 2025

संविधि का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (लाख रुपए में)	राशि से संबंधित अवधि (वित्तीय वर्ष)	देय तिथि	भुगतान की तिथि
गुजरात जीएसटी अधिनियम	जीएसटी	0.92	2024-25	10 सितंबर, 2024	29 अप्रैल, 2025
कर्नाटक जीएसटी अधिनियम	जीएसटी	0.03	2024-25	31 अक्टूबर, 2023	29 अप्रैल, 2025

(ख) हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, उप–खंड (vii)(क) में निर्दिष्ट वैधानिक बकाया के संबंध में कोई बकाया नहीं था। उपर्युक्त उल्लिखित को छोड़कर निम्नलिखित किसी विवाद के कारण उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा नहीं किए गए हैं :–

संविधि का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (लाख रुपए में)	अभ्यापत्ति के तहत भुगतान की गई राशि (लाख में)	राशि से संबंधित अवधि (वित्तीय वर्ष)	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	485.13	-	वार्षिक वर्ष 2018-19	आयकर आयुक्त (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस	3.9	-	वार्षिक वर्ष 2015-16	आयकर आयुक्त (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	837.84	-	वार्षिक वर्ष 2023-24	आयकर आयुक्त (अपील)
मध्य प्रदेश जीएसटी अधिनियम	जीएसटी	0.15	-	वित्तीय वर्ष 2018-19	अपीलीय प्राधिकारी, भोपाल
महाराष्ट्र जीएसटी अधिनियम	जीएसटी	0.61	-	वित्तीय वर्ष 2018-19	अपीलीय प्राधिकारी, नागपुर
पश्चिम बंगाल जीएसटी अधिनियम	जीएसटी	76.95	-	वित्तीय वर्ष 2017-18	अपीलीय प्राधिकारी, बेहाला
महाराष्ट्र जीएसटी अधिनियम	जीएसटी	104.69	4.38	वित्तीय वर्ष 2017-18	अपीलीय प्राधिकारी, नागपुर
असम जीएसटी अधिनियम	जीएसटी	16.74	-	वित्तीय वर्ष 2018-19	संयुक्त आयुक्त (जीएसटी), तेजपुर
आंध्र प्रदेश जीएसटी अधिनियम	जीएसटी	62.00	5.63	वित्तीय वर्ष 2019-20	अपीलीय प्राधिकारी, विशाखापत्तनम

संविधि का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (लाख रुपए में)	अभ्यापत्ति के तहत भुगतान की गई राशि (लाख में)	राशि से संबंधित अवधि (वित्तीय वर्ष)	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
दिल्ली जीएसटी अधिनियम	जीएसटी	10.50	0.55	वित्तीय वर्ष 2019-20	अपीलीय प्राधिकारी, दिल्ली
दिल्ली जीएसटी अधिनियम	ईएसआई	10.95	0.55	वित्तीय वर्ष 2018-19	संयुक्त आयुक्त (जीएसटी), भीकाजी कामा पैलेस, दिल्ली
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	पीएफ	1.83	-	01.01.1997 से 31.07.2004	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर
कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952	आयकर	6.86	5.15	2004-05 से 2008-09	पीएफ न्यायाधिकरण, दिल्ली

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा जाँचे गए अभिलेखों के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान कोई भी ऐसा अलिखित लेन–देन नहीं है जिसे आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो। तदनुसार, आदेश के खंड 3(viii) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(ix) कंपनी द्वारा लिए गए ऋण या अन्य उधार के संबंध में, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा की गई लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं के अनुसार :–

क) कंपनी पर कोई ऋण या अन्य उधार नहीं है और वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को उस पर कोई ब्याज देने की उत्तरदायित्व नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix)(क) के प्रावधान लागू नहीं होते।

ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ग) कंपनी ने कोई सावधि ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix)(ग) के प्रावधान लागू नहीं होते।

घ) कंपनी ने अल्पावधि आधार पर कोई धनराशि नहीं जुटाई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix)(घ) के प्रावधान लागू नहीं होते।

ङ) कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix) (ई) और (एफ) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(x) शेयरों और ऋण उपकरणों के जारी करने के माध्यम से कंपनी द्वारा जुटाई गई धनराशि के संबंध में :–

क) वर्ष के दौरान, कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या अग्रिम सार्वजनिक निर्गम (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(क) के प्रावधान लागू नहीं होते।

ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णतः, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (x) (ख) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xi) क) इस संबंध में हमारी पूछताछ पर हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या उस पर कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

ख) हमारा अभिमत में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की

उप–धारा (12) के अंतर्गत वर्ष के दौरान तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी (लेखा–परीक्षा और लेखा–परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी–4 में केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के अनुसार, कंपनी को व्हिसल ब्लोअर तंत्र स्थापित करना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi)(ग) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(xii) कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xii) (क) से (ग) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(xiii) हमारा अभिमत में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन–देन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो, तथा लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित विवरण वित्तीय विवरणों आदि में प्रकट किए गए हैं।

(xiv) कंपनी में आंतरिक लेखा–परीक्षा प्रणाली के संबंध में :–

क) हमारा अभिमत में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा–परीक्षा प्रणाली है।

ख) हमने लेखा–परीक्षा वर्ष के लिए आज तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखा–परीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) हमारा अभिमत में और हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत कोई गैर–नकद लेन–देन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xv) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(xvi) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45–आईए के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) (क) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियाँ संचालित नहीं की हैं। तदनुसार, खंड 3 (xvi) के प्रावधान आदेश का अनुच्छेद (ख) लागू नहीं होता।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) (ग) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(घ) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, समूह के अंतर्गत कोई कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियां (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2015 में परिभाषित है)। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) (घ) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(xvii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को न तो चालू वित्तीय वर्ष में और न ही तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी वैधानिक लेखा–परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xviii) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी

रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा देय होने पर चुका दिया जाएगा।

(xx) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा निष्पादित लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं के अनुसार :–

क) चालू परियोजनाओं के अलावा, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित किए जाने हेतु अपेक्षित परियोजनाओं पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई भी राशि अव्ययित नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xx) (क) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

ख) उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (6) के अंतर्गत चल रही सीएसआर परियोजनाओं के लिए कोई भी राशि अव्ययित नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xx) (ख) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(xxi) आदेश के खंड 3(xxi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती क्योंकि कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है, इसलिए उसे समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, इस रिपोर्ट में उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

कृते एस. आर. दिनोदिया एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का पंजीकरण नंबर 001478N/N500005

(संदीप दिनोदिया)
भागीदार
सदस्यता क्रमांक : 083689
यूडीआईएन : 25083689BMIUEF2828

हस्ताक्षर स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.05.2025

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की सम–संख्यक दिनांक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'बी'

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2025 तक **एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी")** के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ संयोजन में किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों के मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता और अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखा–परीक्षकों की उत्तरदायित्व

हमारी उत्तरदायित्व है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने अपनी ऑडिट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित माने जाने वाले ऑडिटिंग मानकों के अनुसार की, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट पर लागू होते हैं और दोनों भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और प्रदर्शन करें कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा–परीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा–परीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमजोरी के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखा–परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में सारतरू मिथ्या विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा–परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और शामिल हैं जो प्रक्रियाएं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण के साथ, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन–देन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं। और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत या नियंत्रणों पर अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल पाता। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री कम हो सकती है।

अभिमत

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि "भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान" द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण मानदंडों पर आधारित थे।

कृते एस. आर. दिनोदिया एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का पंजीकरण नंबर 001478N/N500005

(संदीप दिनोदिया)
भागीदार
सदस्यता क्रमांक : 083689
यूडीआईएन : 25083689BMIUEF2828

हस्ताक्षर स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.05.2025

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की सम–संख्यक दिनांक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'सी'

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 4 में संदर्भित अनुलग्नक

क्रं. सं.	निदेशक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा–परीक्षक का उत्तर	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी में सभी लेखांकन लेन–देन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन–देन को संसाधित करने से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ–साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए।	हमारी जाँच, जिसमें नमूना जाँच भी शामिल है, उसके आधार पर, कंपनी ने एक लेखांकन सॉफ्टवेयर (जिसका स्वामित्व और संचालन इसकी होल्डिंग कंपनी, अर्थात एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के पास है) का उपयोग किया है, जिसमें ईआरपी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन–देन को संसाधित करने की प्रणाली विद्यमान है। इंड–एएस की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न गणनाएँ, जैसे प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके परिशोधित लागत, पट्टा देयता की गणना, आदि और अन्य गैर–एकीकृत कार्य लेन–देन, जैसे अचल संपत्ति रजिस्टर, मूल्यह्रास गणना, बैंक समाधान, मोबिलाइजेशन अग्रिमों के लिए देय ब्याज की गणना, एमएस एक्सेल में की जाती है। इन्हें आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की आवश्यकता है। वर्तमान में, उक्त कार्यप्रणाली को मैन्युअल रूप से बनाए रखा गया है और हमारे द्वारा सत्यापित किया गया है। जीएसटी ई–चालान के लिए कंपनी एक अलग सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है।	शून्य
2.	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखा–जोखा रखा जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा–परीक्षक पर भी लागू होता है)।	कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है, इसलिए यह धारा उस कंपनी पर लागू नहीं होती।	शून्य

क्रं. सं.	निदेशक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा–परीक्षक का उत्तर	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्तध्प्राप्ति योग्य धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का नियम व शर्तों के अनुसार उचित लेखा–जोखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को विशिष्ट योजना के लिए केंद्र/राज्य एजेंसियों से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए यह खंड लागू नहीं होता।	शून्य

कृते एस. आर. दिनोदिया एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण नंबर 001478N/N500005

(संदीप दिनोदिया)
पार्टनर
सदस्यता क्रमांक : 083689
यूडीआईएन : 25083689BMIUEF2828

हस्ताक्षर स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.05.2025

एस आर दिनोदिया एण्ड कंपनी लिमिटेड
चार्टर्ड अकाउंटेंट
के–39 कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 भारत
फोन: +91–(0)11–4370 3300, फैक्स: +91–(0)11–4151 3666

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक,
भारतीय लेखा–परीक्षा एवं लेखा विभाग,
प्रधान लेखा–परीक्षा निदेशक (इंफ्रास्ट्रक्चर) का कार्यालय, दिल्ली
तृतीय तल, ए–विंग, इंद्रप्रस्थ भवन
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

विषयः **भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के खातों के अनुपालन प्रमाणपत्र के संबंध में।**

महोदय,

हमने एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के खातों की लेखा–परीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक द्वारा हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप–निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते एस.आर. दिनोदिया एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
फर्म पंजीकरण नंबर 001478N/N500005

हस्ता./–
संदीप दिनोदिया
भागीदार
सदस्यता क्रमांक. 083689
यूडीआईएन : 25083689BMIUEH4512

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 मई, 2025

ई–मेल: srdinodia@srdinodia-com वेबसाइट: www.srdinodia.com एलएलपीआईएनः एएबी–7484

31 मार्च, 2025 के अनुसार तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31, मार्च 2025 तक	31, मार्च 2024 तक*
I. परिसम्पत्तियाँ			
1 **असामयिक परिसम्पत्तियाँ**			
(क) संपत्ति, संयत्र तथा उपकरण	4	6,917.00	7,042.95
(ख) प्रगति पर पूंजीगत कार्य	5	60.82	2.24
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	6	16.95	31.39
(घ) विकास के तहत अमूर्त सम्पत्तियाँ			
(i) वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7	1,572.87	341.07
(ङ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	8	1,037.13	801.60
(च) आस्थगित कर सम्पत्तियाँ (निवल)		**9,604.77**	**8,219.26**
2 **वर्तमान परिसम्पत्तियाँ**			
(क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	32,965.49	31,351.44
(i) ट्रेड प्राप्ति योग्य	10	49,870.51	45,505.46
(ii) नकद तथा नकद समकक्ष	11	104,474.27	151,192.97
(iii) अन्य बैंक बैलेंस	12	22,096.79	34,215.01
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	13	1,093.14	1,251.15
(ख) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	14	6,633.75	7,615.29
(ग) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ		**217,133.95**	**271,131.32**
कुल परिसम्पत्तियाँ		**226,738.72**	**279,350.58**
II. इक्विटी एवं देयताएँ			
1 **इक्विटी**	15	180.01	180.01
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	16	24,432.47	19,145.35
(ख) अन्य इक्विटी		**24,612.48**	**19,325.36**
कुल इक्विटी			
2 **देयताएँ**			
असामयिक देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ	17	-	5.47
(i) अन्य वित्तीय देयताएँ	18	822.67	625.68
(ख) प्रावधान		**822.67**	**631.15**
3 **वर्तमान देयताएँ**			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) लीज देयताएं	17	5.47	6.49
(ii) ट्रेड भुगतान योग्य	19		
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की बकाया राशि		-	-
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की बकाया राशि		69,378.74	71,892.00
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	27,524.36	29,631.49
(ख) अन्य वर्तमान देयताएँ	21	102,579.06	156,520.23
(ग) प्रावधान	22	1,360.96	1,343.85
(घ) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	23	454.98	-
		201,303.57	**259,394.06**
कुल इक्विटी और देयताएं		**226,738.72**	**279,350.58**

सामग्री लेखांकन नीतियों की जानकारी का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं 1–54

सम–संख्यक तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.आर. दिनोदिया एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्याः 001478N/N500005

हस्ता./–
(संदीप दिनोदिया)
भागीदार
सदस्यता संख्याः 083689

हस्ताक्षर स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 मई, 2025

कृते एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
(नौमान अहमद)
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 10054994)

हस्ता./–
(रवि रंजन)
निदेशक (इंजीनियरिंग)
(डीआईएन : 10057427)

हस्ता./–
(सौरभ श्रीवास्तव)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(पैन : APCPS6170G)

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा विवरण

(रु. लाख में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	प्रचालनों से राजस्व	24	208,581.22	138,919.51
II.	अन्य आय	25	1,342.52	588.77
III.	**कुल आय (I + II)**		**209,923.74**	**139,508.28**
IV.	व्ययः			
	कार्य और परामर्श	26	168,798.22	122,047.38
	स्टॉक और परामर्श व्यय	26A	22,046.48	6,518.26
	व्यय कर्मचारी लाभ	27	4,401.76	4,128.46
	वित्त लागत	28	2.67	0.19
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	29	197.48	171.61
	हानि (प्रतिवर्तन के बाद शुद्ध)	30B	1,436.89	(194.00)
	परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने पर शुद्ध हानि	30C	1,410.16	-
	अन्य व्यय	30	1,356.41	1,374.67
	कुल व्यय (IV)		**199,650.07**	**134,046.57**
V.	**अपवादी एवं असाधारण मदों से पहले लाभ (III-IV)**		**10,273.67**	**5,461.71**
VI.	असाधारण मदें – (आय)/व्यय		-	-
VII.	कर पूर्व लाभ (V - VI)		10,273.67	5,461.71
VIII.	कुल व्ययः	31		
	(1) वर्तमान कर		2,734.81	920.32
	(2) आस्थगित कर		(226.92)	580.84
	(3) पूर्व वर्षों के संबंध में कराधान		64.31	4.22
IX.	**अवधि के लिए लाभ / (VII-VIII)**		**7,701.47**	**3,956.34**
X.	अन्य व्यापक आय			
	क (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	32	(34.20)	(54.58)
	(ii) मदों से संबंधित आयकर, जिन्हें लाभ/हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		8.61	13.74
	ख (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) मदों से संबंधित आयकर, जिन्हें लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
XI.	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX+X)**		**7,675.88**	**3,915.50**
XII.	प्रति शेयर आय (100/– प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य)	33		
	(1) मूल (₹ में)		**4,278.26**	**2,197.79**
	(2) मंदित (₹ में)		**4,278.26**	**2,197.79**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश नोट तक सूचना वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग है 1 – 54

सम–संख्यक तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.आर. दिनोदिया एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्याः 001478N/N500005

हस्ता./–
(संदीप दिनोदिया)
भागीदार
सदस्यता संख्याः 083689

हस्ताक्षर स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 मई, 2025

कृते एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
(नौमान अहमद)
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 10054994)

हस्ता./–
(रवि रंजन)
निदेशक (इंजीनियरिंग)
(डीआईएन : 10057427)

हस्ता./–
(सौरभ श्रीवास्तव)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(पैन : APCPS6170G)

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण

(रु. लाख में)

	विवरण	31, मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31, मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
क.	**परिचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें	**10,273.67**	**5,461.71**
	समायोजन हेतु :–		
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास	168.74	155.11
	उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	11.84	6.70
	अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन	14.65	9.80
	आकस्मिकता/लिखित वापसी के लिए प्रावधान	(150.00)	-
	व्यापार प्राप्य पर हानि /(लिखित वापसी) के लिए भत्ते	1,436.89	(194.00)
	वित्त लागत	2.67	0.19
	(लाभ)/परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर हानि (शुद्ध)	-	(0.51)
	वित्त आय	(1,307.42)	(400.47)
	परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने पर शुद्ध हानि	1,410.16	-
	सीडब्लूआईपी पर क्षति	2.24	-
	विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि अप्राप्त	(51.00)	-
	व्यापार देय, देयताएं/प्रावधान वापस लिखे गए	(7,728.77)	-
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	**4,083.67**	**5,038.53**
	निम्न हेतु समायोजन :–		
	अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	-	560.18
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और ऋण (गैर चालू) में कमी/(वृद्धि)	(0.30)	0.89
	व्यापार प्राप्य (निवल) में कमी/(वृद्धि)	(3,083.04)	(22,784.84)
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और ऋण (चालू) में कमी/(वृद्धि)	11,588.88	14,876.56
	अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(345.52)	15,960.04
	प्रावधानों (गैर चालू) में कमी/(वृद्धि)	162.79	62.20
	व्यापार देय में कमी/(वृद्धि)	(2,513.26)	22,643.49
	अन्य वित्तीय देनदारियों (चालू) में कमी/(वृद्धि)	5,621.64	(13,310.43)
	प्रावधान (चालू) में कमी/(वृद्धि)	167.11	693.80
	अन्य चालू देनदारियों में कमी/(वृद्धि)	(53,941.17)	(84,297.05)
	असाधारण वस्तुओं और कर से पहले परिचालन से उत्पन्न नकदी	**(38,259.20)**	**(60,556.63)**
	प्रत्यक्ष कर भुगतान	(2,186.12)	(47.00)
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी (क)	**(40,445.32)**	**(60,603.63)**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह :–**		
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद	(54.68)	(64.97)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री	0.03	0.03
	अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	(0.21)	(32.31)
	प्रगतिरत पूंजीगत कार्य से कटौती	(60.82)	-
	3 माह से अधिक और 12 महीने तक तथा 12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली बैंक जमाएं	45,486.60	36,881.75
	प्राप्त ब्याज	1,837.39	11,972.23
	निवेश गतिविधियों से निवल नकद (ख)	**47,208.31**	**48,756.73**

	विवरण	31, मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31, मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
ग.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह :**		
	पट्टा देनदारियों का पुनर्भगतान*	(7.29)	(1.80)
	लाभांश भुगतान	(2,388.78)	(811.86)
	वित्त लागत का भुगतान किया गया	(1.87)	-
	वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नकद (ग)	(2,397.94)	(813.66)
	नकद और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि (क) + (ख) + (ग)	**4,365.05**	**(12,660.56)**
	नकद और नकद समतुल्य – प्रारंभिक	45,505.46	58,166.01
	नकद और नकद समतुल्य – समापन	**49,870.51**	**45,505.46**
i)	**नकद और नकद समतुल्य में शामिल हैं :–**		
	बैंकों में चालू खाते में शेष	38,979.39	44,435.13
	3 महीने की मूल परिपक्वता वाले फ्लेक्सी जमा	10,891.12	1,070.33
		49,870.51	**45,505.46**
ii)	प्रतिबंधित नकद और नकद समकक्षों का विवरण इस प्रकार है :–		
(क)	ग्राहकों/मंत्रालयों की ओर से अलग–अलग बैंक खातों में रखी गई शेष राशि	49,404.48	44,556.09
(ख)	(ख) अनुसंधान और विकास निधि में शेष राशि	-	-
(ग)	(ग) सतत विकास निधि में शेष राशि	-	-
	कुल	**49,404.48**	**44,556.09**
iii)	कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकद व्यय दर्शाते हैं		
iv)	नकदी प्रवाह का विवरण अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार किया गया है		

*लीज देयता के भुगतान में ₹ 6.49 लाख की मूल राशि (31 मार्च, 2024 ₹ 1.61 लाख) और ₹ 0.80 लाख की ब्याज राशि (31 मार्च, 2024 ₹0.19 लाख) शामिल है।

वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग साम्रग्री लेखांकन नीतियों की जानकारी का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी 1–541 पर उपलब्ध है।

सम–संख्यक तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.आर. दिनोदिया एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्याः 001478N/N500005

हस्ता./–
(संदीप दिनोदिया)
भागीदार
सदस्यता संख्याः 083689

हस्ताक्षर स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 मई, 2025

कृते एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
(नौमान अहमद)
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 10054994)

हस्ता./–
(रवि रंजन)
निदेशक (इंजीनियरिंग)
(डीआईएन : 10057427)

हस्ता./–
(सौरभ श्रीवास्तव)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(पैन : APCPS6170G)

31 मार्च, 2025 तक इक्विटी में बदलाव का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	पर संतुलन की शुरुआत वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	इक्विटी में बदलाव पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण शेयर	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआात में शेष राशि पुनः निर्धारित की गई	अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग के अंत में शेष राशि अवधि
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि					
वित्तीय वर्ष 2024–25	180.01	-	180.01	-	180.01

विवरण	पर संतुलन की शुरुआत वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	इक्विटी में बदलाव पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण शेयर	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआात में शेष राशि पुनः निर्धारित की गई	अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग के अंत में शेष राशि अवधि
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि					
वित्तीय वर्ष 2023–24	180.01	-	180.01	-	180.01

ख. 31 मार्च, 2025 तक अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय	कुल
	सामान्य कुल आरक्षित निधि	पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय	निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनः आकलन	
1 अप्रैल, 2024 तक शेष राशि	3,335.53	60.00	15,765.84	(16.01)	19,145.35
वर्ष के लिए लाभ	-	-	7,701.47	-	7,701.47
परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ (हानि) का पुनः मापन	-	-	-	(34.20)	(34.20)
ओसीआई की वस्तुओं पर आयकर	-	-		8.61	8.61
भुगतान किए गए लाभांश में अंतरिम लाभांश शामिल है	-	-	(2,388.78)	-	(2,388.78)
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	**3,335.53**	**60.00**	**21,078.53**	**(41.60)**	**24,432.46**

अन्य इक्विटी 31 मार्च, 2024 तक

विवरण	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय	कुल
	सामान्य कुल आरक्षित निधि	पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय	निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनः आकलन	
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	3,335.53	60.00	12,621.36	24.83	16,041.72
वर्ष के लिए लाभ	-	-	3,956.34	-	3,956.34
परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ (हानि) का पुनः मापन	-	-		(54.58)	(54.58)
ओसीआई की वस्तुओं पर आयकर	-	-		13.74	13.74
भुगतान किए गए लाभांश में अंतरिम लाभांश शामिल है	-	-	(811.86)	-	(811.86)
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**3,335.53**	**60.00**	**15,765.84**	**(16.01)**	**19,145.35**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश नोट 1 से 54 तक दर्ज है।

सम–संख्यक तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.आर. दिनोदिया एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्याः 001478N/N500005

हस्ता./–
(संदीप दिनोदिया)
भागीदार
सदस्यता संख्याः 083689

हस्ताक्षर स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 मई, 2025

कृते एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
(नौमान अहमद)
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 10054994)

हस्ता./–
(रवि रंजन)
निदेशक (इंजीनियरिंग)
(डीआईएन : 10057427)

हस्ता./–
(सौरभ श्रीवास्तव)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(पैन : APCPS6170G)

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

1. प्रमुख गतिविधियों की प्रकृति और कॉर्पोरेट जानकारी

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, मिनी रत्न (श्रेणी I कंपनी), भारत सरकार का उद्यम है जो भारत और विदेशों में स्वास्थ्य सेवा और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के लिए परामर्श और निष्पादन एजेंसी के रूप में पेशेवर सेवाओं की व्यापक रेंज प्रदान करने में लगा हुआ है, जिसमें संकल्पनात्मक अध्ययन, प्रबंधन परामर्श, परियोजना प्रबंधन, रसद और स्थापना, खरीद, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा डिजाइन और स्वास्थ्य देखभाल सेवा सुविधा शामिल हैं।

कंपनी भारत में निगमित और अधिवासित है और इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है। कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। इसका मुख्य व्यवसाय केंद्र नौएडा, उत्तर प्रदेश में है।

भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या एफ. सं. 3/8/2016–दीपम–II–ए (भाग) दिनांक 13/09/2018 और डीओ सं. 3/8/2016–दीपम–IIA (भाग) दिनांक 13109/2018 के माध्यम से कंपनी का रणनीतिक विनिवेश एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को करने का निर्णय लिया गया है। कंपनी की 100 प्रतिशत चुकता इक्विटी शेयर पूंजी, प्रबंधन नियंत्रण सहित, दिसंबर 2018 में 285 करोड़ रुपये की कीमत पर एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई है।

2. भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन का विवरण

कंपनी के वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (भारतीय लेखा मानक) के अनुसार, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 (समय–समय पर संशोधित) के साथ पठित, और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के प्रभाग II (भारतीय लेखा मानक अनुपालक अनुसूची III) की प्रस्तुति आवश्यकता अनुसार तैयार किए गए हैं। प्रस्तुत अवधि के दौरान कंपनी ने लेखा नीतियों को समान रूप से लागू किया है।

तैयारी और प्रस्तुति का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ परिसंपत्तियों और देनदारियों के जिन्हें उचित मूल्य/परिशोधित लागत पर मापा गया है, जिन्हें संबंधित लेखांकन नीति में विशेष रूप से दर्शाया गया है।

वित्तीय विवरण रुपए में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है और सभी मूल्यों को निकटतम लाख और उसके दशमलव तक पूर्णांकित किया जाता है, सिवाय अन्यथा बताए गए।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण 20 मई 2025 को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए अधिकृत और अनुमोदित किया गया है।

3. सारत : लेखांकन नीतियों की जानकारी का सारांश

वित्तीय विवरण नीचे संक्षेपित लेखांकन नीतियों और माप आधार का उपयोग करके तैयार किए गए हैं।

3.1 समग्र विचार

वित्तीय विवरण 31 मार्च 2025 को प्रभावी सामग्री लेखांकन नीतियों और माप आधार का उपयोग करके तैयार किए गए हैं, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है :–

3.2 राजस्व मान्यता

कंपनी मुख्य रूप से परियोजना प्रबंधन परामर्श और खरीद (प्रापण) सेवाओं से राजस्व प्राप्त करती है। राजस्व का आकलन ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट प्रतिफल के आधार पर किया जाता है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्रित राशि शामिल नहीं है। कंपनी किसी उत्पाद या सेवा का नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित करते समय राजस्व को मान्यता देती है।

ंक) परियोजना प्रबंधन परामर्श

चूंकि कंपनी पीएमसी अनुबंधों में काम कर रही है, जहां यह भू–तकनीकी जांच, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, संसाधन नियोजन, विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करने और कार्यों के निष्पादन की निगरानी आदि जैसे कार्य करने का कार्य करती है।

डिजाइन, इंजीनियरिंग, अध्ययन, डीपीआर, एमओयू, प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित राजस्व को लागत की इनपुट पद्धति के आधार पर अवधि के दौरान आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके लिए ग्राहक के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार देय शुल्क के संबंध में बिल बनाए जाते हैं।

माल की आपूर्ति से प्राप्त राजस्व की मान्यता ग्राहक को नियंत्रण हस्तांतरण के समय की जाती है तथा इसे छूट और माल एवं सेवा कर को घटाकर रिपोर्ट किया जाता है।

राजस्व में शामिल हैं :–

1. किया गया कार्य जिसके लिए केवल आशय पत्र प्राप्त हुए हैं, तथापि, औपचारिक अनुबंध/समझौते निष्पादन की प्रक्रिया में हैं।
2. ग्राहक द्वारा प्रमाणन लंबित रहने तक कंपनी द्वारा निष्पादित और मापा गया कार्य
3. निष्पादित लेकिन मापा नहीं गयाध्आंशिक रूप से निष्पादित कार्य का इंजीनियरिंग अनुमान में हिसाब लगाया जाता है।
4. अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मद और ग्राहकों के खिलाफ दायर दावे, जहां तक वसूली योग्य माना जाता है।

3.3 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

स्वीकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, उनकी अधिग्रहण लागत पर दर्शाए गए हैं। इस लागत में क्रय मूल्य, पूंजीकरण मानदंडों के पूरा होने पर उधार लेने की लागत और परिसंपत्ति को इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने की प्रत्यक्ष रूप से देय लागत शामिल है, जिसमें परिसंपत्ति सेवानिवृत्ति के प्रावधानों से जुड़ी डीकमीशनिंग और पुनर्स्थापना लागत शामिल है। क्रय मूल्य निर्धारित करते समय किसी भी व्यापारिक छूट और रिबेट को घटा दिया जाता है।

परवर्ती मापन (अवमूल्यन)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति पर या तो संपत्ति के उपयोगी जीवन के संदर्भ में प्राप्त दरों के आधार पर लगाया जाता है, जैसा कि तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और प्रबंधन द्वारा अनुमोदित या दरों के आधार पर लागू की गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची पप के भाग 'ग' में अनुशंसित उपयोगी जीवन के आधार निर्दिष्ट दर पर किया जाता है।

निम्नलिखित उपयोगी मापदंड लागू होते हैं :–

परिसंपत्तियाँ श्रेणी	अनुमानित उपयोगी मापदंड (वर्षों में)
भवन	
भवन (कारखाने भवनों के अलावा)	60 वर्ष
अन्य (अस्थायी संरचना, आदि सहित)	03 वर्ष
सिविल निर्माण में प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी	12 वर्ष
फर्नीचर और फिटिंग्स	10 वर्ष
मोटर वाहन	08 वर्ष
कार्यालय उपकरण	05 वर्ष
कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ	
सर्वर और नेटवर्क	06 वर्ष
अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि	03 वर्ष

जब किसी परिसंपत्ति को वित्तीय वर्ष के दौरान अधिग्रहित किया जाता है या जोड़ा जाता है, तो उस वित्तीय वर्ष के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध रहने वाले दिनों की आनुपातिक संख्या के आधार पर अवमूल्यन लगाया जाता है।

भूमि पर चुकता प्रीमियम जहां निर्दिष्ट अवधि के लिए क्रियान्वित लीज (पट्टा) समझौते आनुपातिक रूप में लीज (पट्टा) की अवधि में बट्टे खाते में डाल दिए जाते हैं। भवन के अंतर्गत आते हैं चार दीवारी, स्कूटरशेड और ट्यूब वेल जो 5 वर्ष के जीवन लेने पर अवमूल्यित हो जाते हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण व्यक्तिगत रूप से रु. 10,000 तक की लागत का अधिग्रहण के वर्ष में पूरी तरह से अवमूल्यित हो जाता है।

अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवमूल्यन के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो, तो भावी रूप से समायोजित किया जाता है।

अ–स्वीकरण

प्रारंभ से मान्यता प्राप्त संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण की कोई मद और महत्वपूर्णः बड़ा भाग को निस्तारण करते समय या जब इसके उपयोग या निस्तारण से भविष्य के आर्थिक लाभ की आशा नहीं होती है, तो उसका अ–स्वीकरण कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अ–स्वीकरण से उत्पन्न किसी भी लाभ या हानि (निवल निपटान योग्य आय और संपत्ति की लेखांकन राशि के बीच अंतर के रूप में गणना) परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर लाभ एवं हानि खाते के विवरण में दर्शाया जाता है।

3.4 वित्तीय विलेख

वित्तीय परिसंपत्तियां

आरंभिक स्वीकरण और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी वित्तीय लिखित के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है और इन्हें शुरू में लेन–देन लागतों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है, सिवाय उन व्यापार प्राप्यों के जिनमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं होता है और जिन्हें लेन–देन मूल्य पर मापा जाता है।

परवर्ती मापन

i. परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां –एक 'ऋण लिखत' को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है :–

- परिसंपत्ति को ऐसे व्यवसाय स्वरूप मे रखा जाता है जिसका उद्देश्य होता है परिसंपत्ति को संविदात्मक नकदी प्रवाह संग्रहण के लिए रखना, और
- परिसंपत्ति के संविदात्मक नियम निर्दिष्ट तिथियों को वैसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करते हैं जो पूरी तरह केवल बकाया मूलधन राशि पर मूलधन और ब्याज (सोलली पेमेंट्स ऑफ प्रिन्सिपल एंड इंटरेस्ट एसपीपीआई) के भुगतान होते हैं।
- प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। मापे गए अन्य सभी ऋण साधन कंपनी के व्यवसाय मॉडल के आधार पर अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य या लाभ एवं हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य हैं।

ii. इक्विटी लिखतों में निवेश– भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में सभी इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो ट्रेडिंग के लिए रखे जाते हैं, उन्हें लाभ एवं हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी इक्विटी साधनों के लिए, कंपनी इसे अन्य व्यापक आय

(एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर या लाभ एवं हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट आधार पर वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है।

iii. म्यूचुअल फंड – इंडएएस 109 के दायरे में सभी म्यूचुअल फंड को लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य(एफवीटीपीएल) पर मापा जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का अ–स्वीकरण

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की प्राथमिक रूप से मान्यता समाप्त कर दी जाती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं या कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है।

वित्तीय देयताएं

आरंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और लेन–देन लागत जो वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार है, उन्हें भी समायोजित किया जाता है।

परवर्ती मापन

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन देनदारियों को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देयदाओं का अ–स्वीकरण

वित्तीय देयदाओं का अ–स्वीकरण तब होता है जब देयता के अंतर्गत बाध्यता (आबंध) पूरी कर दी जाती है या रद्द या समाप्त हो जाती है। नहीं निपटाए गए ऋण शेष का परवर्ती प्रतिलेखन और अवलंबित बैंक गारंटी संबंधित परियोजना के समापन पर या उससे पहले, प्रबंधन के पूर्व अनुभव तथा प्रत्येक मामले के वास्तविक तथ्यों के आधार पर पूरा किए जाते हैं और अन्य परिचालन राजस्व में स्वीकृत होते हैं।

इसके अतिरिक्त, जब किसी मौजूदा वित्तीय देयता की जगह पर्याप्त रूप से भिन्न नियमों के साथ उसी ऋणदाता की दूसरी देयता लेती है, या मौजूदा देयताओं के नियमों में बड़े बदलाव किए जाते हैं, तो ऐसी अदला–बदली या रूपांतरण को मूल देयता के अस्वीकरण और नई देयता के स्वीकरण के रूप में देखा जाता है। संबंधित वहन राशियों में अंतर का लाभ–हानि विवरण में स्वीकरण किया जाता है।

वित्तीय संसाधनों का प्रति–संतुलन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयतायों का प्रति–संतुलन किया जाता है और निवल राशि का उल्लेख तुलन पत्र में किया जाता है यदि परिसंपत्तियों की प्राप्ति और साथ ही देयताओं के निबटारे के लिए वर्तमान में स्वीकृत राशियों को प्रति–संतुलित करने का प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार है और निवल आधार पर निबटारे की मंशा है।

3.5 वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास

इंड–एएस 109 के अनुसार, कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों की ह्रास हानि को की माप और मान्यता के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है।

ईसीएल संविदा के अनुसार कंपनी को देय होने वाली सभी नकदी प्रवाह और कंपनी को प्राप्त होने की अपेक्षित सभी संविदात्मक नकदी प्रवाह के बीच का अंतर है। नकदी प्रवाह का अनुमान लगाते समय, कंपनी निम्नलिखित पर विचार करती है :–

- परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन पर वित्तीय परिसंपत्तियों (पूर्व–भुगतान और विस्तार सहित) की सभी संविदात्मक शर्तें
- अनुषंगी के विक्रय से नकदी प्रवाह या अन्य ऋण संवर्द्धन, जो संविदा की शर्तों के अभिन्न अंग हैं।

व्यापार प्राप्य

व्यावहारिक समीचीन के रूप में कंपनी ने व्यापार प्राप्य पर अपेक्षित हानि को निर्धारित करने के लिए प्रावधान मैट्रिक्स विधि का उपयोग करके 'सरलीकृत दृष्टिकोण' अपनाया है। प्रावधान मैट्रिक्स व्यापार प्राप्य के अपेक्षित जीवन पर देखे गए तीन वर्ष के रोलिंग औसत डिफॉल्ट दरों पर आधारित है और इसे आगे दिखने वाले अनुमानों के लिए समायोजित किया जाता है। ये औसत डिफॉल्ट दरें व्यापार प्राप्य पर कुल ऋण जोखिम जोखिम पर लागू होती हैं और आजीवन अपेक्षित ऋण हानियों को निर्धारित करने के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर एक वर्ष से अधिक समय तक बकाया होती हैं। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, ह्रास हानि का आकलन और प्रावधान किया जाता है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम एक्सपोजर पर हानि–क्षति के स्वीकरण हेतु, कंपनी निर्धारित करती है कि आरंभिक स्वीकरण के बाद से साख जोखिम में बड़ी वृद्धि हुई है कि नहीं और यदि साख जोखिम में बड़ी वृद्धि हुई है तो, हानि क्षति हुई है।

3.6 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है जहां आंतरिक बाह्य संकेतकों के आधार पर ह्रास का कोई संकेत होता है। ह्रास को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जहां वहन राशि परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि से अधिक होती है। वहाँ ह्रास उलट जाती है, यदि वसूली योग्य राशि में परिवर्तन होता है और इस तरह की ह्रास या तो अब विद्यमान नहीं है या कम हो गई है या संकेत जिस पर ह्रास को पहचाना गया था, अब विद्यमान नहीं है। वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति के उचित मूल्य में से निपटान लागत (एफवीएलसीडी) घटाकर तथा उपयोग में उसका मूल्य (वीआईयू) में से जो अधिक हो, वह होती है।

3.7 आयकर

आयकर में चालू कर और आस्थगित कर शामिल हैं। आयकर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जब यह अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित हो, जिस स्थिति में कर को उसी विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित मद दिखाई देती है मौजूदा कर का आकलन कर दरों और कर कानूनों पर आधारित है जो प्रतिवेदन अवधि के अंत तक लागू किया गया है या तात्विक रूप से लागू किया गया है।

वर्तमान कर की गणना उन कर दरों और कर कानूनों पर आधारित होती है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक लागू हो चुके हैं या मूल रूप से लागू हो चुके हैं। आस्थगित कर, तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों और कर उद्देश्यों के लिए ऐसी परिसंपत्तियों और देनदारियों से संबंधित राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर निर्धारित किया जाता है। आस्थगित कर की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो उस अवधि में लागू होने की आशा है जिसमें परिसंपत्तियों की वसूली होगी या देनदारियों का निपटान किया जाएगा। इस प्रकार परिकलित वर्तमान कर और आस्थगित कर को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कर अधिकारियों द्वारा कर उपचार की अनिश्चितता के लिए समायोजित किया जाता है।

आस्थगित कर देयताएं आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी भिन्नताओं के लिए पूर्ण मान्य होती हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों का स्वीकरण उस सीमा तक होता है जिस सीमा तक यह संभावना हो जाती है कि अंतर्निहित कर क्षति, अप्रयुक्त कर साख या कटौती योग्य अस्थायी भिन्नता भविष्य की करयोग्य आय के लिए प्रयुक्त होगी।

इसका आकलन कंपनी के भावी परिचालन परिणामों के पूर्वानुमान के आधार पर किया जाता है, जो महत्वपूर्ण गैर–करयोग्य आय और व्यय तथा किसी भी अप्रयुक्त कर हानि या खास के इस्तेमाल पर विशिष्ट सीमाओं के लिए समायोजित होता है।

3.8 सेवोपरान्त लाभ और सेवाकालीन अल्पकालिक लाभ

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजनाएं, सेवोपरान्त लाभ योजनाएं हैं। इसमें कोई संस्था एक पृथक कोष में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है तथा उस पर सेवोपरान्त और अंशदान का भुगतान करने का कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। इसे उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें संबंधित कर्मचारी सेवाएं प्राप्त की जाती हैं।

परिभाषित लाभ योजना

कंपनी की ग्रेच्युटी के प्रति देयता, वर्ष के अंत में, अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके, स्वतंत्र बीमांकिक द्व ारा निर्धारित की जाती है।

बीमांकिक लाभ या हानि को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार ग्रेच्युटी की देयता एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित निधि में भुगतान की जाती है।

अन्य दीर्घकालिक लाभ

कंपनी की छुट्टी (अर्जित और रुग्णता) और दीर्घ सेवा भुगतान के प्रति देयता, वर्ष के अंत में, अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्ध ति का उपयोग करके, स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा निर्धारित की जाती है। बीमांकिक लाभ या हानि को क्रमशः लाभ और हानि विवरण और अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक लाभों में वेतन, बोनस, पीएलआई, पीआरपी जैसी कर्मचारी लागतें आतीं हैं और अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति उस वर्ष में अर्जित होती है जिसमें कंपनी के कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

कर्मचारी वियोजन लागत

कंपनी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि, प्रबंधन द्वारा विकल्प स्वीकार करने के वर्ष में लाभ–हानि विवरण में दर्शाई जाती है।

3.9 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी का वर्तमान दायित्व पिछली घटना के परिणामस्वरूप होता है, हो सकताहै कि दायित्व के निष्पादन के लिए आर्थिक लाभों को साकार करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय आकलन किया जा सके। रिपोर्टिंग तिथि को दायित्व निष्पादित करना सर्वोत्तम आकलन के आधार पर निर्धारित प्रावधानों के लिए जरूरी है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इन आकलनों की समीक्षा की जाती है और ताजा सर्वोत्तम आकलनों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्यों पर छूट दी जाती है, जहाँ धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण होता है। जहाँ छूट का उपयोग किया जाता है, वहाँ समय बीतने के कारण प्रावधान में हुई वृद्धि को वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है।

कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं :–

वारंटी शुल्क का प्रावधान

वारंटी के प्रावधानों को पूर्व अनुभव के संदर्भ में भविष्य के दावों के आकलन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

दुर्वह संविदाओं के लिए प्रावधान

दुर्वह संविदाओं के तहत उत्पन्न होने वाले वर्तमान दायित्वों को प्रावधानों के रूप में पहचाना और मापा जाता है। दुर्वहसंविदा तब माना जाता है जब कंपनी के पास ऐसा अनुबंध होता है जिसके तहत दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत इसके तहत प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभों से अधिक होती है।

मध्यस्थता निर्णय

प्राप्ति योग्य/भुगतान योग्य ब्याज के संबंध में पंचनिर्णयध्अदालत के फैसलों पर आरंभ के समय विचार नहीं किया जाता है, न्यायिक निर्णय बन जाने के बाद मान्य होते हैं। भारत सरकार के पंचनिर्णय की स्थायी व्यवस्था, अपीली प्राधिकार द्वारा दिए गए फैसले को अंतिम रूप मिल जाने के बाद आता है। इन मामलों में प्राप्तध्प्रदत्त ब्याज का लेखा तब किया जाता है जब भुगतान संभावित हो जब मामला प्रबंधन द्वारा निबटाया हुआ माना जाए।

अन्य प्रावधान

अन्य प्रावधानों में अनुसंधान एवं विकास, सतत विकास, सीएसआर गतिविधियों के लिए प्रावधान तथा अन्य आकस्मिकता के लिए प्रावधान शामिल हैं।

कंपनी के खिलाफ आकस्मिक देनदारियों और दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, और कानूनी कार्यवाही या विनियामक मामलों से संबंधित आकस्मिक देयताएं, जिनमें कुछ गारंटी शामिल हैं, को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालाँकि, इनका प्रकटीकरण तब किया जाता है जब कि निपटान की संभावना बहुत कम हो।

आकस्मिक देयताएं संबंधित मामलों के तथ्यों और वैधानिक पहलुओं के सावधानी पूर्वक किए गए मूल्यांकन के बाद प्रबंधन द्वारा लिए गए फैसले के आधार पर प्रकट की जाती हैं।

आकस्मिक परिसंपत्तियां का प्रकटन तब किया जाता है जब आय की प्राप्ति सुनिश्चित हो।

3.10 विदेशी मुद्रा रूपांतरण

क्रियात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (पदत) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की क्रियात्मक मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा लेन–देन और शेष राशि

विदेशी मुद्रा राशि को लेन–देन की तारीख में रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर पर लागू करते हुए विदेशी मुद्रा लेन–देन को रिपोर्टिंग मुद्रा में दर्ज किया गया है।

रिपोर्टिंग तारीख को प्रचलित विनिमय दर का उपयोग कर विदेशी मुद्रा वित्तीय मदों का पुनः रूपांतरण किया गया है। गैर–मौद्रिक वस्तुओं को जो कि विदेशी मुद्रा में व्यक्ति ऐतिहासिक लागत के रूप में मापित हैं लेन–देन के तारीख को प्रचलित विनिमय दर का उपयोग कर बताया गया है।

मौद्रिक वस्तुओं के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, या कंपनी की ऐसी मौद्रिक वस्तुओं की रिपोर्ट करने पर उन दरों से भिन्न दरों पर, जिन पर उन्हें वर्ष के दौरान शुरू में दर्ज किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किया गया था, उन्हें वर्ष में आयध्व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। जहां ऐसे लेन–देन ग्राहकों की ओर से होते हैं, वहां लाभ–हानि संबंधित ग्राहकों के खातों में अंतरित कर दी जाती है।

3.11 अन्य आय

प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय को प्रोद्भवन आधार पर रिपोर्ट किया जाता है। अल्पावधि में वसूली योग्य ठेकेदारों को दिए गए लामबंदी अग्रिमोंध्वित्तीय सहायता पर ब्याज आय को साधारण ब्याज पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है जो प्रभावी ब्याज दर का अनुमान लगाती है।

ग्राहक की ओर से रखे गए बैंक जमाराशियों पर ब्याज आय को ऐसी जमाराशियों पर ग्राहक को देय ब्याज से घटा दिया जाता है।

लाभांश आय को उस समय मान्यता दी जाती है जब प्राप्ति का अधिकार स्थापित होता है।

आय के अन्य मदों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जब संबंधित वस्तुओं या सेवा का नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

3.12 नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य में आते हैं रोकड़ शेष, बैंक खाते के शेष, ट्रांजिट में विप्रेषण, हाथ में चेक और मांग जमा और साथ में अन्य अल्प–कालिक, अत्यंत तरल निवेश (3 महीने से कम मूल परिपक्वता) जो कि नकदी की ज्ञात राशि में तुरंत परिवर्तनीय है और इसमें मूल्य में परिवर्तन के बड़े जोखिम निहित होते हैं।

3.13 इक्विटी, आरक्षित और लाभांश भुगतान

शेयर पूंजी निर्गमित शेयर के गए न्यूनतम मूल्य दर्शाते हैं। शेयर निर्गमन से जुड़ी कोई भी लेन–देन लागत को प्रतिधारित अर्जनों, किसी भी संबंधित आयकर लाभों का निवल से घटाया जाता है।

इक्विटी के अन्य घटकों में बीमांकिक लाभ या परिभाषित लाभ देयता के पुनः मापन और योजना परिसंपत्तियों पर लाभ की क्षति से उत्पन्न अन्य समग्र आय (ओसीआई) आती है।

प्रतिधारित आय में सभी मौजूदा और पूर्व अवधि के प्रतिधारित लाभ आते हैं। शेयरधारकों को होने वाले वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि की देयता के रूप में स्वीकरण किया जाता है जिसमें लाभांश शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कोई भी चुकता अंतरिम लाभांश का निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित होने पर स्वीकरण होता है। भुगतान योग्य लाभांश और लाभांश वितरण पर अनुरूपी कर का स्वीकरण सीधे तौर पर इक्विटी में होता है।

3.14 अमूर्त संपत्ति

मान्यता

अमूर्त संपत्ति को शुरू में उसके अधिग्रहण की लागत पर मापा जाता है। लागत में खरीद (प्रापण)मूल्य, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर उधार लेने की लागत, और इच्छित उपयोग के लिए परिसंपत्ति को उसकी कार्यशील स्थिति में लाने की प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागत शामिल है। खरीद (प्रापण)मूल्य निर्धारित करने में किसी भी व्यापार छूट और कटौती को काट दिया जाता है।

परवर्ती मापन (परिशोधन)

प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के संदर्भ में प्राप्त दरों के आधार पर अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन का शुल्क सीधी–रेखा पद्धति पर लगाया जाता है।

परिसंपत्तियाँ श्रेणी	अनुमानित उपयोगी जीवन (वर्षों में)
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3 वर्ष

जब किसी परिसंपत्ति को वित्तीय वर्ष के दौरान अधिग्रहित किया जाता है या जोड़ा जाता है, तो उस वित्तीय वर्ष के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध रहने वाले दिनों की आनुपातिक संख्या के आधार पर अवमूल्यन प्रभारित किया जाता है।

अ–स्वीकरण

प्रारंभ में मान्यता प्राप्त किसी अमूर्त संपत्ति की कोई मद या उसका कोई भी महत्वपूर्णध्बड़ा तब अमान्य आकर दिया जाता है जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की आशा नहीं है। परिसंपत्ति की गैर–मान्यता (निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर लाभ एवं हानि खाते के विवरण में दर्ज किया जाता है।

3.15 पट्टे

कंपनी पट्टाधारी के रूप में

संविदा के आरंभ में, कंपनी मूल्यांकन करती है कि संविदा कोई लीज (पट्टा) है या इसमें लीज (पट्टा) शामिल है।

संविधा पट्टा होता है, या इसमें पट्टा शामिल होता है, यदि संविदा में प्रतिफल के बदले किसी चिह्नित संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया हो।

मान्यताः

1. ''संपत्ति उपयोग अधिकार (आरओयू)':

   प्रारंभ तिथि को, कंपनी संपत्ति उपयोग के अधिकार और पट्टे की देयता का स्वीकरण करती है, सिवाय इसके कि

   क. बारह महीने या उससे कम अवधि (अल्पकालिक पट्टे) के साथ पट्टे के लिए और,

   ख. पट्टे जिसके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है।

2. ''पट्टा देयता''

   प्रारंभ तिथि से कंपनी पट्टे की उस देयता का मापन पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर करती है जिसका भुगतान उस तिथि तक नहीं हुआ था। पट्टा भुगतानों पर छूट प्रभावी ब्याज दर की मदद से तय की जाती है।

परवर्ती मापन

1. ''संपत्ति उपयोग अधिकार (आरओयू)''

   प्रारंभ तिथि के बाद, कंपनी संपत्ति उपयोग के अधिकार और पट्टे की देयता का मापन किसी संचित अवमूल्यन से कम लागत पर करती है और यह हानि क्षति (इंपेयरमेंट क्षति) से प्रभावित होता है।

2. ''पट्टा देयता''

   प्रारंभ होने की तारीख के बाद, ब्याज में वृद्धि को दर्शाने के लिए पट्टे की देयता की राशि बढ़ा दी जाती है और किए गए पट्टा भुगतानों के लिए घटा दी जाती है। इसके अलावा, यदि कोई पुनर्मूल्यांकन या संशोधन होता है, तो पट्टे की देयता की वहन राशि को फिर से मापा जाता है।

   अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन और उपयोग के अधिकार के मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो, तो भावी रूप से समायोजित किया जाता है।

अ–स्वीकरण

शुरू में मान्यता प्राप्त उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य के आर्थिक लाभ की आशा नहीं की जाती है, तो मान्यता रद्द कर दी जाती है। उपयोग परिसंपत्ति के अधिकार की मान्यता रद्द करने पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि (शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) को लाभ एवं हानि खाते के विवरण में शामिल किया जाता है जब उपयोग परिसंपत्ति का अधिकार अमान्य हो जाता है।

पट्टादाता के रूप में कंपनी

परिचालन पट्टा

पट्टे जिसमें कंपनी किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित नहीं करती है, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टों के तहत पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को अंतर्निहित परिसंपत्ति की प्रकृति के अनुसार मान्यता प्राप्त और प्रस्तुत किया जाता है।

किराये की आय को पट्टे की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां किराए में अनुसूचित वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत के साथ कंपनी को क्षतिपूर्ति करती है।

3.16 बिक्री हेतु धारित गैर–चालू परिसंपत्तियाँ

गैर–चालू परिसंपत्तियों और निपटान समूहों को बिक्री हेतु स्थिर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी धारित राशि मुख्यतः बिक्री के माध्यम से (निरंतर उपयोग के बजाय) वसूल की जानी है, जब परिसंपत्ति (या निपटान समूह) अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल उन शर्तों के अधीन जो ऐसी परिसंपत्ति (या निपटान समूह) की बिक्री के लिए सामान्य और पद्धति गत हैं और बिक्री अत्यधिक संभावित है और वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए योग्य होने की आशा है।

बिक्री हेतु स्थिर के रूप में वर्गीकृत गैर–चालू परिसंपत्तियों और निपटान समूहों को उनकी धारित राशि और उचित मूल्य में से बिक्री लागत घटाकर जो भी कम हो, उस पर मापा जाता है। उचित मूल्य में बिक्री लागत घटाकर निर्धारण में प्रबंध ान अनुमानों और मान्यताओं का उपयोग शामिल है।

3.17 परिसमापन ह्रास

ग्राहकों/ठेकेदारों के संदर्भ में परिसमापन ह्रास/मुआवजा, यदि कोई है, तो उनका हिसाब तब दिया जाता है जब मामले को प्रबंधन द्वारा निबटाया हुआ माना जाए।

3.18 पूर्व अवधि व्यय/आय

पूर्व अवधि से संबंधित व्ययध्आय जिसे महत्वपूर्ण नहीं माना जाए मौजूदा वर्ष में लेखों के संबंधित मद में रखा जाता है।

3.19 लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय और आकलन अनिश्चितता

वित्तीय विवरण भारत में जीएएपी के अनुरूप तैयार किए जाते हैं जिसमें आवश्यक प्रावधान है कि प्रबंधन ऐसे आकलन और अनुमान करे जो वित्तीय विवरण की तिथि और उन अवधियों में आय एवं व्यय के प्रतिवेदित राशि प्रतिवेदित परिसंत्ति शेष, देयता और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करें। यद्यपि ये आकलन और अनुमान वित्तीय विवरणों के साथ प्रयुक्त वित्तीय विवरणों की तिथि अनुसार प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित हैं, जो प्रबंधन के अनुसार विवेकपूर्ण और उचित हैं, वास्तविक परिणाम वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त अनुमानों और आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों के किसी भी संशोधन का संभावित रूप से उस अवधि से स्वीकरण होता है जिसमें परिणाम पता होते हैं ध लागू भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार अमल में आते हैं।

उन आकलनों और अनुमानों के बारे में जानकारी जिनका स्वीकरण पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय का मापन नीचे दिया गया है।

महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय – कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय हैं जिनका वित्तीय विवरणों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों का निर्धारण – आस्थगित कर परिसंपत्तियों का निर्धारण उस सीमा हो सकता है, जिस तक कंपनी की भविष्य की कर–योग्य संभावित आय के अनुमान पर आधारित है, जिसके लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

परिसंपत्तियों का ह्रास के संकेतकों का मूल्यांकन

परिसंपत्तियों का ह्रास संकेतकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन से महत्वपूर्ण/बड़े निर्णय जुड़े हैं, जिसके लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में गिरावट हो सकती है। इन संकेतकों में जारीकर्ता या देनदार की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई, भुगतान में चूक या देरी, तकनीकी, बाजार, आर्थिक या कानूनी वातावरण में महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन आदि शामिल हो सकते हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण– प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के शेष उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य का आकलन किया जाता है माना जाता है कि निर्दिष्ट उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य तर्कसंगत हैं।

आकलन अनिश्चितता

उन आकलनों और अनुमानों के बारे में जानकारी जिनके निर्धारण पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय का मापन नीचे दिया गया है।

राजस्व निर्धारण – जहां राजस्व संविदाओं में आस्थगित भुगतान शर्तें जुड़ी होते हैं, प्रबंधन द्वारा लेन–देन की तिथि पर प्रचलित समान क्रेडिट रेटिंग वाले समान लिखतों पर लागू टाइल अपेक्षित संग्रह अवधि और ब्याज दर का उपयोग करके प्राप्य प्रतिफल का उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है।

अग्रिमों/प्राप्तियों की प्रतिलब्धता– परियोजना प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख और क्षेत्रीय रणनैतिक व्यवसाय समूह समय–समयपर अग्रिमों और प्राप्तियों की वसूली की समीक्षा करते हैं। समीक्षा वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार की जाती है और ऐसे अनुमानों के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय आवश्यक होता है जो प्रति–पक्षों, बाजार सूचना और अन्य संबंधित कारकों के वित्तीय स्थिति के आधार पर होता है।

परिभाषित लाभ बाध्यता (डीबीओ)– प्रबंधन का डीबीओ अनुमान कई महत्वपूर्ण अंतर्निहित धारणाओं पर आधारित होता है जैसे मुद्रास्फीति की मानक दर, चिकित्सा लागत रुझान, मृत्यु दर, छूट दर और भविष्य के वेतन वृद्धि की प्रत्याशा। इन अनुमानों में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक परिभाषित लाभ व्यय को प्रभावित कर सकती है।

आकस्मिकता– आकस्मिकताध्दावाध्कंपनी के विरुद्ध अभियोग के संदर्भ में संसाधनों के संभावित बहिर्वाह के लिए, यदि कोई हो तो, प्रबंधन निर्णय आवश्यक है क्योंकि लंबित मामलों के परिणाम का अनुमान सटीकता के साथ लगा पाना संभव नहीं होता।

वारंटियों के लिए प्रावधान– वारंटी के प्रबंधन का आकलन इंजीनियरिंग आकलनों पर आधारित है और इन अनुमानों में भिन्नता प्रावधान राशि और वार्षिक वारंटी व्यय को प्रभावित कर सकती है।

चलनिधि क्षति–चलनिधि क्षति प्राप्तियां संविदा की शर्तों के अनुसार आकलित और दर्ज की जाती हैंय संविदाकार पर लेवी के रूप में अनुमान वास्तविक से भिन्न हो सकता है।

3.19 हालिया लेखा घोषणा

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (ष्एमसीएष्) ने 07 मई, 2025 की अधिसूचना के अंतर्गत कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों में निम्नलिखित संशोधन कियारू

भारतीय लेखा मानक 21 – विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभावरू संशोधन के अंतर्गत संस्थाओं को यह आकलन करना आवश्यक है कि क्या किसी माप तिथि पर और किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए कोई मुद्रा किसी अन्य मुद्रा में विनिमय योग्य है। यदि कोई संस्था माप तिथि पर निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए अन्य मुद्रा की नगण्य मात्रा से अधिक प्राप्त नहीं कर पाती है, तो वह मुद्रा अन्य मुद्रा में विनिमय योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में, संस्था को निम्नलिखित में से किसी एक का उपयोग करके अनुच्छेद 19। में दिए गए उद्देश्य को पूरा करने वाली हाजिर विनिमय दर का अनुमान लगाना आवश्यक है।

(क) समायोजन के बिना अवलोकनीय विनिमय दरय या

(ख) अन्य अनुमान तकनीक

संशोधन की प्रभावी तिथि 07 मई, 2025 है। कंपनी ने उपर्युक्त संशोधन का मूल्यांकन किया है और वित्तीय विवरणों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट–4

संपत्ति संयंत्र और उपकरण (आरओयू सहित)

(₹ लाख में)द्ध

विवरण	सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण					उपयोग का अधिकार संपत्ति**		कुल
	इमारतें#	फर्नीचर और फिक्स्चर	वाहनों	कार्यालय उपकरण	कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ	पट्टे पर दी गई भूमि*	इमारतों	
सकल वहन मूल्य								
01 अप्रैल, 2023 तक	**7,175.06**	**378.35**	**11.48**	**222.15**	**258.60**	**446.65**	**8.71**	**8,501.01**
वर्ष के दौरान चला गया परिवर्धन	-	0.61	-	2.54	61.64	-	13.76	78.54
वर्ष के दौरान निराकरण/समायोजन	-	0.46	-	0.27	0.37	-	8.71	9.81
31 मार्च, 2024 तक	**7,175.06**	**378.50**	**11.48**	**224.42**	**319.86**	**446.65**	**13.76**	**8,569.74**
वर्ष के दौरान चला गया परिवर्धन	-	9.52	-	3.21	41.93	-	-	54.66
वर्ष के दौरान निराकरण/समायोजन	-	-	-	-	0.53	-	-	0.53
31 मार्च 2025 तक	**7,175.06**	**388.02**	**11.48**	**227.62**	**361.27**	**446.65**	**13.76**	**8,623.88**
संग्रहीत मूल्यह्रास								
01 अप्रैल, 2023 तक	**653.40**	**176.74**	**10.91**	**201.42**	**230.65**	**92.95**	**5.80**	**1,371.88**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क/परिशोधन	111.10	23.73	-	4.63	15.65	4.98	1.72	161.80
वर्ष के दौरान निराकरण/समायोजन	-	0.44	-	0.27	0.35	-	5.80	6.87
31 मार्च, 2024 तक	**764.50**	**200.02**	**10.91**	**205.78**	**245.95**	**97.93**	**1.72**	**1,526.81**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क/परिशोधन	110.80	23.96	-	2.99	31.00	4.98	6.88	180.61
वर्ष के दौरान निराकरण/समायोजन	-	-	-	-	0.50	-	-	0.50
31 मार्च 2025 तक	**875.29**	**223.98**	**10.91**	**208.77**	**276.45**	**102.91**	**8.60**	**1,706.92**
शुद्ध वहन मूल्य								
31 मार्च, 2025 तक	**6,299.77**	**164.04**	**0.57**	**18.85**	**84.82**	**343.74**	**5.16**	**6,917.00**
31 मार्च, 2024 तक	**6,410.57**	**178.47**	**0.57**	**18.64**	**73.92**	**348.72**	**12.04**	**7,042.95**

#कंपनी ने वित्त वर्ष 2018–19 में 6,834.99 लाख रुपये की पूंजीकृत इमारतें बनाई हैं, जो कंपनी के नाम पर पंजीकरण के लिए लंबित हैं और पंजीकरण लागत लगभग 500 लाख रुपये होगी।

भवन में चारदीवारी, स्कूटर शेड और ट्यूबवेल शामिल हैं, जिनका उपयोगी जीवन 5 वर्ष है और मूल्यह्रास किया गया है।

*लीजहोल्ड भूमि में नौएडा के सैक्टर –1 में प्लॉट संख्या ई–13 और ई–14 शामिल हैं, डीड के क्लॉज नंबर 4 के अनुसार, पट्टेदार यानि एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड को चार साल की निर्दिष्ट अवधि के भीतर पास की गई भूमि पर भवन का निर्माण और निर्माण पूरा करना होगा, जब तक कि पट्टादाता समय विस्तार की अनुमति न दे। कंपनी को 12 जनवरी, 2022 को नौएडा प्राधिकरण से 22 अप्रैल 2017 से 08 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए ₹ 56.51 लाख प्लस जीएसटी के विस्तार शुल्क के भुगतान के लिए एक पत्र प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी तक इसका भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि, कंपनी ने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण को देय लीज डीड एक्सटेंशन शुल्क क्लॉज के अनुसार 31 मार्च, 2025 तक ₹ 89.76 लाख (31 मार्च, 2024 ₹ 78.46 लाख) के विस्तार शुल्क का प्रावधान किया है।

(i) अचल संपत्ति के टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं हैं

अचल संपत्ति के शीर्षक विलेख जो 31.03.2024 से 31.03.2025 तक कंपनी के नाम पर नहीं हैं						
बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर किए गए टाइटल डीड	क्या टाइटल डीड /धारक प्रोमोटर*/ निदेशक का प्रोमोटर निदेशक या रिश्तेदार# प्रवर्तक/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
संपत्ति संयंत्र उपकरण (बिल्डिंग)	201–222, दूसरी मंजिल एनबीसीसी सेंटर, ओखला, फेज –1 नई दिल्ली	6834.99 लाख	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	प्रोमोटर	30.03.2019	कुछ प्रशासनिक कारणों से, हस्तांतरण विलेख अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है. हालांकि, प्रबंधन को विश्वास है कि यह निकट भविष्य में हो जाएगा।

नोट–5

कंपनी की पूंजीगत कार्य–प्रगति

कंपनी की पूंजीगत कार्य–प्रगति का विवरण और रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत से आखिर तक उनकी अग्रणित राशियों का समाधान इस प्रकार हैं :–

(रु. लाख में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2023 तक	2.24
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-
अवधि के दौरान कटौती	-
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-
1 अप्रैल 2024 तक	**2.24**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	60.82
अवधि के दौरान कटौती	-
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-
घटाएँ : क्षति हानि के लिए प्रावधान"	(2.24)
31 मार्च 2025* तक	**60.82**

*31 मार्च, 2025 तक प्रगतिरत पूँजीगत कार्यों में प्लॉट ई–13 और ई–14, सैक्टर–1 नौएडा के भवन योजना प्रस्तुत करने हेतु ₹2.24 लाख की फीस, नौएडा कॉर्पोरेट कार्यालय में ₹55.60 लाख का नवीनीकरण कार्य और कैफेटेरिया के लिए संरचना की स्थापना हेतु ₹5.22 लाख की फीस शामिल है। नवीनीकरण कार्य और कैफेटेरिया की स्थापना वित्त वर्ष 2025–26 में पूरी होने की उम्मीद है। नौएडा कॉर्पोरेट कार्यालय के नवीनीकरण हेतु पूंजी प्रतिबद्धता (पूँजीगत अग्रिमों का निवल) – ₹4.32 लाख (31 मार्च, 2024 : शून्य)

**वर्ष के दौरान, कंपनी ने प्लॉट ई–13 और ई–14, सैक्टर–1 नौएडा के भवन योजना प्रस्तुत करने हेतु शुल्क पर ₹2.24 लाख की हानि को मान्यता दी है क्योंकि वसूली योग्य राशि उसके वहन मूल्य से कम निर्धारित की गई थी।

नोट–5क

दिनांक 31.03.2025 को सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल (रु. लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएँ					
क. नौएडा में निर्माण कार्य	-	-	-	2.24	2.24
ख. नौएडा कॉर्पोरेट कार्यालय में नवीनीकरण कार्य	54.66	-	-	-	54.66
ग. कैफेटेरिया के लिए संरचना की स्थापना	6.16	-	-	-	6.16
घटाएँ : हानि के लिए प्रावधान**				(2.24)	(2.24)
कुल					**60.82**

दिनांक 31.03.2024 को सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल (रु. लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं					
नौएडा में निर्माण कार्य	-	.	-	2.24	2.24
कुल					**2.24**

*इसमें प्लॉट ई–13 और ई–14, सैक्टर–1, नौएडा की बिल्डिंग प्लान जमा करने की रुपये की फीस 2.24 लाख. शामिल है।

नोट–5ख

**प्रगति पर पूंजीगत कार्य, जिसका पूरा होना अतिदेय है या 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 तक इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया है :–

(₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि में पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
नौएडा में निर्माण कार्य	-	-	-	2.24

नोट –6

अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां (₹ लाख में)

विवरण	सॉफ्टवेयर	कुल
सकल वहन मूल्य		-
01 अप्रैल, 2023 तक	**41.45**	**41.45**
वर्ष के दौरान किए गए परिवर्धन	32.31	32.31
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2024 तक	**73.76**	**73.76**
वर्ष के दौरान किए गए परिवर्धन	0.21	0.21
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2025 तक	**73.97**	**73.97**

ऋणमुक्ति		
01 अप्रैल, 2023 तक	**32.57**	**32.57**
वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क	9.80	9.80
वर्ष के दौरान निपटानध्समायोजन	-	-
31 मार्च, 2024 तक	**42.37**	**42.37**
वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क	14.65	14.65
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2025 तक	**57.02**	**57.02**
शुद्ध वहन मूल्य		
31 मार्च, 2025 तक	**16.95**	**16.95**
31 मार्च, 2024 तक	**31.39**	**31.39**

नोट–7

(₹ लाख में)

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (गैर–वर्तमान)	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
सुरक्षा जमा	22.10	22.01
स्टाफ को अग्रिम राशि*	1.65	2.06
12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली बैंक जमाएं (नोट (i) देखें)	1,549.12	317.00
कुल	**1,572.87**	**341.07**
(i) जमा पर अर्जित ब्याज शामिल है	35.10	9.87
*अग्रिमों पर अर्जित ब्याज शामिल है	0.94	0.78

नोट–8 आस्थगित कर परिसंपत्तियों में परिवर्तन

(रु. लाख में)

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	1 अप्रैल, 2024 तक	लाभ एवं हानि में (प्रभारित) / क्रेडिट किया गया	ओसीआई में (प्रभारित) / क्रेडिट किया गया	31 मार्च, 2025 तक
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
अस्थायी अंतर के कारण उत्पन्न होना				
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान	198.19	27.07	8.61	233.86
वीआरएस के तहत भुगतान की गई राशि	16.61	(9.08)	-	7.53
अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान	814.22	361.64	-	1,175.86
लाभ संबंधित वेतन (पीआरपी) प्रावधान	154.73	65.68	-	220.41
अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	37.75	(37.75)	-	-
अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रावधान	9.82	(9.82)	-	-
आस्थगित राजस्व (बिल नहीं किए गए प्राप्य का शुद्ध)	192.07	(192.07)	-	-
परिसमाप्त क्षति के लिए प्रावधान	95.3	0.00		95.30
आस्थगित कर देनदारियाँ				
मूल्यह्रास में अस्थायी अंतर के कारण उत्पन्न होना	(717.09)	21.25	-	(695.84)
कुल	**801.60**	**226.92**	**8.61**	**1,037.13**

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में परिवर्तन

(रु. लाख में)

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	1 अप्रैल, 2023 तक	लाभ एवं हानि में (प्रभारित) / क्रेडिट किया गया	ओसीआई में (प्रभारित) / क्रेडिट किया गया	31 मार्च, 2024 तक
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
अस्थायी अंतर के कारण उत्पन्न होना :				
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान	173.44	24.84	(0.09)	198.19
वीआरएस के तहत भुगतान की गई राशि	25.70	(9.08)	-	16.61
अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान	863.05	(48.83)	-	814.22
लाभ संबंधित वेतन (पीआरपी) प्रावधान	92.80	61.92	-	154.73
अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	37.75	-	-	37.75
अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रावधान	-	9.82	-	9.82
आस्थगित राजस्व (बिल नहीं किए गए प्राप्य का शुद्ध)	424.81	(232.74)	-	192.07
अन्य	275.69	(275.69)	-	-
परिसमाप्त क्षति के लिए प्रावधान	-	95.30		95.30
आस्थगित कर देनदारियाँ				-
मूल्यह्रास में अस्थायी अंतर के कारण उत्पन्न होना	510.71	206.38	-	717.09
कुल	**1,382.53**	**(580.84)**	**(0.09)**	**801.60**

नोट–9

(रु. लाख में)

व्यापार प्राप्तियां (असुरक्षित, अच्छा माना जाता है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – सुरक्षित	-	-
व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – असुरक्षित	35,763.70	32,918.91
व्यापार प्राप्तियां जिनमें महत्वपूर्ण व्यापार प्राप्तियां हैं जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	1,576.47	1,370.32
	37,340.17	34,289.23
हानि भत्ता		
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – असुरक्षित	(2,798.22)	(1,567.47)
– व्यापार प्राप्य – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	(1,576.47)	(1,370.32)
कुल	**32,965.49**	**31,351.44**

नोटः बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार व्यापार प्राप्य से संबंधित कोई भी बिल रहित या बकाया शेष नहीं है तथा लेन–देन की तिथि को भुगतान की देय तिथि माना गया है।

नोट–9क

(रु. लाख में)

व्यापार प्राप्तियों के लिए एजिंग– 31 मार्च, 2025 तक वर्तमान बकाया इस प्रकार है :–	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया कुल					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने–1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
अविवादित						
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – सुरक्षित	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – असुरक्षित	21,988.37	3,342.38	8,757.16	1,268.24	407.54	35,763.70
– व्यापार प्राप्तियां जिनके पास महत्वपूर्ण व्यापार प्राप्तियां हैं जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						
– व्यापार प्राप्य – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	1,576.47	1,576.47
विवादित						
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – सुरक्षित						-
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – असुरक्षित						-
– व्यापार प्राप्तियां जिनके पास महत्वपूर्ण व्यापार प्राप्तियां हैं जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						-
– व्यापार प्राप्य – क्रेडिट बिगड़ा हुआ						-
	21,988.37	3,342.38	8,757.16	1,268.24	1,984.01	37,340.17
घटाएँ : संदिग्ध भत्ता प्राप्यकर्ता के लिए भत्ता						(4,374.68)
						32,965.49

नोट–9ख

(रु. लाख में)

व्यापार प्राप्तियों के लिए एजिंग– 31 मार्च, 2024 तक वर्तमान बकाया इस प्रकार है :–	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया कुल					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने–1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
अविवादित						
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – सुरक्षित	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – असुरक्षित	22,374.84	5,430.73	1,777.98	651.28	2,684.08	32,918.91
– व्यापार प्राप्तियां जिनके पास महत्वपूर्ण व्यापार प्राप्तियां हैं जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्य – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	1,370.32	1,370.32
विवादित						
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – सुरक्षित	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – असुरक्षित	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्तियां जिनके पास महत्वपूर्ण व्यापार प्राप्तियां हैं जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्य – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	-	-
	22,374.84	5,430.73	1,777.98	651.28	4,054.40	34,289.23
घटाएँ : संदिग्ध भत्ता प्राप्यकर्ता के लिए भत्ता						**(2,937.79)**
ऊपर बताए गए व्यापार प्राप्य से संबंधित कोई बिल ना किया गया और ना ही देय शेष है।						**31,351.44**

नोट—10

(रु. लाख में)

नकद और नकद समकक्ष	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
बैंकों के बैंक खाते में शेष राशि*	38,979.39	44,435.13
3 महीने तक मूल परिपक्वता की फ्लेक्सी जमा राशि*	10,891.12	1,070.33
कुल	**49,870.51**	**45,505.46**
*जमा राशि पर अर्जित ब्याज शामिल है	43.12	3.24
– अनुसंधान और विकास कोष	-	39.00

नोट—11

(₹ लाख में)

नकद और नकद समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
अन्य बैंक में शेष राशि		
बैंक के पास बैंक खाते में शेष राशि (साख पत्र के विरुद्ध निर्धारित) (नोट iii देखें)	59.00	-
3 महीने से अधिक और 12 महीने तक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा राशि (नोट i, ii, और iii देखें)	104,415.27	151,192.97
कुल	**104,474.27**	**151,192.97**
टिप्पणियाँ		
(i) जमा पर अर्जित ब्याज शामिल है	877.36	3,204.62
(ii) इसमें बैंक गारंटी के विरुद्ध गिरवी रखी गई जमा राशियां शामिल हैं	32.63	617.54
(iii) इसमें ऋण पत्र के विरुद्ध गिरवी रखी गई जमा राशियां शामिल हैं	59.00	805.15

नोट—12

(रु. लाख में)

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	31 मार्च, 2025 के अनुसार		31 मार्च, 2024 के अनुसार	
बयाना राशि एवं सुरक्षा जमा				
– अच्छा माना जाता है	418.93		474.16	
– संदिग्ध माना जाता है	55.84		54.37	
	474.77		528.53	
कम: अपेक्षित क्रेडिट हानि	(55.84)	418.93	(54.37)	474.16
अन्य वसूली योग्य				
– अच्छा माना जाता है	19.11		0.48	
– संदिग्ध माना गया#	241.52		242.99	
	260.63		243.47	
घटाएँ : अपेक्षित ऋण हानि	(241.52)	19.11	(242.99)	0.48
बिना बिल वाला राजस्व##		21,607.67		27,247.19
कर्मचारियों को ऋण/अग्रिम राशि*		6.56		19.20
अन्य से प्राप्तियां**		-		2.21
12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमा राशियाँ (नोट (i) और (ii) देखें)		44.52		6,471.77
कुल		**22,096.79**		**34,215.01**

*ऋण पर अर्जित ब्याज शामिल है	-	0.62
**अंतर परियोजनाओं के असमाधान शेष का प्रतिनिधित्व करता है		
(i) जमा पर अर्जित ब्याज शामिल है	7.85	537.36
(ii) इसमें बैंक गारंटी के विरुद्ध गिरवी रखी गई जमा राशि शामिल है	19.50	-

#इंडियन ओवरसीज बैंक, सैक्टर–1, नौएडा के साथ ₹ 241.52 लाख के लिए अनुवर्ती कार्रवाई प्रक्रियाधीन है (नोट–49 देखें)।

##बिना बिल वाले राजस्व में निर्माण कार्य से संबंधित किए गए कार्य का मूल्य शामिल होता है, जिसका बाद के महीनों में बिल बनाया जाता है और ग्राहकों से प्राप्त जमा राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

नोट 7, 10, 11 और 12 में से निम्नलिखित बैंक बैलेंस/बैंक जमा ग्राहकों/मंत्रालयों की ओर से अलग बैंक खाते में रखे जाते हैं

मंत्रालयों/ग्राहकों की ओर से धारित बैंक में शेष	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
चालू खाते में बैंकों के पास शेष राशि	38,513.36	42,162.30
3 महीने की मूल परिपक्वता तक फ्लेक्सी जमा	10,891.12	2,393.79
फ्लेक्सी डिपॉजिट जिनकी मूल परिपक्वता 3 महीने से अधिक और 12 महीने तक है	81,278.62	140,856.42
12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा	1,549.12	6,746.29
कुल	**132,232.22**	**192,158.80**

नोट–13

वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
अग्रिम आयकर	6,961.40	10,986.52
घटाएँ : कराधान का प्रावधान	5,868.26	9,735.37
कुल	**1,093.14**	**1,251.15**

नोट–14

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	5,946.03	7,370.22
पूर्व–प्रदत्त व्यय	7.58	2.86
सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष राशि	680.15	221.77
अन्य*	-	20.45
कुल	**6,633.75**	**7,615.29**

*एचएससीसी कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट को अग्रिम भुगतान की गई राशि शामिल है	-	16.08

नोट–15

इक्विटी शेयर पूंजी	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अधिकृतः				
प्रत्येक ₹ 100/– के इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2024 ₹ 100)	5,00,000	500	5,00,000	500
जारी, अभिदत्त एवं भुगतानः				
प्रत्येक ₹ 100/– के पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2024 ₹ 100)	1,80,014	180.01	1,80,014	180.01
कुल	**1,80,014**	**180.01**	**1,80,014**	**180.01**

नोट–15 क

इक्विटी शेयर पूंजी	इक्विटी शेयर 31 मार्च, 2025 तक		इक्विटी शेयर 31 मार्च, 2024 तक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष की शुरुआत में बकाया शेयर	1,80,014	180.01	1,80,014	180.01
जोड़ें / (कम): वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर / (वापस खरीदें)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**1,80,014**	**180.01**	**1,80,014**	**180.01**

नोट–15 ख

पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयरधारक :

नाम	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड* (हॉल्डिंग कंपनी)	1,80,014	100%	1,80,014	100%

* एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के नामांकित व्यक्तियों द्वारा रखे गए 42 (नंबर) शेयर शामिल हैं।

31 मार्च 2025 तक प्रमोटरों और प्रमोटर समूह द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण

प्रमोटर का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरों की संख्या	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के अंत तक शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	1,79,972	0	1,79,972	99.979%
श्री नौमान अहमद	6	0	6	0.003%
श्री राजेंद्र चौधरी*	6	0	6	0.003%
श्री एम. बी. सिंघल*	6	0	6	0.003%
श्री योगेश शर्मा*	6	0	6	0.003%
श्री चन्द्रशेखर गुप्ता*	6	0	6	0.003%
श्री मानस कविराज*	6	0	6	0.003%
श्री ऋषिकेश कुमार*	6	0	6	0.003%

* एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की ओर से नामांकित व्यक्तियों द्वारा रखे गए शेयर

31 मार्च, 2024 तक प्रमोटरों और प्रमोटर समूह द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण

प्रमोटर का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरों की संख्या	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के अंत तक शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	179,972	-	179,972	99.979%
श्री नौमान अहमद (24/02/2023 से प्रभावी)*	-	6	6	0.003%
श्री सुरेश चंद्र गर्ग (28/02/2023 तक)*	6	(6)	-	0.000%
श्री राजेन्द्र चौधरी*	6	-	6	0.003%
श्री योगेश शर्मा*	6	-	6	0.003%
श्रीमती बलदेव कौर सोखी*	6	-	6	0.003%
श्री चन्द्र शेखर गुप्ता*	6	-	6	0.003%
श्री मानस कविराज*	6	-	6	0.003%
श्री एम.बी. सिंघल*	6	-	6	0.003%

* एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की ओर से नामांकित व्यक्तियों द्वारा रखे गए शेयर

नोट–15 ग

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है, जिसका मूल्य 100 रुपये प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए योग्य है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, अंतरिम लाभांश के मामले को छोड़कर, वार्षिक आम बैठक सुनिश्चित करने में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। तरलीकरण की स्थिति में, कंपनी सभी प्राथमिक राशियों के वितरण के बाद, उनकी शेयरधारिता के अनुपात में, इक्विटी शेयरधारक कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

नोट–5 घ

प्रमोटरों की शेयरधारिता

31 मार्च, 2025 तक

प्रमोटर का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरों की संख्या	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड* (होल्डिंग कंपनी)	180014	0.00%	-	100.00%	-

*इसमें एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के नामितियों द्वारा धारित 42 शेयर शामिल हैं

31 मार्च, 2024 तक :–

प्रमोटर का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरों की संख्या	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड* (होल्डिंग कंपनी)	180014	-	180014	100.00%	-

*इसमें एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के नामितियों द्वारा धारित 42 शेयर शामिल हैं

नोट–16

अन्य इक्विटी	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
आरक्षित एवं अधिशेष :–				
सामान्य रिजर्व :–	3,335.53		3,335.53	
प्रारंभिक जमा	-		-	
जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि	-	3,335.53	-	3,335.53
घटाएँ : वर्ष के दौरान उपयोग किया गया				
पूंजी मोचन रिजर्व :–	60.00		60.00	
प्रारंभिक जमा	-		-	
जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि	-	60.00	-	60.00
घटाएँ : वर्ष के दौरान उपयोग किया गया				
प्रतिधारित कमाई :–	15,765.84		12,621.36	
प्रारंभिक जमा	7,701.47		3,956.34	
जोड़ें : अवधि के लिए लाभ	(2,388.78)		(811.86)	
घटाएँ : अंतरिम लाभांश सहित भुगतान किया गया लाभांश	-		-	
घटाएँ : बोनस शेयर जारी	-	21,078.53	-	15,765.84
घटाएँ : शेयर जारी करने का खर्च				
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) :–				
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन :				
प्रारंभिक जमा	(16.01)		24.83	
जोड़ें : अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	(34.20)		(54.58)	
घटाएँ : ओसीआई की वस्तुओं पर आयकर	8.61	(41.60)	13.74	(16.01)
कुल		**24,432.47**		**19,145.35**

रिजर्व और अधिशेष

अन्य आरक्षितों की प्रकृति और उद्देश्य :

प्रतिधारित आय

सामान्य रिजर्व, वैधानिक रिजर्व का प्रतिनिधित्व करता है, यह कंपनी अधिनियम के अनुसार है जिसमें लाभ का एक भाग सामान्य रिजर्व में विभाजित किया जाता है।

पूंजी मोचन रिजर्व

यह रिजर्व इक्विटी शेयरों के बाय–बैक पर निर्मित रिजर्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह रिजर्व कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप अप्रयुक्त है।

प्रतिधारित कमाई

प्रतिधारित आय वह लाभ है जो कंपनी ने आज तक अर्जित किया है, जिसमें से सामान्य आरक्षित निधि, लाभांश या शेयरधारकों को दिए गए अन्य वितरणों में किसी भी प्रकार का अंतरण घटाया जाता है। कंपनी द्वारा अर्जित सभी लाभ लाभ और हानि विवरण से प्रतिधारित आय में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं।

नोट –17

(रु. लाख में)

पट्टे की देनदारियाँ	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
पट्टा देयताएं (गैर चालू)	-	5.47
पट्टा देयताओं की वर्तमान परिपक्वता	5.47	6.49
कुल पट्टा देयताएं	**5.47**	**11.96**

नोट –18

(रु. लाख में)

प्रावधान– गैर वर्तमान	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधानः		
छुट्टी नकदीकरण	816.97	620.18
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	5.70	5.50
कुल	**822.67**	**625.68**

प्रावधान और कर्मचारी लाभ के प्रत्येक वर्ग में परिवर्तन के लिए क्रमशः नोट 40 और 36 देखें।

नोट –19

(रु. लाख में)

व्यापार देय	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कारण		
– कार्यों और सेवाओं के लिए व्यापार देय	-	-
अन्यों के कारण		
– कार्यों और सेवाओं के लिए व्यापार देय	33,326.93	29,728.27
रोकी गई राशि	36,051.81	42,163.73
कुल	**69,378.74**	**71,892.00**

क) व्यापार देयताएं सामान्यतः अनुबंध की शर्तों के अनुसार तय की जाती हैं।

ख) संबंधित पक्षों के व्यापार देय राशि के शेष के लिए नोट संख्या 37 देखें।

ग) बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार व्यापार से संबंधित कोई भी बिल नहीं किया गया और ना ही देय शेष है और लेन–देन की तारीख को भुगतान की देय तिथि माना जाता है।

नोट–19 क

31 मार्च, 2025 तक देय व्यापार के लिए एजिंग इस प्रकार है :–

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
व्यापार देनदारियां					
देय–सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम*	-	-	-	-	-
अन्य	49,991.55	11,184.91	2,291.45	5,910.85	69,378.74
विवादित बकाया– एमएसएमई*	-	-	-	-	-
विवादित बकाया– अन्य	-	-	-	-	-
कुल	**49,991.55**	**11,184.91**	**2,291.45**	**5,910.85**	**69,378.74**

*सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार।

नोट–19 ख

31 मार्च, 2024 तक देय व्यापार के लिए एजिंग इस प्रकार है :–

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
व्यापार देनदारियां					
देय–सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम*	-	-	-	-	-
अन्य	47,409.87	5,972.04	2,586.10	15,923.99	71,892.00
विवादित बकाया– एमएसएमई*	-	-	-	-	-
विवादित बकाया– अन्य	-	-	-	-	-
कुल	**47,409.87**	**5,972.04**	**2,586.10**	**15,923.99**	**71,892.00**

*सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार।

नोट–19 ग

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 ("एमएसएमईडी अधिनियम, 2006") के तहत प्रकटीकरण निम्नानुसार है :–

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के तहत खुद को पंजीकृत करने वाले आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त पुष्टि के आधार पर और कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, निम्नलिखित विवरण हैं :–

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
(i)	वर्ष के अंत तक मूल राशि का भुगतान नहीं किया गया	-	-
(ii)	उपरोक्त मूलधन पर देय ब्याज और वर्ष के अंत तक भुगतान न किया जाना	-	-
(iii)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ–साथ प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि भी शामिल है।	-	-
(iv)	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
(v)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अवैतनिक शेष ब्याज की राशि; और	-	-
(vi)	आगे के वर्षों में भी बकाया और देय शेष ब्याज की राशि, ऐसी तारीख तक जब ऊपर दिए गए ब्याज का भुगतान वास्तव में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से छोटे उद्यम को किया जाता है।	-	-

नोट–20

(रु. लाख में)

अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियाँ	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
बयाना राशि एवं सुरक्षा जमा	9,205.26	12,423.74
होल्डिंग कंपनी को देय राशि	-	84.10
अन्य देनदारियां*	18,319.10	17,123.65
कुल	**27,524.36**	**29,631.49**

*मुख्य रूप से पीएमसी अनुबंधों के लिए अनुमानित प्रावधान शामिल करें, जहां विक्रेताओं के बिल बैलेंस शीट की तारीख तक अंतिम रूप दिए जाने के लिए लंबित हैं।

(क) 31 मार्च, 2025 तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में भुगतान हेतु कोई राशि बकाया नहीं है (31 मार्च, 2024: शून्य)।

नोट–21

(रु. लाख में)

अन्य वर्तमान देनदारियाँ	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
देय कर	2,807.66	2,120.46
ग्राहकों से जमा	98,799.40	150,250.58
आस्थगित राजस्व	971.99	4,149.19
कुल	**102,579.06**	**156,520.23**

नोट–22

(रु. लाख में)

प्रावधान – वर्तमान	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधानः		
ग्रेच्युटी	52.17	-
छुट्टी नकदीकरण	54.21	160.46
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	0.16	0.96
पीआरपी और पीएलआई के लिए प्रावधान	875.77	614.77
अनुसंधान एवं विकास निधि के लिए प्रावधान	-	39.00
अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	378.66	528.66
कुल	**1,360.96**	**1,343.85**

प्रावधान और कर्मचारी लाभ के प्रत्येक वर्ग में परिवर्तन के लिए क्रमशः नोट 40 और 36 देखें।

नोट–23

(₹ लाख में)

वर्तमान कर देयताएं (निवल)	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
कराधान के लिए प्रावधान	2,734.81	-
घटाएँ : अग्रिम आयकर	2,279.82	-
कुल	**454.98**	**-**

नोट–24

परिचालन से राजस्व	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
उत्पादों की बिक्री	22,502.79	6,689.84
सेवाओं की बिक्री	177,529.68	131,423.98
कुल (क)	**200,032.47**	**138,113.82**
अन्य परिचालन राजस्व		
निविदा दस्तावेजों की बिक्री	32.90	23.98
लिखित रूप में व्यापार देय*	6,344.96	-
देयताएं/प्रावधान वापस लिखे गए	1,383.81	-
आकस्मिक देयता के लिए लिखित प्रावधान	150.00	-
विविध रसीदें	637.08	781.71
कुल (ख)	**8,548.75**	**805.70**
परिचालन से कुल राजस्व (ग=क+ख)	**208,581.22**	**138,919.51**

*वर्ष के दौरान वित्तीय रूप से बंद परियोजनाओं से संबंधित पुराने व्यापार देयकों को वापस लिखा जाता है।

नोट–25

अन्य आय	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
बैंकों से प्राप्त ब्याज	8,556.34	11,339.22
ठेकेदारों से प्राप्त ब्याज	205.21	625.00
घटाएँ : सरकारी ग्राहकों को दिया गया ब्याज	(7,629.62)	(11,563.75)
	1,131.93	400.47
कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर ब्याज	0.47	0.20
आयकर रिफंड पर ब्याज	175.01	187.59
विदेशी उतार–चढ़ाव लाभ (शुद्ध)	35.10	-
परिसंपत्तियों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)	-	0.51
कुल	**1,342.52**	**588.77**

नोट–26

कार्य और परामर्श व्यय	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
कार्य व्यय (सामग्री सहित) :–		
– पीएमसी अनुबंधों के लिए परिचालन व्यय	100,430.58	122,047.38
– स्वास्थ्य जांच व्यय	68,367.64	-
कुल	**168,798.22**	**122,047.38**

नोट–26क

(₹ लाख में)

स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद	22,046.48	6,518.26
कुल	**22,046.48**	**6,518.26**

नोट–27

(₹ लाख में)

कर्मचारी लाभ व्यय	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन और प्रोत्साहन	3,530.11	3,245.06
भविष्य निधि और अन्य निधि में योगदान	448.01	534.62
ग्रेच्युटी निधि योगदान	63.92	72.73
छुट्टी नकदीकरण	173.21	183.60
दीर्घ–कालीन सेवा पुरस्कार	1.18	1.24
कर्मचारी कल्याण व्यय	129.97	42.90
चिकित्सा लाभ के लिए प्रतिपूर्ति	55.36	48.31
कुल	**4,401.76**	**4,128.46**

नोट–28

(₹ लाख में)

वित्त लागत	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
पट्टा देयता पर ब्याज लागत	0.80	0.19
आयकर और टीडीएस पर ब्याज	1.87	-
कुल	**2.67**	**0.19**

नोट–29

(₹ लाख में)

मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास	168.74	155.11
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों पर मूल्यह्रास	11.84	6.70
अमूर्त संपत्तियों पर परिशोधन	14.65	9.80
सीडब्ल्यूआईपी पर मूल्यह्रास हानि	2.24	-
कुल	**197.48**	**171.61**

नोट–30

(रु. लाख में)

अन्य व्यय	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
विज्ञापन और मनोरंजन	29.28	14.61
लेखा–परीक्षक का पारिश्रमिक (नोट 30ए देखें)	26.21	24.40
सीएसआर व्यय	74.16	50.25
निदेशक की बैठक शुल्क	1.20	1.70
विदेशी उतार–चढ़ाव हानि (शुद्ध)*	-	52.06
बैंक गारंटी शुल्क	36.50	6.29
बीमा	1.12	1.86
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	250.27	182.64
परिसमापन हर्जाना	-	378.66

अन्य व्यय	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
डाक और टेलीफोन	10.13	11.88
मुद्रण और स्टेशनरी	41.06	34.95
दरें और कर	42.43	8.37
किराया**	14.57	9.09
मरम्मत और रखरखाव		-
– संयंत्र और मशीनरी	119.55	101.09
– इमारत	67.97	66.30
– अन्य	2.84	9.67
यात्रा और परिवहन	248.23	180.27
पानी, बिजली और संबद्ध शुल्क	38.75	36.89
अनुसंधान एवं विकास व्यय (रिवर्सल के बाद शुद्ध ₹ 2.97 लाख (31 मार्च, 2024 ₹ शून्य))	204.74	110.54
विविध व्यय	147.41	93.15
कुल	**1,356.41**	**1,374.67**

*जहां ऐसे लेन–देन ग्राहकों की ओर से किए जाते हैं, वहां लाभ/हानि संबंधित ग्राहकों के खातों में स्थानांतरित कर दी जाती है।
**किराये में उन सभी पट्टों पर किया गया पट्टा किराया भुगतान शामिल है जिनकी अवधि बारह महीने से अधिक नहीं है या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है।

नोट–30 क

कर व्यय	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
ऑडिट शुल्क	14.50	13.20
टैक्स ऑडिट	5.45	4.95
तिमाही सीमित समीक्षा	5.29	4.95
व्यय की प्रतिपूर्ति**	0.97	1.30
कुल	**26.21**	**24.40**

*31 मार्च, 2025 के आंकड़े में पूर्ववर्ती लेखा–परीक्षक को भुगतान किए गए ₹ 1.65 लाख (31 मार्च, 2024: ₹ 1.65 लाख) शामिल हैं, जबकि पिछले वर्ष के आंकड़े पूर्ववर्ती लेखा–परीक्षक को किए गए भुगतान को दर्शाते हैं।
**इसमें पूर्ववर्ती लेखा–परीक्षक को भुगतान किए गए ₹ 0.81 लाख (31 मार्च, 2024: ₹ 0.94 लाख) शामिल हैं, जबकि पिछले वर्ष का आंकड़ा पूर्ववर्ती लेखा–परीक्षक को किए गए भुगतान को दर्शाता है।

नोट–30 ख

हानि हानि (प्रतिवर्तन के बाद शुद्ध)	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
व्यापार प्राप्य पर हानि हानि/(वापस लिखित) के लिए भत्ते	1,436.89	(194.00)
कुल	**1,436.89**	**(194.00)**

नोट–30 ग

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने पर शुद्ध हानि	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
बट्टे खाते में डाले गए बुरे ऋण	83.10	-
बिना बिल का राजस्व बट्टे खाते में डाला गया	1,327.06	-
कुल	**1,410.16**	**-**

नोट–31

(₹ लाख में)

कर व्यय	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
कर व्यय में शामिल हैं :–		
वर्तमान आयकर	2,734.81	920.32
आस्थगित कर	(226.92)	580.84
पिछले वर्ष के संबंध में कराधान	64.31	4.22
कुल	**2,572.20**	**1,505.38**

नोट–31 क : प्रभावी कर दर का समाधान

आयकर व्यय के प्रमुख घटक और कंपनी की घरेलू प्रभावी कर दर और लाभ या हानि में रिपोर्ट किए गए कर व्यय के आधार पर अपेक्षित कर व्यय का समाधान इस प्रकार है :

कर समाधान	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
सतत संचालन से कर पूर्व लेखांकन लाभ	10,273.67	5,461.71
आयकर से पहले लेखांकन लाभ	10,273.67	5,461.71
भारत की सांविधिक आयकर दर पर	25.168%	25.168%
आयकर	2,585.68	1,374.60
गैर–कटौती योग्य व्यय का प्रभाव	19.23	126.55
पिछले वर्ष के संबंध में कराधान (स्थायी अंतर के कारण)	64.31	4.22
पीपीई/आरओयू के डब्ल्यूडीवी में अंतर	(88.99)	-
अन्य	(8.04)	-
कर व्यय	**2,572.20**	**1,505.38**
वास्तविक कर व्यय	2,572.20	1,505.38
प्रभावी कर की दर	**25.04%**	**27.56%**

नोट–32

(₹ लाख में)

अन्य व्यापक आय	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगाः		
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनः माप लाभ (हानि)	(34.20)	(54.58)
उपरोक्त का आयकर प्रभाव	8.61	13.74
कुल	**(25.59)**	**(40.84)**

नोट–33

(₹ लाख में)

प्रति शेयर आय (ईपीएस) की गणना "प्रति शेयर आय" पर भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक–33) के अनुसार की जाती है।

आय प्रति इक्विटी शेयर	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
आय प्रति इक्विटी शेयर		
मूल / मंदित आय हेतु इक्विटी धारकों के कारण होने वाला लाभ (निरंतर संचालन)	7,701.47	3,956.33
बकाया इक्विटी शेयरों की कुल संख्याः		
वर्ष की शुरुआत में (सं.)	180,014	180,014
वर्ष के अंत में (सं.)	180,014	180,014
मूल ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या)	180,014	180,014
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹)	100.00	100.00
आय प्रति इक्विटी शेयर		
(1) मूल (₹ में)	4,278.26	2,197.79
(2) मंदित (₹ में)	4,278.26	2,197.79

नोट–34

i. **आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक परिसंपत्तियां और प्रतिबद्धताएं (उस सीमा तक जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)**

(₹ लाख में)

क.

विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
ईएसआई मांग	1.83	1.83
भविष्य निधि मांग	6.86	6.86
आयकर मांग	1,326.87	578.73
जीएसटी मांग	282.59	210.09

ख. मंत्रालयों/ग्राहक की ओर से आकस्मिक देयताएं (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है) :–

आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों द्वारा सामग्री की आपूर्ति और कार्य अनुबंधों के संबंध में कुल ₹25,539.26 लाख (31 मार्च, 2024 :– ₹15,084.13 लाख) के दावे, जो विभिन्न ग्राहकों के विरुद्ध न्यायालय/मध्यस्थता के अधीन हैं और उपर्युक्त पर ब्याज 31 मार्च, 2025 तक ₹16,641.87 लाख (31 मार्च, 2024:– ₹14,528.96 लाख) है, जिसमें कंपनी सह–प्रतिवादी/प्रतिवादी है।

ग. कंपनी टीडीएस पोर्टल से ₹1.81 लाख (31 मार्च, 2024: ₹3.29 लाख) की बकाया मांग को हटवाने की प्रक्रिया में है।

घ. कंपनी 31 मार्च, 2025 तक निलंबित कर्मचारियों की आकस्मिक राशि ₹64.34 लाख (31 मार्च, 2024 : – ₹62.07 लाख) हेतु उत्तरदायी है जिसमें अनुशासनात्मक जांच के निर्णय के बाद उत्पन्न होने वाली देयता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

कंपनी ने उपर्युक्त लंबित दावे/मुकदमे की समीक्षा की है और जहाँ भी आवश्यक हो, पर्याप्त प्रावधान किए हैं। कंपनी को यह आशा नहीं है कि उपर्युक्त कार्यवाही के परिणाम से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कंपनी उपर्युक्त आकस्मिक देयता के संबंध में किसी भी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा नहीं करती है।

ङ. **पूंजीगत प्रतिबद्धताएं**

नौएडा कॉर्पोरेट कार्यालय के नवीकरण के लिए पूंजी प्रतिबद्धता (पूंजी अग्रिमों का शुद्ध) – ₹4.32 लाख (31 मार्च, 2024: शून्य)।

आकस्मिक परिसंपत्तियां :– (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
कंपनी ने विभिन्न पक्षों के खिलाफ मध्यस्थ / अदालत / अन्य अधिकारियों के समक्ष कुछ मामले दायर किए हैं। मुकदमों के जीतने की प्रबल संभावना है और संभावना है कि उक्त लाभ प्राप्त हो जाए।	3.55	3.36

नोट–35

लाभांश और आरक्षित निधि (₹ लाख में)

वितरण एवं प्रस्तावित किया गया	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
इक्विटी शेयर पर नकद लाभांश का भुगतान		
वित्त वर्ष 2022–23 के लिए अंतिम लाभांश (₹ 451/शेयर)	-	811.86
वित्त वर्ष 2023–24 के लिए अंतिम लाभांश (₹ 660/शेयर)	1188.09	-
वित्त वर्ष 2024–25 के लिए अंतरिम लाभांश (₹ 667/शेयर)	1200.69	-
	2,388.78	**811.86**

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए ₹670 प्रति इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2024 : ₹660 प्रति इक्विटी शेयर) का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है और यह कंपनी की आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

नोट–36

कर्मचारी लाभ पर भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक) – 19 के अंतर्गत प्रकटीकरण निम्नानुसार है :

आनुतोषिक (ग्रेच्युटी)

कंपनी में निश्चित लाभ वाली ग्रेच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पाँच वर्ष या उससे अधिक समय तक निरंतर सेवा की है, ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के अनुसार सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, विकलांगता या मृत्यु पर ग्रेच्युटी पाने का पात्र है। यह योजना कंपनी द्वारा वित्तपोषित है और इसका प्रबंधन "एचएससीसी कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट" नामक एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। इसके लिए देयता का निर्धारण स्वतंत्र एक्चुरियल द्वारा वार्षिक आधार पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन पर गणना की गई राशि के आधार पर की जाती है। 31 मार्च, 2025 तक 200 कर्मचारियों वाली ग्रेच्युटी पॉलिसी की देय/प्राप्त राशि ₹52.17 लाख है {पिछले वर्षः ₹16.08 लाख प्राप्य}।

अर्जित अवकाश

कंपनी में अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए दीर्घकालिक लाभ योजना है। वर्ष के अंत में अधिकतम 300 दिनों (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) के बराबर अर्जित अवकाश के नकदीकरण का प्रावधान किया जाता है और इसे लाभ–हानि विवरण में दिखाया जाता है। वर्ष 2024–25 के लिए देयता का लेखा–जोखा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। 31 मार्च, 2025 तक अर्जित अवकाश नकदीकरण की संचयी देयता ₹509.78 लाख (पिछले वर्षः ₹436.77 लाख) है।

रुग्णता अवकाश

कंपनी में रुग्णता अवकाश अवकाश नकदीकरण की दीर्घकालिक लाभ योजना है। सेवानिवृत्ति पर अर्ध–वेतन अवकाश के नकदीकरण की अनुमति अर्जित अवकाश के नकदीकरण के अतिरिक्त दी जाटी, जिनकी कुल सीमा 300 दिन होती है। रुग्णता अवकाश के लिए देय नकद समतुल्य राशि, अर्ध–वेतन और महंगाई भत्ते के लिए स्वीकार्य अवकाश वेतन के बराबर होता है और अर्जित अवकाश की अधिकतम सीमा में कमी की भरपाई के लिए होती है। इस उद्देश्य के लिए रुग्णता अवकाश के किसी भी रूपान्तरण की अनुमति नहीं होगी। वर्ष 2024–25 के लिए देयता का लेखा–जोखा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। 31 मार्च, 2025 तक बीमारी अवकाश नकदीकरण की संचयी देयता ₹361.40 लाख (पिछले वर्ष: ₹343.87 लाख) है।

सेवानिवृत्ति पर दीर्घकालिक सेवा सम्मान

कंपनी सेवा ग्रेड के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ₹5,000/– से ₹25,000/– तक का दीर्घकालिक सेवा सम्मान देती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, कंपनी ने दीर्घकालिक सेवा सम्मान के लिए ₹0.83 लाख का भुगतान किया है। वर्ष 2024–25 के लिए देयता का लेखा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। 31 मार्च, 2025 तक संचयी देयता ₹5.87 लाख (पिछले वर्ष: ₹6.47 लाख) है।

क) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि निम्नानुसार है :– (रु. लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2024-25	947.83	509.78	361.40	5.87
	2023-24	916.91	436.77	343.87	6.47
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2024-25	895.66	-	-	-
	2023-24	932.99	-	-	-
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त नेट (संपत्ति)/ देयता	2024-25	(52.17)	509.78	361.40	5.87
	2023-24	(16.08)	436.77	343.87	6.47

ख) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय निम्नानुसार है :– (रु. लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार
वर्तमान सेवा लागत	2024-25	65.08	64.62	31.27	0.71
	2023-24	61.59	66.22	31.90	0.79
परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	2024-25	66.29	31.58	24.86	0.47
	2023-24	60.78	27.16	23.42	0.44
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	2024-25	(67.45)	-	-	-
	2023-24	(68.05)	-	-	-
फंड प्रबंधन शुल्क	2024-25	-	-	-	-
	2023-24	-	-	-	-
उक्त अवधि में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	2024-25	-	52.96	(32.07)	-
	2023-24	-	38.39	(3.49)	-
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2024-25	63.92	149.15	24.06	1.18
	2023-24	54.32	131.77	51.83	1.23

ग) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त व्यय निम्नानुसार हैं :–

(रु. लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार
परिभाषित लाभ दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	2024-25	(8.37)	0.95
	2023-24	(46.14)	0.36
बीमांकिक (लाभ)/परिसंपत्ति पर हानि	2024-25	(26.78)	-
	2023-24	(8.80)	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	2024-25	(35.15)	0.95
	2023-24	(54.94)	0.36

घ) परिभाषित लाभ दायित्व के आरंभिक और अंतिम शेषों का मिलान निम्नानुसार है :–

(रु. लाख में))

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार
वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2024-25	916.91	436.77	343.87	6.47
	2023-24	828.12	370.07	319.05	6.04
अधिग्रहण समायोजन	2024-25	-	13.05	3.39	-
	2023-24	-	-	-	-
ब्याज लागत	2024-25	66.29	31.58	24.86	0.47
	2023-24	60.78	27.16	23.42	0.44
वर्तमान सेवा लागत	2024-25	65.08	64.62	31.27	0.71
	2023-24	61.59	66.22	31.90	0.79
बीमांकिक (लाभ)/हानि से उत्पन्न होने वाली हानि					
जन सांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन	2024-25	-	-	-	-
	2023-24	-	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन	2024-25	39.82	24.96	13.91	0.30
	2023-24	-	5.16	3.09	(0.07)
अनुभव समायोजन	2024-25	(31.45)	28.00	(45.98)	(1.25)
	2023-24	46.14	33.23	(6.58)	(0.29)
विगत सेवा लागत	2024-25	-	-	-	-
	2023-24	-	-	-	-
भुगतान किए गए लाभ	2024-25	(108.82)	(89.20)	(9.92)	(0.83)
	2023-24	(79.73)	(65.07)	(27.01)	(0.45)
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2024-25	**947.83**	**509.79**	**361.39**	**5.87**
	2023-24	**916.90**	**436.77**	**347.26**	**6.46**

ङ) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के आरंभिक और अंतिम शेष राशि का मिलान निम्नानुसार है :–

(₹ लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2024-25	932.99
	2023-24	927.13
ब्याज आय	2024-25	67.45
	2023-24	59.25
पुनः मापन लाभ/(हानि)–शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशियों को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल)	2024-25	(26.78)
	2023-24	-
नियोक्ता से योगदान	2024-25	13.09
	2023-24	26.33
फंड प्रबंधन शुल्क	2024-25	-
	2023-24	-
भुगतान किए गए लाभ	2024-25	(91.09)
	2023-24	(79.73)
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2024-25	895.66
	2023-24	932.99

च) बीमांकिक अनुमान इस प्रकार हैं :–

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार
छूट दर	2024-25	6.79%	6.79%	6.79%	6.79%
	2023-24	7.23%	7.23%	7.23%	7.23%
भविष्य की अपेक्षित दर वेतन वृद्धि	2024-25	6.00%	6.00%	6.00%	NA
	2023-24	6.00%	6.00%	6.00%	NA
सेवानिवृत्ति आयु	2024-25	60	60	60	60
	2023-24	60	60	60	60
प्रति कर्मचारी लागत (₹ में)	2024-25	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	2023-24	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
आयु		**निकासी दर**	**निकासी दर**	**निकासी दर**	**निकासी दर**
30 वर्ष तक	2024-25	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
	2023-24	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
31 से 44 वर्ष तक	2024-25	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
	2023-24	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
44 वर्ष से अधिक	2024-25	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
	2023-24	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं , जब तक कि अन्यथा ना कहा गया हो)

छुट्टी					
अवकाश प्राप्ति दर	2024-25	लागू नहीं	2.50%	2.50%	लागू नहीं
	2023-24	लागू नहीं	2.50%	2.50%	लागू नहीं
सेवा में रहते हुए अवकाश व्यपगत दर	2024-25	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	2023-24	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
बाहर निकलने पर चूक दर छोड़ें	2024-25	लागू नहीं	लागू नहीं	60ण00:	लागू नहीं
	2023-24	लागू नहीं	लागू नहीं	60ण00:	लागू नहीं
सेवा में रहते हुए अवकाश नकदीकरण दर	2024-25	लागू नहीं	25ण00:	लागू नहीं	लागू नहीं
	2023-24	लागू नहीं	25ण00:	लागू नहीं	लागू नहीं
विकलांगता के प्रावधान सहित मृत्यु दर :	2024-25	आईएएलएम का 100% (2012–14)	आईएएलएम का 100% (2012–14)	आईएएलएम का 100% (2012–14)	आईएएलएम का 100% (2012–14)
	2023-24	आईएएलएम का 100% (2012–14)	आईएएलएम का 100% (2012–14)	आईएएलएम का 100% (2012–14)	आईएएलएम का 100% (2012–14)

योजना प्रावधानों से जुड़े जोखिम

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो प्रकृति में गतिशील होते हैं और समय के साथ भिन्न होते हैं। इस तरह की कंपनी विभिन्न जोखिमों के संपर्क में है, जो निम्नानुसार है :–

वेतन वृद्धि	वास्तविक वेतन वृद्धि से योजना की देनदारी में वृद्धि होगी। इसी के साथ वेतन में वृद्धि, भविष्य के मूल्यांकन में दर अनुमान में वृद्धि, देयता में भी वृद्धि होगी।
निवेश जोखिम	यदि योजना को वित्त पोषित किया जाता है तो परिसंपत्तियां और देनदारियां बेमेल होंगी और परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश रिटर्न अंतिम मूल्यांकन तिथि पर ग्रहण की गई छूट दर से कम होगा जो देयता को प्रभावित कर सकता है।
छूट की दर	बाद के मूल्यांकन में छूट दर में कमी से योजना की देनदारी बढ़ सकती है।
मृत्यु दर और विकलांगता	वास्तविक मृत्यु और विकलांगता के मामले, जो मूल्यांकन में अनुमान दर से कम या अधिक साबित होते हैं, देनदारियों को प्रभावित कर सकते हैं।
निकासी	वास्तविक निकासी अनुमानित निकासी की तुलना में अधिक या कम साबित होती है और बाद के मूल्यांकन पर निकासी दरों में बदलाव योजना की देयता को प्रभावित कर सकता है।

छ) 31 मार्च 2025 के वर्ष हेतु परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल निम्नानुसार है :–

(रु. लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार
परिभाषित लाभ दायित्व की अवधि (वर्ष)					
1	2025-26	39.40	28.22	25.98	लागू नहीं
2	2026-27	33.94	14.69	15.08	लागू नहीं
3	2027-28	95.63	33.31	46.22	लागू नहीं
4	2028-29	57.33	27.20	23.69	लागू नहीं
5	2029-30	54.53	20.25	27.19	लागू नहीं
5 से अधिक	2030–31 से	666.99	386.1	223.22	लागू नहीं
कुल		**947.82**	**509.77**	**361.38**	लागू नहीं

ज) सदस्यता डेटा का सारांश :–

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार
कर्मचारियों की संख्या	2024-25	200	152	152	152
	2023-24	220	156	156	156
कुल मासिक वेतन (लाख में)	2024-25	176.99	146.53	146.53	लागू नहीं
	2023-24	171.81	145.99	145.99	लागू नहीं
औसत पिछली सेवा (वर्ष)	2024-25	10.43	11.56	11.56	11.44
	2023-24	9.74	11.45	11.45	11.45
औसत आयु (वर्ष)	2024-25	38.88	40.40	40.40	40.34
	2023-24	38.49	40.84	40.84	40.84
औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष)	2024-25	21.12	19.60	19.60	19.66
	2023-24	21.51	19.16	19.16	19.16
मूल्यांकन तिथि पर शेष राशि के लिए विचार किया जाए	2024-25	लागू नहीं	17,072	24,000	लागू नहीं
	2023-24	लागू नहीं	16,378	24,838	लागू नहीं
भारित औसत अवधि	2024-25	16.83	15.47	15.47	15.47
	2023-24	16.95	15.04	15.04	15.04

झ) योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में) इस प्रकार हैं :–

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित फंड	2024-25	100%	-	-	-
	2023-24	100%	-	-	-

ञ) संवेदनशीलता विश्लेषण निम्नानुसार है :–

छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव (रु. लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	2024-25	(45.11)	(28.14)	(15.73)	लागू नहीं
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	2024-25	49.09	30.59	17.03	लागू नहीं

वेतन वृद्धि में बदलाव का असर (रु. लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	2024-25	22.82	30.72	17.07	लागू नहीं
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	2024-25	(22.62)	(28.30)	(15.92)	लागू नहीं

*यदि अन्य सभी मान्यताएं स्थिर रहती हैं तो मृत्यु दर और निकासी दर में 0.5% की वृद्धि/कमी के कारण परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन नगण्य है।

मुद्रास्फीति दर, पेंशन भुगतान की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा के संबंध में संवेदनशीलता सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त लाभ होने के कारण लागू नहीं होती है।

नोट–37

भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक) की आवश्यकता के अनुसार, "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" नीचे दिए गए हैं

1. संबंधित पक्षों का विवरण

संबंधित पक्ष का नाम एवं संबंध :–

(क) होल्डिंग कंपनी

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

(ख) पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य वित्तीय अधिकारी/कंपनी सचिव

1. श्री नौमान अहमद (प्रबंध निदेशक) (24 फरवरी, 2023 से आज तक)
2. श्री रवि रंजन (निदेशक इंजीनियरिंग) (01 मार्च, 2023 से आज तक)
3. श्री सौरभ श्रीवास्तव (मुख्य वित्तीय अधिकारी) (01 सितंबर, 2021 से आज तक)
4. श्रीमती सोनिया सिंह, कंपनी सचिव (19 नवंबर, 2019 से 18 मार्च, 2025 तक)

(ग) स्वतंत्र निदेशक

श्री (डॉ.) नागर जीतेन्द्र कुमार घनश्याम (09 मई 2025 से)

श्री डॉ. दीपक सिंह (15 नवंबर, 2021 से 14 नवंबर, 2024 तक)

(घ) सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री के. पी. महादेवस्वामी, अध्यक्ष (1 अक्टूबर, 2023 से नियुक्त)

श्रीमती डी. थारा (01 जनवरी, 2020 से आज तक)

(ङ) सेवा लाभ ट्रस्ट

एचएससीसी कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट

एचएससीसी कर्मचारी योगदान/पेंशन फंड ट्रस्ट

एचएससीसी कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट

एचएससीसी कर्मचारी चिकित्सा निधि ट्रस्ट

एचएससीसी कर्मचारी कल्याण निधि ट्रस्ट

2. संबंधित पक्ष लेन–देन और शेष :

(₹ लाख में)

लेन–देन की प्रकृति	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	होल्डिंग कंपनी	अन्य	होल्डिंग कंपनी	अन्य
बकाया शेष राशि				
प्राप्य राशि/(देय)*	1,297.45	-	2,166.16	-
पूर्व प्रदत्त व्यय	-	-		-

(₹ लाख में)

लेन–देन की प्रकृति	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	होल्डिंग कंपनी	अन्य	होल्डिंग कंपनी	अन्य
भवन रख–रखाव शुल्क	67.97	-	55.31	-
सेकंडमेंट शुल्क और सेकंडमेंट शुल्क के अलावा अन्य	79.53	-	46.94	-
ईआरपी रख–रखाव शुल्क	37.75	-	64.29	-
प्रचार व्यय	25.00	-	-	-
लाभांश भुगतान (टीडीएस सहित)	2,388.79	-	811.86	-
एनबीसीसी को दिया गया ब्याज	0.30		15.16	
एनबीसीसी को प्रदान की गई सेवाएं	1,099.92		7,406.98	-
प्रबंधकीय पारिश्रमिक		157.37	-	157.89
स्वतंत्र निदेशकों को बैठने का शुल्क :–				
श्री डॉ. दीपक सिंह, स्वतंत्र निदेशक		1.20		1.70

ऊपर उल्लिखित प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित विवरण (₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु				
		अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	रोजगार उपरांत लाभ	दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	कुल	ओ/एस ऋण (सकल/अग्रिम प्राप्य)
1.	श्री नौमान अहमद, प्रबंध निदेशक	41.39	8.45	2.56	52.40	0.47
2.	श्री रवि रंजन, निदेशक (इंजीनियरिंग)	38.39	7.69	2.32	48.40	-
3.	श्री सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य वित्तीय अधिकारी	36.48	7.34	2.21	46.04	0.40
4.	श्रीमती सोनिया सिंह, कंपनी सचिव	8.31	1.69	0.53	10.53	-
	कुल	**124.58**	**25.17**	**7.62**	**157.37**	**0.87**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु				
		अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	रोजगार उपरांत लाभ	दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	कुल	ओ/एस ऋण (सकल/अग्रिम प्राप्य)
1.	श्री नौमान अहमद, प्रबंध निदेशक	42.37	7.89	2.39	52.65	-
2.	श्री रवि रंजन, निदेशक (इंजीनियरिंग)	38.72	7.18	2.17	48.07	-
3.	श्री सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य वित्तीय अधिकारी	37.14	6.85	2.06	46.05	0.38
4.	श्रीमती सोनिया सिंह, कंपनी सचिव	9.01	1.63	0.49	11.13	-
	कुल	**127.24**	**23.55**	**7.11**	**157.90**	**0.38**

*इसमें क्षतिपूर्ति सहित अनुपस्थिति और दीर्घकालिक सेवा सम्मान शामिल हैं, जो प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि इन्हें बीमांकिक आधार पर केएमपी के लिए व्यक्तिगत आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

#इसमें भविष्य निधि, पेंशन और ग्रेच्युटी शामिल है (ग्रेच्युटी का निर्धारण प्रबंधन अनुमान के आधार पर किया जाता है क्योंकि इन्हें बीमांकिक आधार पर केएमपी के लिए व्यक्तिगत आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है)।

रोजगारोपरांत लाभ योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण लेन–देन का विवरण

31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए (₹ लाख में)

विवरण*	एचएससीसी कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	एचएससीसी कर्मचारी योगदान/पेंशन फंड ट्रस्ट	एचएससीसी कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट	एचएससीसी कर्मचारी चिकित्सा निधि ट्रस्ट	एचएससीसी कर्मचारी कल्याण निधि ट्रस्ट
इस अवधि के दौरान किया गया योगदान	520.72	206.97	13.09	28.67	14.94
बकाया शेष (देय)/प्राप्य	(43.82)	(17.75)	-	0.00	0.00

31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए (₹ लाख में)

विवरण*	एचएससीसी कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	एचएससीसी कर्मचारी योगदान/पेंशन फंड ट्रस्ट	एचएससीसी कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट	एचएससीसी कर्मचारी चिकित्सा निधि ट्रस्ट	एचएससीसी कर्मचारी कल्याण निधि ट्रस्ट
इस अवधि के दौरान किया गया योगदान	536.19	204.12	26.39	0.02	0.04
बकाया शेष (देय)/प्राप्य	(44.56)	(17.27)	-	0.00	0.00

*नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के योगदान के लिए

कंपनी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSU) है जिसका नियंत्रण शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और इसके सभी शेयर (नामांकित व्यक्तियों सहित) एन.बी.सी.सी. (इंडिया) लिमिटेड के माध्यम से धारित हैं (कृपया नोट 15, 15क और 15ख देखें)। भारतीय लेखा मानक 24 के अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार, जिन संस्थाओं पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण, या महत्वपूर्ण प्रभाव है तो रिपोर्टिंग संस्था और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्ष माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट का उपयोग किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किए हैं।

कंपनी के प्रमुख ग्राहकों में विभिन्न मंत्रालय, सरकारी विभाग, सरकारी प्राधिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं। इन ग्राहकों के साथ सेवाओं की बिक्री और संबंधित गतिविधियों से संबंधित लेन–देन व्यवसाय के सामान्य क्रम में किए जाते हैं। ये लेन–देन एक निश्चित सीमा के भीतर और सरकार से संबंधित न होने वाली अन्य संस्थाओं को दी जाने वाली शर्तों के समान शर्तों पर किए जाते हैं।

संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन की शर्तें और नियम

संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन–देन, उन्हीं समान शर्तों पर किए जाते हैं जो कि आर्म्स लेंथ लेन–देन में प्रचलित होती हैं। वर्ष के अंत में बकाया राशि अशोध्य और ब्याज मुक्त होती है। चालू वर्ष में अशोध्य या संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के संबंध में कोई व्यय मान्यता प्राप्त नहीं है और इसके अतिरिक्त, बकाया राशि के संबंध में संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है।

नोट–38

भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक) 108 खंडों के अनुसार प्रकटीकरण

कंपनी के परिचालन खंड समूह के उन घटकों के आधार पर स्थापित किए जाते हैं जिनका मूल्यांकन कार्यकारी समिति ("मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता" जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो (भारतीय लेखा मानक) 108 – 'परिचालन खंड' में परिभाषित है) द्वारा संसाधनों के आवंटन और निष्पादन के आकलन के तरीके तय करने के लिए नियमित रूप से किया जाता है। उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति, अलग–अलग जोखिमों और प्रतिफलों तथा आंतरिक व्यावसायिक रिपोर्टिंग प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए इनकी पहचान की गई है। खंड रिपोर्टिंग के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियाँ कंपनी की लेखांकन नीति के अनुरूप हैं। भारतीय मानक ब्यूरो (भारतीय लेखा मानक) 108 के अनुसार, कंपनी वर्ष के दौरान पीएमसी, स्वास्थ्य जांच सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति में लगी हुई है, जो इसका प्राथमिक व्यावसायिक खंड है। इस प्रकार, खंडवार रिपोर्टिंग की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

भौगोलिक खंड

कंपनी का संचालन मुख्यतः देश के भीतर ही होता है और इसका कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। फिर भी, प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रकटीकरण किया जाता है :–

विवरण	बाहरी ग्राहकों से राजस्व		गैर तात्कालिक परिसंपत्ति	
	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
भारत	204,513.63	137,100.34	9604.77	8219.26
भारत के बाहर	4,067.60	1,819.18	-	-
कुल	**208,581.22**	**138,919.51**	**9604.77**	**8219.26**

ग्राहकों के अनुसार राजस्व (राजस्व का 10% से अधिक) :

राजस्व में 10% से अधिक योगदान देने वाले ग्राहकों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	ग्राहक का नाम	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
1	एम.बी.ओ.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू.	34.98%	-
2	डी.एम.ई.आर. महाराष्ट्र	20.74%	-
3	स्वा. एवं परि. क. मं. निर्माण भवन नई दिल्ली	-	26.07%
4	राज्य सरकार राजस्थान	-	10.50%
5	राज्य सरकार महाराष्ट्र	-	29.94%

नोट–39

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ	3707.26	2512.58
धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	74.15	50.25
पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष	-	-
वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि,	-	-
वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व	**74.15**	**50.25**
वास्तविक व्यय राशि (प्रशासनिक ओवरहेड सहित)	74.15	50.25
खर्च की गई अतिरिक्त राशि	-	-
अव्ययित राशि	-	-

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि					
वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि (₹ लाख रुपये में)	अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में स्थानांतरित राशि		
	मात्रा	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	मात्रा	स्थानांतरण की तिथि
74.15	शून्य	लागू नहीं	..	शून्य	लागू नहीं

पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त सीएसआर राशि का विवरण				
पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ लाख रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो	आगामी वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि (₹ लाख में)
2022-23	शून्य	86.21	शून्य	शून्य
2023-24	शून्य	50.25	शून्य	शून्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		
	नकद में	अभी तक नकद भुगतान नहीं किया गया	कुल	नकद में	अभी तक नकद भुगतान नहीं किया गया	कुल
I. किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
II. उपरोक्त I के अलावा अन्य उद्देश्यों पर						
क. परमपूज्य माधव गौविज्ञान अनुसंधान संस्थान को दान	-	-	-	8.35	-	8.35
ख. कोविड–19 के लिए पीएम केयर्स (आपातकालीन स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत) कोष में दान	-	-	-	2.90	-	2.90
ग. स्पेशल भारत ओलंपिक	-	-	-	22.30	-	22.30
घ. मैसर्स अर्पण सेवा संस्थान को दान	5.00	-	5.00	16.70	-	16.70
ङ. ज्ञानम शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण सोसायटी को दान	5.00	-	5.00			
च. कल्याणकारी राज्य के लिए नागरिकों को दान	5.00	-	5.00			
ठ. उम्मेद फाउंडेशन को दान	4.95	-	4.95			
ज. उपायुक्त कार्यालय, चंबा	9.00	-	9.00			
झ. कलेक्टर, दमोह, मध्य प्रदेश	8.79	-	8.79			
ञ. उपायुक्त कार्यालय, किफिरे, नागालैंड	9.41	-	9.41			
ट. जिलाधिकारी, शिक्षा अधिकारी, फतेहपुर	9.00	-	9.00			
ठ. जिला आयुक्त, गोलपाड़ा	9.00	-	9.00			
ड. जिला कलेक्टर–सह–मजिस्ट्रेट, ग्यालशिंग जिला	9.00	-	9.00			
कुल	**74.15**	**-**	**74.15**	**50.25**	**-**	**50.25**

नोट : प्रबंधन उपरोक्त दान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र संकलित करने की प्रक्रिया में है।

नोट–40

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रावधान के प्रत्येक वर्ग (चालू एवं गैर–चालू) में परिवर्तन नीचे दिए गए हैं :–

"प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां" पर भारतीय लेखा मानक 37 के अंतर्गत प्रकटीकरण :

(₹ लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी*	नकदीकरण छोड़े	दीर्घ सेवा पुरस्कार	पीआरपी के लिए प्रावधान	अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान
1 अप्रैल, 2023 तक	**-**	**689.13**	**6.04**	**368.73**	**150.00**
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	183.60	0.88	257.18	378.66
घटाएँ रू वर्ष के दौरान भुगतान किया गया	-	(92.08)	(0.45)	(11.13)	-
31 मार्च, 2024 तक	**(16.08)**	**780.64**	**6.47**	**614.77**	**528.66**
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	99.07	173.21	0.23	494.05	-
जोड़ें : अधिग्रहण समायोजन	-	16.44	-	-	-
घटाएँ : वर्ष के दौरान किया गया उलटफेर	-	-	-	(2.97)	(150.00)
घटाएँ : वर्ष के दौरान भुगतान किया गया	(30.82)	(99.12)	(0.83)	(230.09)	-
31 मार्च, 2025 तक	**52.17**	**871.17**	**5.87**	**875.79**	**378.66**

*कंपनी के पास 31 मार्च, 2025 तक ₹52.17 लाख की शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (ग्रेच्युटी) है। हालाँकि, 31 मार्च, 2024 तक, कंपनी के पास 31 मार्च, 2024 तक ₹16.08 लाख की शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति (ग्रेच्युटी) है।

नोट–41

वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां

उचित मूल्य प्रकटीकरण

(i) उचित मूल्य पदानुक्रम

तुलन पत्र में उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में समूहीकृत किया जाता है। इन तीन स्तरों को मापन में महत्वपूर्ण इनपुट की प्रेक्षणीयता के आधार पर निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :–

- स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों का सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)
- स्तर 2: सक्रिय बाजार में कारोबार न किए जाने वाले वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जो अवलोकनीय बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करते हैं और इकाई–विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करते हैं।
- स्तर 3: यदि एक या एक से अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो लिखित को स्तर 3 में शामिल किया जाता है।

(ii) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां – आवर्ती उचित मूल्य माप

कंपनी के पास कोई भी वित्तीय लिखित नहीं है जिसे लाभ–हानि विवरण या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता हो।

(iii) परिशोधित लागत पर मापे गए उपकरणों का उचित मूल्य

परिशोधित लागत पर मापे गए उपकरणों का उचित मूल्य, जिसके लिए उचित मूल्य का खुलासा किया गया है, निम्नानुसार है :–

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक			उचित मूल्य			
	एफवी पीएल	एफवी ओसीआई	परिशोधित लागत	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय पूंजी							
व्यापार प्राप्तियां	-	-	32,965.49	-	-	-	-
नकद और नकद के समान	-	-	49,870.51	-	-	-	-
अन्य बैंक बैलेंस	-	-	104,474.27	-	-	-	-
ऋण	-	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ :–	-	-		-	-	-	-
मौजूदा	-	-	22,096.79	-	-	-	-
गैर वर्तमान	-	-	1,572.87	-	-	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	**210,979.93**	-	-	-	-
वित्तीय देनदारियाँ							
पट्टा देयता	-	-	5.47	-	-	-	-
व्यापार देयताएं	-	-	69,378.74	-	-	-	-
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	-	-		-	-	-	
मौजूदा	-	-	27,524.36	-	-	-	
गैर वर्तमान	-	-	-	-	-	-	
कुल वित्तीय देनदारियाँ	-	-	**96,908.57**	-	-	-	-

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक			उचित मूल्य			
	एफवी पीएल	एफवी ओसीआई	परिशोधित लागत	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियाँ							
व्यापार प्राप्तियां	-	-	31,351.44	-	-	-	-
नकद और नकद के समान	-	-	45,505.46	-	-	-	-
अन्य बैंक बैलेंस	-	-	151,192.97	-	-	-	-
ऋण			-				
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ :–	-	-					
मौजूदा	-	-	34,215.01	-	-	-	-
गैर वर्तमान	-	-	341.07	-	-	-	-
कुल	-	-	**262,605.95**				-
वित्तीय देनदारियाँ							
पट्टा देयता	-	-	11.96	-	-	-	-
व्यापार देयताएं	-	-	71,892.00	-	-	-	-
अन्य वित्तीय देनदारियाँ							
मौजूदा	-	-	29,631.49	-	-	-	-
गैर वर्तमान	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**101,535.45**	**-**	**-**	**-**	**-**

प्रबंधन ने यह आकलन किया कि नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार प्राप्य, अन्य प्राप्य, व्यापार देय और अन्य चालू वित्तीय देनदारियां इन उपकरणों की अल्पावधि परिपक्वता के कारण उनकी वहन राशि के लगभग बराबर हैं।

नोट – 42

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की गतिविधियाँ उसे ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम और बाजार जोखिम के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। कंपनी के निदेशक मंडल की कंपनी के जोखिम प्रबंधन रूपरेखा की स्थापना और निगरानी की समग्र जिम्मेदारी है। यह नोट बताता है कि कंपनी किन जोखिम स्रोतों से प्रभावित है और कंपनी वित्तीय विवरणों में जोखिम और संबंधित प्रभावों का प्रबंधन कैसे करती है।

(क) क्रेडिट जोखिम

कंपनी को अपनी परिचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य) और बैंकों और वित्तीय संस्थानों और अन्य वित्तीय साधनों के साथ जमा सहित अपनी निवेश गतिविधियों से ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

(i) ऋण जोखिम प्रबंधन

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्ग के लिए विशिष्ट मान्यताओं, इनपुट और कारकों के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों के क्रेडिट जोखिम का आकलन और प्रबंधन करती है।

क : वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि पर निम्न क्रेडिट जोखिम

ख : मध्यम ऋण जोखिम

ग : उच्च ऋण जोखिम

कंपनी निम्नलिखित आधार पर अपेक्षित क्रेडिट हानि का प्रावधान करती है :–

परिसंपत्ति समूह	वर्गीकरण का आधार	व्यय क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान
निम्न क्रेडिट जोखिम	नकदी और नकदी समकक्ष, अन्य बैंक शेष, ऋण और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12 महीने की अपेक्षित ऋण हानि
मध्यम ऋण जोखिम	व्यापार प्राप्य	जीवन काल अपेक्षित ऋण हानि
उच्च ऋण जोखिम	व्यापार प्राप्य और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	जीवन काल में अपेक्षित ऋण हानि या पूर्णतः प्रावधान की गई हानि

व्यापार प्राप्य के संबंध में, कंपनी आजीवन अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान निर्धारित देती है।

कंपनी जिस व्यावसायिक परिवेश में काम करती है, उसके आधार पर, वित्तीय परिसंपत्ति पर चूक तब मानी जाती है जब प्रतिपक्ष अनुबंध के अनुसार या बाद में मामले–दर–मामला तथ्यात्मक परिस्थितियों के आधार पर तय की गई समयावधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है। चूक को दर्शाने वाली हानि दरें वास्तविक ऋण हानि अनुभव और वर्तमान एवं ऐतिहासिक आर्थिक स्थितियों के बीच अंतर पर आधारित होती हैं।

जब वसूली की कोई उचित आशा न हो, जैसे कि देनदार द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाना या कंपनी के विरुद्ध कोई मुकदमा तय हो जाना, तो परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। कंपनी उन पक्षों के साथ संपर्क बनाए रखती है जिनकी शेष राशि बट्टे खाते में डाल दी गई है और पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने का प्रयास करती है तथा की गई वसूली को लाभ–हानि लेखा विवरणों में दर्ज किया जाता है।

(₹ लाख में)

क्रेडिट रेटिंग	विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
क : कम ऋण जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, अन्य बैंक शेष राशि और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	178,014.44	231,254.51
ख : मध्यम ऋण जोखिम	व्यापार प्राप्तियां	35,763.70	32,918.91
ग : उच्च ऋण जोखिम	व्यापार प्राप्तियां और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	1,873.83	1,667.68

व्यापार प्राप्तियों का संकेन्द्रण

व्यापार प्राप्तियों के लिए ऋण जोखिम हेतु कंपनी का प्रमुख जोखिम विभिन्न सरकारी विभागों/मंत्रालयों से है।

ऋण जोखिम अनावरण

अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान

कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए 12 महीने और आजीवन अपेक्षित ऋण हानि के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि प्रदान करती है–

क : निम्न ऋण जोखिम

31 मार्च, 2025 तक (₹ लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	संवहन राशि	हानि	हानि प्रावधान की शुद्ध संवहन राशि
नकद और नकद समकक्ष	नोट–10	49,870.51	-	49,870.51
अन्य बैंक बैलेंस	नोट–11	104,474.27	-	104,474.27
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	नोट –7, 12	23,669.66	-	23,669.66

31 मार्च, 2024 तक (₹ लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	संवहन राशि	हानि	हानि प्रावधान की शुद्ध संवहन राशि
नकद और नकद समकक्ष	नोट–10	45,505.46	-	45,505.46
अन्य बैंक बैलेंस	नोट–11	151,192.97	-	151,192.97
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	नोट –7, 12	34,556.08	-	34,556.08

ख : मध्यम ऋण जोखिम

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि

31 मार्च, 2025 तक (₹ लाख में)

काल प्रभावन	नोट संदर्भ	1 वर्ष तक	1 से 2 वर्ष के बीच	2 से 3 वर्ष के बीच	3 वर्ष से ऊपर	कुल
सकल वहन राशि	नोट–9 एवं 9क	25,330.76	8,757.16	1,268.24	407.55	35,763.70
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान)		-	2,408.52	268.43	121.26	2,798.22
व्यापार प्राप्तियों की संवहन राशि (हानि का शुद्ध)		**25,330.76**	**6,348.64**	**999.81**	**286.28**	**32,965.49**

31 मार्च, 2024 तक (₹ लाख में)

काल प्रभावन	नोट संदर्भ	1 वर्ष तक	1 से 2 वर्ष के बीच	2 से 3 वर्ष के बीच	3 वर्ष से ऊपर	कुल
सकल वहन राशि	नोट–9 एवं 9ख	27,805.57	1,777.98	651.28	2,684.08	32,918.91
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान)		-	595.18	195.91	776.39	1,567.47
व्यापार प्राप्तियों की संवहन राशि (हानि का शुद्ध)		**27,805.57**	**1,182.81**	**455.37**	**1,907.69**	**31,351.44**

ग : उच्च ऋण जोखिम

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि

31 मार्च, 2025 तक (₹ लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	संवहन राशि	हानि	हानि प्रावधान की शुद्ध संवहन राशि
व्यापार प्राप्य	नोट–9	1,576.47	1,576.47	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	नोट–12	297.36	297.36	-

31 मार्च, 2024 तक (₹ लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	संवहन राशि	हानि	हानि प्रावधान की शुद्ध संवहन राशि
व्यापार प्राप्य	नोट–9	1,370.32	1,370.32	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	नोट–12	297.36	297.36	-

हानि प्रावधान का मिलान – व्यापार प्राप्तियां (उच्च और मध्यम जोखिम) (₹ लाख में)

हानि भत्ते का मिलान	हानि भत्ते
1 अप्रैल, 2023 को हानि भत्ता	**3,126.78**
मान्यता प्राप्त हानि भत्ता (शुद्ध)	(188.99)
हानि भत्ते का उत्क्रमण (शुद्ध)	-
31 मार्च 2024 को हानि भत्ता	**2,937.79**
मान्यता प्राप्त हानि भत्ता (शुद्ध)	1,436.89
हानि भत्ते का उत्क्रमण (शुद्ध)	
31 मार्च 2025 को हानि भत्ता	**4,374.68**

(ख) चलनिधि जोखिम

कंपनी की चलनिधि के मुख्य स्रोत नकदी और नकदी समकक्ष हैं, जो परिचालन से प्राप्त नकदी प्रवाह से उत्पन्न होते हैं। कंपनी पर कुछ भी बैंक उधार बकाया नहीं है। कंपनी का मानना है कि परिचालन से प्राप्त नकदी प्रवाह उसकी वर्तमान चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिकाएँ कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में करती हैं। तालिका में दर्शाई गई राशियाँ संविदात्मक अ–बट्टाकृत नकदी प्रवाह हैं। 12 महीनों के भीतर देय शेष राशियाँ उनके अग्रणीत शेष के बराबर होती हैं क्योंकि छूट का प्रभाव नगण्य होता है।

(₹ लाख में)

31 मार्च, 2025 तक	नोट संदर्भ	एक वर्ष तक	एक वर्ष से अधिक	कुल
पट्टे की देयताएं*	नोट –17	5.47	-	5.47
देय व्यापार	नोट –19	69,378.74	-	69,378.74
बयाना राशि और सुरक्षा जमा	नोट –20	9,205.26	-	9,205.26
होल्डिंग कंपनी को देय राशि		-	-	-
बुक ओवरड्राफ्ट	नोट –20	-	-	-
अन्य देनदारियां	नोट –20	18,319.10	-	18,319.10
कुल		**96,908.57**	**-**	**96,908.57**

31 मार्च, 2024 तक	नोट संदर्भ	एक वर्ष तक	एक वर्ष से अधिक	कुल
पट्टे की देयताएं*	नोट –17	6.49	5.47	11.96
देय व्यापार	नोट –19	71,892.00	-	71,892.00
बयाना राशि और सुरक्षा जमा	नोट –20	12,423.74	-	12,423.74
होल्डिंग कंपनी को देय राशि	नोट –20	84.10	-	84.10
अन्य देनदारियां	नोट –20	17,123.65	-	17,123.65
कुल		**101,529.98**	**5.47**	**101,535.46**

*पट्टा देयता की विस्तृत परिपक्वता प्रोफाइल के लिए नोट 45 देखें

(ग) बाजार जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम

अनारक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम

प्रतिवेदन की तिथि के रूप में अनियंत्रित विदेशी मुद्रा जोखिमों का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार		31 मार्च, 2024 के अनुसार	
	राशि (₹ लाख में)	विदेशी मुद्रा	राशि (₹ लाख में)	विदेशी मुद्रा
व्यापार प्राप्य	1111.67	**एमयूआर** 5,93,77,948.16	1137.39	**एमयूआर** 6,32,68,996.74

विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है, जो विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण किसी जोखिम के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा। विदेशी मुद्रा दरों में बदलाव के जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से कंपनी की परिचालन गतिविधियों (जब राजस्व या व्यय को विदेशी मुद्रा में दर्शाया जाता है) से संबंधित है। विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रतिलाभ या हानि की संवेदनशीलता मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के वित्तीय साधनों से उत्पन्न होती है।

मुद्रा संवेदनशीलता	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
भारतीय रुपया आईएनआर/एमयूआर– की वृद्धि हुई : (31 मार्च 2025 5%)	55.58	-
आईएनआर/एमयूआर– की कमी हुई : (31 मार्च 2025 5%)	(55.58)	-
आईएनआर/यूएसडी– की वृद्धि : (31 मार्च 2024 5%)	-	56.87
आईएनआर/यूएसडी– की कमी : (31 मार्च 2024 5%)	-	(56.87)

*अन्य सभी चरों को स्थिर रखना

कंपनी किसी अन्य बाजार जोखिम के संपर्क में नहीं है।

नोट –43

पूंजी प्रबंधन

पूंजी प्रबंधन करते समय कंपनी के उद्देश्य हैं :–

– किसी क्रियाशील व्यवसाय के रूप में बने रहने की उनकी क्षमता की रक्षा करना, ताकि वे शेयरधारकों को रिटर्न और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान करना जारी रख सकें, और

– पूंजी की लागत को कम करने के लिए इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखें।

पूँजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, समूह शेयरधारकों को दिए जाने वाले लाभांश राशि को समायोजित कर सकता है, शेयरधारकों को पूँजी लौटा सकता है, नए शेयर जारी कर सकता है या ऋण कम करने के लिए संपत्तियाँ बेच सकता है (शुद्ध ऋण में उधार में से नकदी और नकद समकक्ष घटाकर प्राप्त राशि शामिल होती है)। उद्योग में अन्य कंपनियों की तरह, कंपनी निम्नलिखित गियरिंग अनुपात के आधार पर पूँजी की निगरानी करती है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
इक्विटी शेयर पूंजी	180.01	180.01
अन्य इक्विटी	24,432.47	19,145.35
कुल इक्विटी	**24,612.48**	**19,325.36**

संबंधित वर्षों के अंत तक कंपनी पर कोई बकाया ऋण नहीं है। तदनुसार, कंपनी का पूंजी गियरिंग अनुपात 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को शून्य है।

नोट–44

भारतीय लेखा मानक 115 के तहत राजस्व मान्यता पर टिप्पणी

1. मान्यता प्राप्त राजस्व

राजस्व में मुख्य रूप से परियोजना प्रबंधन परामर्श के माध्यम से सेवा की बिक्री शामिल है। ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का विघटन निम्नलिखित निर्धारित किया गया है :–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(क) परिचालन से राजस्व		
उत्पादों की बिक्री	22,502.79	6,689.84
सेवाओं की बिक्रीः		
– पीएमसी सेवाओं से राजस्व	107,716.91	131,423.98
– स्वास्थ्य जांच सेवाओं से राजस्व	69,812.77	-
(ख) अन्य सहायक राजस्व		
(क) निविदा दस्तावेजों की बिक्री	32.90	23.98
कुल राजस्व	**200,065.37**	**138,137.80**

*कंपनी एकल खंड अर्थात सेवा की बिक्री – परियोजना प्रबंधन परामर्श में काम करती है

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकृति, राशि और समय के आधार पर ग्राहकों के साथ अनुबंधों से अलग–अलग राजस्व प्रस्तुत करती है :– (₹ लाख में)

क्र. सं.	स्वभाव आधारित सेवाओं के प्रकार	अनुबंध प्रकार के अनुसार सेवाओं के प्रकार	समयानुसार सेवाओं के प्रकार	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
1	पीएमसी सेवाओं से राजस्व	लागत प्लस अनुबंध	समय के साथ	107,716.91	131,423.98
2	स्वास्थ्य जांच सेवाओं से राजस्व	लागत प्लस अनुबंध	समय के साथ	69,812.77	-
3	उत्पादों की बिक्री	लागत प्लस अनुबंध	एक समय पर	22,502.79	6,689.84
				200,032.47	**138,113.82**

2. ग्राहकों के साथ अनुबंध से संबंधित परिसंपत्तियां और देनदारियां

निम्नलिखित तालिका ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्तियों, अनुबंध की संपत्ति और अनुबंध देनदारियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है :–

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
	वर्तमान	वर्तमान
सेवा की बिक्री से संबंधित संविदा देनदारियां		
ग्राहकों से अग्रिम	98,799.40	150,250.58
अग्रिम में प्राप्त राजस्व	971.99	4,149.19
	99,771.39	**154,399.77**
सेवा की बिक्री से संबंधित संविदा परिसंपरियाँ		
व्यापार प्राप्य	37,340.17	34,289.23
घटाएः अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता	(4,374.68)	(2,937.79)
शुद्ध प्राप्य	**32,965.49**	**31,351.44**
बिना बिल वाला राजस्व	21,607.67	27,247.19
	54,573.16	**58,598.63**

प्राप्य राशि, समय बीतने पर बिना शर्त प्राप्त होने वाला प्रतिफल का अधिकार है। अनुबंधों से प्राप्त राजस्व, निष्पादन दायित्व की पूर्ति पर मान्यता प्राप्त होता है।

ग्राहकों को इनवॉइसिंग अनुबंध में परिभाषित माइलस्टोन (चरणबद्धता) पर आधारित होती है। इसके परिणामस्वरूप, राजस्व का निर्धारण का समय ग्राहकों को बिल भेजने के समय से अलग होगा। बिलिंग से अधिक राजस्व को बिल न किए गए राजस्व के रूप में दर्ज किया जाता है और इसे अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में पहले से मान्यता प्राप्त कोई भी राशि, संलग्न शर्त, यानि बिलिंग माइलस्टोन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक भावी सेवा, की पूर्ति पर व्यापार प्राप्य के रूप में पुनर्वर्गीकृत की जाती है।

मान्यता प्राप्त राजस्व से अधिक का चालान अग्रिम प्राप्त राजस्व, यानि आस्थगित राजस्व, के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पहले से प्राप्त राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त कोई भी राशि, निर्माण अवधि के दौरान निष्पादन दायित्व की पूर्ति पर राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त होती है।

3. **अनुबंध देनदारियों के संबंध में मान्यता प्राप्त राजस्व**

निम्नलिखित तालिका दर्शाती है कि वर्तमान प्रतिवेदन अवधि में मान्यता प्राप्त राजस्व का कितना हिस्सा अग्रेषित अनुबंध देनदारियों से संबंधित है। (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
मान्यता प्राप्त राजस्व जिसे वर्ष की शुरुआत में अनुबंध देनदारियों में शामिल किया गया था	79,287.98	143,383.45
पिछले वर्षों में प्रदर्शन दायित्वों को पूरा किया गया	-	-
कुल	**79,287.98**	**143,383.45**

4. **अनुबंध परिसंपत्तियों और देनदारियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन** (₹ लाख में)

अनुबंध देनदारियां – ग्राहकों से अग्रिम	31 मार्च, 2025 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
अनुबंध देनदारियों का प्रारंभिक शेष – ग्राहकों से अग्रिम	150,250.58	221,987.16
घटाएं: अनुबंध देनदारियों को खोलने के खिलाफ मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि	(75,464.44)	(140,899.50)
जोड़ें : चालू वर्ष के लिए अनुबंध देनदारियों की शेष राशि में शुद्ध वृद्धि	24,013.27	69,162.93
अनुबंध देनदारियों का समापन शेष – ग्राहकों से अग्रिम	**98,799.40**	**150,250.68**

अनुबंध देनदारियाँ – प्राप्त अग्रिम राजस्व	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
अनुबंध देनदारियों का आरंभिक शेष – प्राप्त अग्रिम राजस्व	4,149.19	5,757.31
घटाएँ : आरंभिक अनुबंध देनदारियों पर मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि	(3,823.54)	(2,483.95)
जोड़ें : चालू वर्ष के लिए अनुबंध देनदारियों के शेष में शुद्ध वृद्धि	646.34	875.83
अनुबंध देनदारियों का अंतिम शेष – प्राप्त अग्रिम राजस्व	**971.99**	**4,149.19**

अनुबंध परिसंपत्तियाँ – बिल नहीं किया गया राजस्व	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
अनुबंध परिसंपत्तियों का आरंभिक शेष – बिल नहीं किया गया राजस्व	27,247.19	42,423.14
घटाएँ : आरंभिक अनुबंध परिसंपत्तियों पर मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि	(19,490.78)	(24,733.69)
जोड़ें : चालू वर्ष के लिए अनुबंध परिसंपत्तियों के शेष में शुद्ध वृद्धि	13,851.26	9,557.74
अनुबंध परिसंपत्तियों का अंतिम शेष – बिल नहीं किया गया राजस्व	**21,607.67**	**27,247.19**

5. **शेष प्रदर्शन दायित्व**

भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय लेखा मानक) 115 में दिए गए व्यावहारिक उपाय को लागू करते हुए, कंपनी ने अनुबंधों के लिए शेष प्रदर्शन दायित्व संबंधित प्रकटीकरण का उल्लेख नहीं किया है क्योंकि मान्यता प्राप्त राजस्व सीधे इकाई के प्रदर्शन के ग्राहक के मूल्य से मेल खाता है, जो अब तक पूरा हुआ है। शेष प्रदर्शन दायित्व अनुमान परिवर्तन के अधीन हैं जो कई कारकों से प्रभावित होते हैं, जैसे अनुबंधों के दायरे में परिवर्तन, आवधिक पुनर्वैधीकरण, समाप्ति और राजस्व के लिए समायोजन, जो उक्त तिथि तक अमल में नहीं आये हैं।

नोट–45

भारतीय लेखा मानक 116 के अंतर्गत पट्टों पर नोट
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की प्रकृति

क. नौएडा के सैक्टर–1 में प्लॉट क्रं. ई–6ए और ई–13 एवं ई–14 लीजहोल्ड भूमि हैं, जो एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड को क्रमशः 1996 और 2006 से लीज डीड की तिथि से 90 वर्ष की अवधि के लिए आवंटित किए गए हैं।

ख. कंपनी ने एसटी 164, महजूर नगर, श्रीनगर, जम्मू–कश्मीर में कार्यालय सुविधाओं को पट्टे पर लिया है, जिसका उपयोग कंपनी के साइट कार्यालय के रूप में किया जा रहा है। पट्टे की अवधि 2 वर्ष है।

लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
अंतर्निहित परिसंपत्ति के वर्ग के अनुसार उपयोग के अधिकार की संपत्ति के लिए मूल्यह्रास शुल्क	11.86	6.70
पट्टे की देनदारियों पर ब्याज	0.80	0.19
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय*	14.57	9.09
कुल खर्च	**27.23**	**15.96**

*लघु अवधि के पट्टों के खर्चों में 12 महीने से कम या उसके बराबर अवधि के लिए विभिन्न स्थल कार्यालयों के पट्टे शामिल हैं। ये पट्टा व्यवस्था, जो रद्द करने योग्य हैं, आम तौर पर आपसी सहमति से नवीकरणीय हैं।

पट्टों के लिए कुल नकदी बहिर्वाह

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
पट्टा देयताओं के खिलाफ नकद बहिर्वाह	7.29	1.80
अल्पावधि पट्टों के लिए नकद बहिर्वाह	14.57	9.09
कुल नकद बहिर्वाह	**21.86**	**10.89**

पट्टा दायित्व में संचलन

विवरण	(₹ लाख में)
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	**3.41**
अतिरिक्त	13.57
ब्याज में वृद्धि	0.19
हटाए गए	(3.41)
पट्टे की देयता का भुगतान	(1.80)
31 मार्च, 2024 के अनुसार शेष राशि	**11.96**
अतिरिक्त	-
ब्याज में वृद्धि	0.80
हटाए गए	-
पट्टे की देयता का भुगतान	(7.29)
31 मार्च, 2025 के अनुसार शेष राशि	**5.47**
गैर–वर्तमान	5.47
वर्तमान	6.49
31 मार्च, 2024 के अनुसार शेष राशि	**11.96**
गैर–वर्तमान	-
वर्तमान	5.47
31 मार्च, 2025 के अनुसार शेष राशि	**5.47**

पट्टा देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
1 वर्ष के भीतर	5.47	6.49
1–3 वर्ष	-	5.47
3 वर्ष से अधिक	-	-
31 मार्च, 2025 के अनुसार शेष राशि	**5.47**	**11.96**

कंपनी को अपनी पट्टा देनदारियों के सापेक्ष किसी बड़ी चलनिधि जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि चालू परिसंपत्तियां पट्टा देनदारियों से संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं, जब भी वे देय हों।

कंपनी "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" के अंतर्गत उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों तथा "वित्तीय देनदारियों" के अंतर्गत पट्टा देयता प्रस्तुत करती है।

नोट–46

अनुपात

31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु विश्लेषणात्मक अनुपात निम्नलिखित हैं :–

क्र.सं.	विवरण	अंश–गणक	विभाजक	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2023–24	25% से अधिक भिन्नता का कारण
1	वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियां	वर्तमान देयता	1.08	1.05	नहीं
2	ऋण इक्विटी अनुपात			नहीं	नहीं	नहीं
3	ऋण सेवा परिव्यास अनुपात			नहीं	नहीं	नहीं
4	इक्विटी अनुपात पर वापसी	कर पश्चात शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारक इक्विटी	35.06%	22.26%	परिचालन में उच्चतर वृद्धि का कारण
5	वस्तु सूची पण्यावर्त अनुपात			नहीं	नहीं	नहीं
6	व्यापार प्राप्य पण्यावर्त अनुपात	सेवाओं के मूल्य के लिए राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	6.49	6.95	नहीं
7	व्यापार देय पण्यावर्त अनुपात	कार्य और परामर्श व्यय	औसत व्यापार देय	2.70	2.12	परिचालन में उच्चतर वृद्धि का कारण
8	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	सेवाओं के मूल्य के लिए राजस्व	कार्यशील पूंजी	13.18	11.46	नहीं
9	शुद्ध लाभ अनुपात	कर पश्चात शुद्ध लाभ	सेवाओं के मूल्य के लिए राजस्व	3.69%	2.86%	परिचालन में उच्चतर वृद्धि का कारण
10	नियोजित पूंजी पर वापसी	टैक्स से पहले कमाई	शेयरधारकों की इक्विटी	41.74%	28.26%	परिचालन में उच्चतर वृद्धि का कारण
11	निवेश पर वापसी			नहीं	नहीं	नहीं

नोट–47

बंद की गई कंपनियों के साथ एचएससीसी का संबंध

हटाई गई कंपनियों के नाम	लेन–देन की प्रकृति	वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान लूट	31.03.2025 तक शेष ओ/एस	वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान लूट	31.03.2024 तक शेष ओ/एस	बंद की गई कंपनियों के साथ संबंध
एकेए कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	देय – लिखित रूप में			0.15	-	विक्रेता
बुद्ध एनएन मेडिकेयर/ ग्लेनमार्क लिमिटेड	देय	-	2.79	-	2.79	विक्रेता
केयर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड.	देय – लिखित रूप में	0.01	-	-	0.01	विक्रेता
डेटेक्स ओहमेडा (आई) प्रा० लिमिटेड '	देय – लिखित रूप में	11.81	-			विक्रेता
डिवाइन मेडीहेल्थ प्राइवेट लिमिटेड	देय – लिखित रूप में			0.01	-	विक्रेता
सिमा लैब्स प्राइवेट लिमिटेड'	देय	-	8.17			विक्रेता
डेविन्टर ऑप्टिकल प्राइवेट लिमिटेड	देय ईएमडी	-	0.14	-	0.14	विक्रेता
माई कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	निविदा दस्तावेज की बिक्री			0.10	-	विक्रेता
पसरीचा सर्जिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	देय – लिखित रूप में	1.12	-	-	1.12	विक्रेता
पसरीचा सर्जिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	प्रतिधारण देय – लिखित रूप में वापस	0.52	-	-	0.52	विक्रेता
पसरीचा सर्जिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	देय राशि रोकी गई – लिखित रूप में वापस	0.43	-	-	0.43	विक्रेता
फार्मासिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय – लिखित रूप में	0.16	-		0.16	विक्रेता
फिलिप्स मेडिकल सिस्टम्स (आई) लिमिटेड*	देय	-	26.94			विक्रेता
फिलिप्स मेडिकल सिस्टम्स (आई) लिमिटेड*	प्रतिधारण देय – लिखित रूप में वापस	13.62	-			विक्रेता
फिलिप्स मेडिकल सिस्टम्स (आई) लिमिटेड*	देय राशि रोकी गई – लिखित रूप में वापस	7.99	39.30			विक्रेता
सिमा लैब्स प्राइवेट लिमिटेड*	प्रतिधारण देय	-	7.57			विक्रेता
टीपीएस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	देय – लिखित रूप में	0.03	-	-	0.03	विक्रेता
यूनी एजेंसीज लिमिटेड	देय	-	0.15	-	0.15	विक्रेता
	कुल	**35.70**	**85.06**	**0.26**	**5.37**	

*चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पहचाने गए

नोट–48

भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार प्रकटीकरण – 'लेखा नीतियां, लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन और त्रुटियां' और भारतीय लेखा मानक 1 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति'।

भारतीय लेखा मानक 8 – 'लेखा नीतियां, लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन और त्रुटियां' और भारतीय लेखा मानक 1– 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित पुनर्वर्गीकरण के माध्यम से पुनः प्रस्तुत किया है :–

क. बुक ओवर–ड्राफ्ट को बैंक खाते में शेष राशि, 3 महीने की मूल परिपक्वता तक की बैंक जमा राशि और 3 महीने से अधिक यानि 12 महीने तक की मूल परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि में वर्गीकृत किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य चालू वित्तीय देनदारियों में ₹7,870 लाख की कमी आई है और इसी प्रकार नकदी और नकदी समतुल्य में ₹4,466 लाख और नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष में ₹3,404 लाख की कमी आई है। लेकिन इसका कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

ख. ₹6,689.84 लाख मूल्य के उत्पादों की बिक्री और ₹6,518.26 लाख मूल्य के व्यापार में स्टॉक की खरीद (प्रापण) को क्रमशः सेवाओं की बिक्री और कार्य एवं परामर्श व्यय से पुनर्वर्गीकृत किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सेवा आय की बिक्री और कार्य एवं परामर्श व्यय में क्रमशः कमी आई है। लेकिन इसका कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

नोट–49

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी के खातों के लेन–देन की नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक (CAG) द्वारा की गई नमूना जाँच के दौरान, ₹2926.07 लाख के महत्वपूर्ण लेन–देन पाए गए, जिन्हें "संदिग्ध विश्वसनीयता वाले लेन–देन" कहा जा सकता है। भारतीय लेखा मानक–101 के अनुसार, 01 अप्रैल 2017 तक आरक्षित निधियों से ₹2926.07 लाख का प्रावधान किया गया था, क्योंकि ये लेन–देन वित्तीय वर्ष 2016–17 से पहले की अवधि के थे। एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया था।

कंपनी को अंतिम फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट 19 अप्रैल, 2022 को प्राप्त हुई और ऑडिट समिति एवं बोर्ड ने इस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया। फोरेंसिक ऑडिटर की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर, ₹490.07 लाख के अलावा कोई अतिरिक्त धोखाधड़ी नहीं पाई गई। ₹490.07 लाख में से, बैंक द्वारा एचएससीसी को ₹248.55 लाख का भुगतान कर दिया गया है। अतः, आकस्मिकता के अतिरिक्त प्रावधान ₹2684.55 लाख को वित्तीय वर्ष 2021–22 में वापस कर दिया गया है और शेष ₹241.52 लाख अभी भी प्रावधान में पड़े हैं क्योंकि यह अभी बैंक से प्राप्त नहीं हुआ है।

नोट–50

कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जो भौतिक रूप से बंद हैं, जिनमें से अधिकांश परियोजनाएं ग्राहकों को सौंप दी गई हैं और कुछ परियोजनाएं सौंपने की प्रक्रिया में हैं। 31 मार्च, 2025 तक भौतिक रूप से बंद परियोजनाओं की कुल संपत्ति/कुल देनदारियां ₹55,699.45 लाख (₹35,265.53 लाख अलग खाते में पड़े हैं और ₹20,433.92 लाख मुख्य कार्यालय में पड़े हैं) हैं (31 मार्च, 2024: ₹112,878.92 लाख (₹95,327.22 लाख अलग खाते में पड़े हैं और ₹17551.70 लाख मुख्य कार्यालय में पड़े हैं))। कंपनी ने इन पुरानी परियोजनाओं के वित्तीय समापन की प्रक्रिया शुरू की थी। वर्ष के दौरान, कंपनी अपने खाते की पुस्तकों में वित्तीय रूप से इन परियोजनाओं की काफी संख्या को बंद करने में सक्षम रही है। कंपनी शेष परियोजनाओं के वित्तीय समापन की प्रक्रिया में है। हालाँकि, प्रबंधन को शेष परियोजनाओं के वित्तीय समापन पर अपने वित्तीय विवरणों में किसी महत्वपूर्ण हानि की आशा नहीं है।

नोट–51

क) कंपनी के ग्राहक सरकारी मंत्रालय, सरकारी विभाग, सरकारी प्राधिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। ग्राहकों की शेष राशि व्यापार प्राप्य, बयाना राशि, सुरक्षा जमा (वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत) और ग्राहकों से प्राप्त जमा (अन्य देनदारियों के रूप में वर्गीकृत) के रूप में है। आमतौर पर, इन शेष राशियों की पुष्टि संबंधित प्राधिकरणों द्वारा नहीं की जाती है। फिर भी अपनी ऋण जोखिम नीति के अनुरूप, कंपनी ने लेखा पुस्तकों में पर्याप्त प्रावधान किए हैं।

ख) अपनी विभिन्न परियोजनाओं के लिए, कंपनी ने व्यापारिक देनदारियों, प्रतिधारण राशि और बयाना राशि जमा (वर्तमान देनदारी के रूप में वर्गीकृत) के रूप में देनदारियाँ वहन की हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने इन शेष राशियों के लिए शेष पुष्टिकरण/पुनर्मिलान प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है और इन पक्षों के साथ पर्याप्त पुनर्मिलान पूरा कर लिया है। इसके अलावा, कंपनी शेष पक्षों के लिए पुनर्मिलान पूरा करने की प्रक्रिया में है। भविष्य में, कंपनी नियमित अंतराल पर समय–समय पर पुष्टिकरण/पुनर्मिलान की अपनी प्रणाली को और सुदृढ़ कर रही है। प्रबंधन को आशा नहीं है कि शेष पुष्टिकरण/पुनर्मिलान के पूरा होने पर उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

नोट–52

अन्य प्रकटीकरण

(क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विलफुल डिफॉल्टर्स संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुसार किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या उसके संघ द्वारा विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित नहीं किया गया है।

(ख) बेनामी लेन–देन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

(ग) कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

(घ) कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अंतिम लाभार्थी की ओर से उधार देने या निवेश करने या गारंटी प्रदान करने के लिए किसी भी व्यक्ति या इकाई को न तो अग्रिम, उधार या निवेशित फंड दिया है और न ही कोई फंड प्राप्त किया है।

(ङ) वित्तीय वर्ष के दौरान, कोई शुल्क या शुल्क की संतुष्टि नहीं है जिसे वैधानिक अवधि के बाद आरओसी के साथ पंजीकृत किया जाना बाकी है।

(च) कंपनी का कोई भी लेन–देन खातों की किताबों में दर्ज नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सौंपा गया हो या प्रकट नहीं किया गया हो।

(छ) वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के संदर्भ में व्यवस्था की कोई योजना नहीं है।

(ज) कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के नियम 2(2)(डी) के अनुसार, परतों की संख्या की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(झ) कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई फंड आधारित ऋण/सीमा नहीं ली है। इसलिए, विशिष्ट उद्देश्य के लिए उधार का उपयोग कंपनी पर लागू नहीं होता है।

नोट –53

कंपनी ने मॉरीशस में तैनात कर्मचारियों को वेतन और अन्य भत्ते के भुगतान के लिए 31 मार्च, 2022 को एक विदेशी शाखा खोली है। शाखा की रिपोर्टिंग मुद्रा भारतीय रुपया ('INR') है। कंपनी के वित्तीय विवरण में 31 मार्च, 2025 तक कुल ₹14.58 लाख की संपत्ति (31 मार्च, 2024 – ₹130.64 लाख) और उक्त शाखा की 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए शून्य (31 मार्च, 2024 : शून्य) की कुल आय शामिल है। सभी संपत्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके INR में परिवर्तित किया जाता है और विनिमय अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में चार्ज या क्रेडिट किया जाता है।

नोट– 54

प्रबंधन के दृष्टिकोण से, चालू परिसंपत्तियों का व्यवसाय के सामान्य क्रम में प्राप्ति पर मूल्य कम से कम उस राशि के बराबर है जिस पर वे 31 मार्च, 2025 तक तुलन पत्र में बताई गई हैं।

सम–संख्यक तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.आर. दिनोदिया एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्याः 001478N/N500005

हस्ता./–
(संदीप दिनोदिया)
भागीदार
सदस्यता संख्याः 083689

हस्ताक्षर स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 मई, 2025

कृते एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
(नौमान अहमद)
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 10054994)

हस्ता./–
(रवि रंजन)
निदेशक (इंजीनियरिंग)
(डीआईएन : 10057427)

हस्ता./–
(सौरभ श्रीवास्तव)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(पैन : APCPS6170G)

ह. स. कं. क. HSCC एक मिनीरत्न कंपनी

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की एक सहायक कंपनी

ई–6 (ए), सैक्टर 1, नौएडा – उ. प्र. – 201301
दूरभाष. – 91–120–2542436–40 | फैक्स – 91–120–2542447 | ईमेल – hsccltd@hsccltd.co.in
वेबसाइटः www.hsccltd.co.in। सीआईएन नंबरः U74140DL1983GOI015459

एमजीटी–11 : प्रॉक्सि प्रपत्र

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार)

नाम

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

सीआईएन :
कंपनी का नाम :
पंजीकृत कार्यालय :

मैं/हम .... का सदस्य होने के नाते, ... शेयर धारित करते हैं एतद्द्वारा नियुक्त करता हूँ

सदस्य (सदस्यों) का नाम : ....
....
पंजीकृत पता : ....
....
ईमेल आईडी : .... फोलियो नंबर / क्लाइंट आईडीः ....
डीपी आईडी : ....

1. नाम : ....-
   पता :
   ई–मेल आईडी :
   हस्ताक्षर : ...., या उसके विफल होने पर
2. नाम : ....-
   पता :
   ई–मेल आईडी :
   हस्ताक्षर : ....

10 सितंबर, 2025 को आयोजित होने वाली कंपनी के सदस्यों की 42वीं वार्षिक आम बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए मेरे/हमारे प्रॉक्सी के रूप में, कन्वेन्शन सेंटर, ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस ब्लॉक–I, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110029 और उसके किसी भी स्थगन पर ऐसे प्रस्तावों के संबंध में जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :–

संकल्प संख्या

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशक मंडल और लेखा–परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करना और उन्हें अपनाना।
2. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 100/– रु. प्रति 670 रुपये प्रति पेड अप इक्विटी शेयर रुपये का अंतिम लाभांश घोषित करना।
3. वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा–परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।
4. कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. जितेंद्र घनश्यामलाल नागर (डीआईएन : 09547357) की नियमित नियुक्ति।

2025 के .... दिन .... को हस्ताक्षर किए गए
शेयरधारक के हस्ताक्षर
प्रॉक्सी धारक (धारकों) के हस्ताक्षर

नोटः प्रॉक्सी का यह रूप प्रभावी होने के लिए बैठक शुरू होने से पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में विधिवत रूप से पूरा और जमा किया जाना चाहिए।

ह. स. कं. क.
HSCC
एक मिनीरत्न कंपनी

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की एक सहायक कंपनी

ई–6 (ए), सैक्टर 1, नौएडा – उ. प्र. – 201301
दूरभाष – 91–120–2542436–40 | फैक्स – 91–120–2542447 | ईमेल – hsccltd@hsccltd.co.in
वेबसाइटः www.hsccltd.co.in | सीआईएन नंबरः U74140DL1983GOI015459

उपस्थिति पर्ची

कृपया इस उपस्थिति पर्ची को भरें और इसे हॉल के प्रवेश द्वार पर सौंप दें।

पंजीकृत फोलियो संख्या ________/डीपी आईडी _____________ क्लाइंट आईडी/लाभार्थी खाता संख्या ______________
धारित शेयरों की संख्या _______

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं कंपनी के पंजीकृत शेयरधारक के लिए एक पंजीकृत शेयरधारक/प्रॉक्सी हूँ और इसके द्वारा बुधवार, 10 सितंबर, 2025 को कनवेन्शन सेंटर, ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस ब्लॉक–I, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110029 में कंपनी की 42वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूं।

____ सदस्य/प्रॉक्सी का नाम बड़े अक्षरों में सदस्य/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर नोट :

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

एच एस सी सी
HSCC
एक मिनीरत्न कंपनी
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
(एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)
(भारत सरकार का उद्यम)

कॉर्पोरेट कार्यालय

ई–6 (ए), सेक्टर–1, नोएडा–201301 (यू.पी.)
फोन : 91–120–2542436–40
फैक्स : 91–120–2542447
ईमेल : hsccltd@hsccltd.co.in

www.paromita.org